रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 5 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 15, 1943 शक संवत्) [संख्या 23**

## विषय-सूची

**हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।**


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य | | रु0 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस | 445–454 | 3075 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया | 667–688 | 1500 |
| भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | .. | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत | .. | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | 9–38 | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश | | 975 |
| भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट | | |
| भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट | | |
| भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां | .. | |
| भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 481–552 | 975 |
| स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र | .. | 1425 |

# भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

## गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

30 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 103/1/17/2019/सीएक्स-3—चूंकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग विद्युत उपकेन्द्र ग्राम जमुका/कटिया कम्मू, जिला शाहजहांपुर से बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ एवं हरदोई विद्युत उपकेन्द्रों को विद्युत पारेषण के लिये किया जाता है;

और चूंकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुंचेगा;

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या उन्नीस, सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है और यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

### अनुसूची

### प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 400/220 के0वी0 शाहजहांपुर उपकेन्द्र स्थित ग्राम—जमुका/कटिया कम्मू, जिला—शाहजहांपुर।

| | |
|---|---|
| पूर्व में | ग्राम जमुका गा0 सं0 154, 155, दीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, कमलेश कुमारी, गा0 सं0 383 कटिया कम्मू सरला देवी। |
| पश्चिम में | ग्राम जमुका, गाटा सं0 81 माशूक अली आदि। |
| उत्तर में | ग्राम कटिया, कम्मू गा0 सं0 381 गा0 सं0 366 रूकसाना बेगम आदि गाटा संख्या 368 रियासत खां आदि। |
| दक्षिण में | ग्राम जमुका गाटा सं0 147, 166 मुजाहिद खां, अफरोज खां, वैभव गुप्ता आदि राष्ट्रीय राजमार्ग शाहजहांपुर, सीतापुर। |

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 103/1/17/2019-CX-3,** dated April 30, 2021 for general information :

**No. 103/1/17/2019-CX-3**

*Lucknow, dated* : *April* 30, 2021

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Power transmission from power sub-station Village-Jamuka/Katia Kammu, Distt-Sahajahanpur to Bareilly, Sahajahanpur, Lucknow and Hardoi power sub-station ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-cluse (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O. 1285, dated May 4, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a ''Prohibited Place'' for the purposes of the said Act and to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises:

**SCHEDULE**

***Name and specifications of the prohibited place***

Powergrid Corporation of India Ltd. 400/220 K.V. Sahajahanpur, Substation, Village-Jamuka/Katia Kammu, Distt-Sahajahanpur.

| | |
|---|---|
| *In East* | Village–Jamuka, Plot no. 154, 155 Deep Singh S/o Raghuveer Singh, Kamlesh Kumari, Plot no. 383, Katia Kammu Sarla Devi. |
| *In West* | Village–Jamuka, Plot no. 81 Mashook Ali *etc.* |
| *In North* | Village–Katia Kammu Plot no. 381 Plot no. 366 Ruksana Begam *etc.* Plot no. 368 Riyasat Khan etc. |
| *In South* | Village–Jamuka Plot no. 147, 166 Mujahid Khan, Afroz Khan, Vaibhav Gupta *etc.* National Highway Sahajahanpur, Sitapur. |

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
*Additional Chief Secretary.*

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

06 मई, 2021 ई0

सं0 06/2021/आई/64998/2021–चयन वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित वास्तविक/परिणामी/सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष

उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 14/10/पी0/सेवा-1/2020-2021, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 02/2021/आई/55681/2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा माह मार्च, 2021 में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष 75 पुलिस उपाधीक्षक के पद पर एवं कार्यालय आदेश संख्या 04/2021/आई/62718/2021, दिनांक 07 अप्रैल, 2021 द्वारा माह अप्रैल, 2021 में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष 12 पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

2–अब चयन वर्ष 2020-2021 में माह मई, 2021 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति दिनांक 24 फरवरी, 2021 के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 पुनरीक्षित वेतनमान मेट्रिक्स पे-लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं–

| क्र0सं0 | नाम | ज्येष्ठता क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | सर्वश्री/श्रीमती– | |
| 1 | ज्योत्सना मिश्रा | 125 |
| 2 | देवकृष्ण शर्मा | 126 |
| 3 | आमोद रंजन चौधरी | 128 |
| 4 | दिव्य प्रकाश सिंह | 129 |

3–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 100/2019 श्री विनोद सिंह सिरोही व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सहसम्बद्ध विशेष अपील संख्या 98/2019, 99/2019 तथा 103/2019 एवं उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई याचिका/प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5–पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

पदोन्नति

31 मई, 2021 ई0

सं0 डब्लू-943/6-पु-1-21-287/2020—चयन वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित 35 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 29 मई, 2021 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

| क्र0सं0 | अधिकारी के नाम | ज्येष्ठता सूची क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | सर्वश्री/श्रीमती— | |
| 1 | दिनेश कुमार पाण्डेय | 1 |
| 2 | आलोक कुमार | 2 |
| 3 | कृष्णानन्द वर्मा | 3 |
| 4 | प्यारे लाल | 4 |
| 5 | शिव कुमार पाल | 5 |
| 6 | अवधेश कुमार | 6 |
| 7 | संजय कुमार वर्मा | 7 |
| 8 | महेन्द्र कुमार पन्त | 8 |
| 9 | अरविन्द कुमार त्यागी | 9 |
| 10 | मु0 सईद खॉ | 10 |
| 11 | संजय कुमार अग्रवाल | 11 |
| 12 | प्रदीप कुमार गुप्ता | 12 |
| 13 | लाल प्रताप सिंह | 13 |
| 14 | शिवज्ञान सिंह | 14 |
| 15 | संतोष दयाल | 15 |
| 16 | मेराज बेगम | 16 |
| 17 | संजय कुमार गुप्ता | 17 |
| 18 | राम लखन यादव | 18 |
| 19 | नागेन्द्र कुमार गुप्ता | 19 |
| 20 | विजय शंकर त्रिपाठी | 20 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | सर्वश्री/श्रीमती– | |
| 21 | पारस नाथ नाण्डेय | 21 |
| 22 | मो0 राशिद खान | 22 |
| 23 | अम्बरीश कुमार दीक्षित | 23 |
| 24 | बृजेश कुमार गुप्ता | 24 |
| 25 | सुरेश चन्द्र शर्मा | 25 |
| 26 | मनोज कुमार | 26 |
| 27 | मुकेश चन्द्र | 27 |
| 28 | मो0 इश्तियाक | 28 |
| 29 | तेज बहादुर सिंह | 29 |
| 30 | सैयद सरदार इबने हसन रिजवी | 30 |
| 31 | ह्रदय शंकर उपाध्याय | 31 |
| 32 | संजीव कुमार सक्सेना | 32 |
| 33 | अनिल कुमार मिश्र | 33 |
| 34 | शरद कुमार जैन | 34 |
| 35 | संजीव सक्सेना | 35 |

2–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3–उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4–पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

उक्त आदेश रिट याचिका संख्या 25499 (एस/एस)/2016 अवधेश कुमार वर्मा व 25 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

# लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

13 मई, 2021 ई0

सं0 566/23-4-21-56 जनरल/2020टी0सी0–सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 738/01/पी/एस-6/2020-21, दिनांक 04 मार्च, 2021 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-2, रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे-5,400 (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

**अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)**

| क्र0सं0 | ज्येष्ठता क्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | सर्वश्री/श्रीमती– |
| 1 | 4357 | दिलीप कुमार गर्ग |
| 2 | 4375 | विजय प्रताप सिंह |
| 3 | 4485 | बाबू लाल |
| 4 | 4486 | राकेश कुमार |
| 5 | 4487 | श्रीकृष्ण राम |
| 6 | 4490 | रमेश कुमार यादव |
| 7 | 4491 | महेश कुमार |
| 8 | 4518 | मिर्जा जेईनुल्लाह बेग |
| 9 | 4519 | अनूप कुमार द्विवेदी |
| 10 | 4520 | अरूण कुमार श्रीवास्तव |
| 11 | 4522 | देवेन्द्र नाथ सिंह |
| 12 | 4523 | अमित कुमार जैन |
| 13 | 4524 | नेत्रपाल सिंह |
| 14 | 4525 | विनय कुमार |
| 15 | 4527 | देव कुमार |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | सर्वश्री / श्रीमती– |
| 16 | 4528 | तारकेश्वर चौबे |
| 17 | 4529 | इन्द्रपाल सिंह |
| 18 | 4530 | अवधेश कुमार शर्मा |
| 19 | 4533 | अतुल तिवारी |
| 20 | 4535 | मो0 जावेद खॉ |
| 21 | 4536 | परमानन्द स्वर्णकार |
| 22 | 4536-ए | राजेश कुमार अग्निहोत्री |
| 23 | 4537 | देवेश कुमार गुप्ता |
| 24 | 4538 | ब्रहम देव यादव |
| 25 | 4574 | नीरज कुमार प्रधान |
| 26 | 4575 | नसीम अहमद |
| 27 | 4576 | मानिक चन्द्र |
| 28 | 4577 | प्रताप सिंह |
| 29 | 4578 | जीतेन्द्र सिंह |
| 30 | 4580 | छेदी सिंह यादव |
| 31 | 4581 | आनन्देश्वर कुमार सिंह |
| 32 | 4582 | राजेन्द्र सिंह |
| 33 | 4583 | अनिल कुमार जैन |
| 34 | 4584 | परितोष कुमार |
| 35 | 4585 | उदयवीर सिंह |
| 36 | 4587 | विजय कुमार |
| 37 | 4588 | इस्लाम अहमद खॉ |
| 38 | 4589 | रमेश कुमार श्रीवास्तव |
| 39 | 4590 | मो0 साजिद लारी |
| 40 | 4591 | अवधेश कुमार मिश्रा |
| 41 | 4606 | महीपाल गिरि |
| 42 | 4614 | अभय कुमार गुप्ता |
| 43 | 4631 | अवधेश रमन |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | सर्वश्री / श्रीमती– |
| 44 | 4634 | सूबेदार सिंह |
| 45 | 4642 | धीरेन्द्र नारायण दुबे |
| 46 | 4646 | ज्ञान सिंह |
| 47 | 4647 | अरूण प्रकाश सिंह |
| 48 | 4652 | अतुल कुमार सक्सेना |
| 49 | 4662 | शिव कुमार |
| 50 | 4663 | देशबन्धु सिंह |
| 51 | 4668 | अनिल कुमार |
| 52 | 4671 | ओम कुमार मलिक |
| 53 | 4673 | राधेश्याम सिंह |
| 54 | 4684 | अशोक कुमार मिश्रा |
| 55 | 4688 | पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा |
| 56 | 4689 | जय प्रकाश दुबे |
| 57 | 4702 | रवीन्द्र नाथ यादव |
| 58 | 4703 | तरूण कुमार मिश्रा |
| 59 | 4708 | जनार्दन राम पाल |
| 60 | 4709 | उमेश नारायण त्रिपाठी |

**अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) (दिव्यांगजन)**

| क्र0सं0 | ज्येष्ठता क्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6311 | श्री सुनील कुमार |

**अवर अभियन्ता (प्राविधिक) से सहायक अभियन्ता (सिविल)**

| क्र0सं0 | ज्येष्ठता क्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | सर्वश्री / श्रीमती– |
| 1 | 370 | रमेश कुमार सोनकर |
| 2 | 376 | हरकेश |
| 3 | 378 | सुरेश चन्द्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | सर्वश्री / श्रीमती– |
| 4 | 382 | राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव |
| 5 | 383 | राधेश्याम गुप्ता |
| 6 | 385 | सनत कुमार पाण्डेय |

2–उक्त पदोन्नति आदेश सिविल अपील संख्या 3695 / 2007 अतिबल सिंह बनाम श्री प्रमोद शंकर उपाध्याय व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुक्रम में मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली खण्ड पीठ में पारित होने वाले निर्णय तथा रिट याचिका संख्या 16986 मार्कण्डेय तिवारी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका / विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
जे0 बी0 सिंह,
सचिव।

अनुभाग-3

20 मई, 2021 ई0

सं0 46 / 2021 / 784 / 23-3-2021-21 ई0एस0 / 2020–उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार हरदहा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री राजेन्द्र कुमार हरदहा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 5 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 15, 1943 शक संवत्)**

**भाग 1-क**

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

**CONFIDENTIAL "A" SECTION**

**NOTIFICATION**

*March* 27, 2021

**No. C-418(i)/Cf.(A)-2021**–In supersession of Court Notification no. C-306/Cf.(A)-2019 dated February 06, 2019, C-1022/Cf.(A)-2019 dated May 28, 2019, C-1023/Cf.(A)-2019 dated May 28, 2019, C-1036/Cf.(A)-2019 dated May 31, 2019, C-530/Cf.(A)-2020 dated May 20, 2020 & C-531/Cf.(A)-2020 dated May 20, 2020, the vacancies earlier allocated to the officers who have already been granted Selection Grade Pay Scale of Rs. 57,700-1,230-58,930-1,380-67,210-1,640-70,290 vide Court's Notification ibid (as mentioned in Column no. 4 of the below mentioned list against the name of officers), are now being readjusted (as mentioned in Column no. 6 against the vacancies mentioned in Column no. 7), due to release of vacancy consequent to decline of Selection Grade Pay Scale to some of the officers, whose matter was earlier deferred and availability of earlier date of vacancy consequent to grant of Super Time Pay Scale to the officers of UPHJS.

| Sl. no. | Seniority No. | Name of officer | Date of Vacancy earlier granted | Vacancy Caused by | Date of vacancy readjusted | Vacancy caused by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1196 | *Sri/Smt.*- Praveen Kumar Singh-I 15-07-1959 | 07-07-17 | Consequent to appointment of Sri Govind Ballabh (Sharma) in Super Time Pay Scale on 07-07-2017. | 07-07-17 | Consequent to appointment of Sri Vidhya Shankar Patel in Super Time Pay Scale on 07-07-2017. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 2 | 1198 | Sushil Kumar Shashi<br>25-05-1974 | Notionally from 07-07-17 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Sri Krishna Kumar Asthana in Super Time Pay Scale on 07-07-2017. | Notionally from 07-07-17 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Sri Govind Ballabh (Sharma) in Super Time Pay Scale on 07-07-2017. |
| 3 | 1199 | Hari Nath Pandey<br>01-03-1963 | 01-08-17 | Consequent to appointment of Sri Jai Shree Ahuja in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. | 07-07-17 | Consequent to appointment of Sri Krishna Kumar Asthana in Super Time Pay Scale on 07-07-2017. |
| 4 | 1200 | Ram Naresh Maurya<br>01-01-1963 | 01-08-17 | Consequent to appointment of Sri Pramod Kumar-I in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. | 01-08-17 | Consequent to appointment of Smt. Jai Shree Ahuja in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. |
| 5 | 1201 | Dharmendra Kumar Pandey<br>25-01-1976 | Notionally from 01-08-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Smt. Renu Agarwal in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. | Notionally from 01-08-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Pramod Kumar-I in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. |
| 6 | 1202 | Mahendra Prasad Chaudhary<br>07-07-1965 | 01-08-17 | Consequent to appointment of Sri Mukteshwar Prasad-II in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. | 01-08-17 | Consequent to appointment of Smt.Renu Agarwal in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. |
| 7 | 1204 | Arvind Kumar Mishra-II<br>02-07-1971 | Notionally from 01-08-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Amar Nath Singh in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. | Notionally from 01-08-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Mukteshwar Prasad-II in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. |
| 8 | 1206 | Ravindra Singh<br>14-11-1972 | 01-08-17 | Consequent to appointment of Sri Vishesh Sharma in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. | Notionally from 01-08-17 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Sri Amar Nath Singh in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 9 | 1207 | Dinesh Kumar Sharma-II<br>12-12-1958 | 01-08-17 | Consequent to retirement of Sri Shashi Kant Upadhyay on 31-07-2017. | 01-08-17 | Consequent to appointment of Sri Vishesh Sharma in Super Time Pay Scale on 01-08-2017. |
| 10 | 1209 | Roop Chandra Ram<br>04-03-1959 | 01-09-17 | Consequent to appointment of Sri Chandra Bhan-III in Super Time Pay Scale on 01-09-2017. | 01-08-17 | Consequent to Retirement of Sri Shashi Kant Upadhyay on 31-07-2017. |
| 11 | 1210 | Manoj Kumar Rai<br>03-07-1975 | Notionally from 01-09-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to retirement of Sri Rohitash Singh Gangwar on 31-08-2017. | Notionally from 01-10-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Against vacancy dated 01-09-2017 consequent to appointment of Sri Chandra Bhan-III in Super Time Pay Scale on 01-09-2017. |
| 12 | 1213 | Rakesh Kumar Tripathi<br>11-01-1974 | Notionally from 01-10-17 to 19-08-18 Actually from 20-08-18 | Consequent to appointment of Sri Sarvesh Kumar in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. | Notionally from 01-10-17 to 19-08-18 Actually from 20-08-18 | Against vacancy dated 01-09-2017 consequent to retirement of Sri Rohitash Singh Gangwar on 31-08-2017. |
| 13 | 1216 | Ramesh Singh<br>30-12-1964 | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Rama Nand in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Sarvesh Kumar in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. |
| 14 | 1217 | Smt. Anita Raj<br>01-05-1965 | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Ajay Krishna Vishvesha in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Rama Nand in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. |
| 15 | 1218 | Rohit Sinha<br>01-07-1975 | Notionally from 01-10-17 to 19-08-18 Actually from 20-08-18 | Consequent to appointment of Sri Ashok Kumar Singh-III in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. | Notionally from 01-10-17 to 19-08-18 Actually from 20-08-18 | Consequent to appointment of Sri Ajay Krishna Vishvesha in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 16 | 1219 | Shanker Lal<br>01-10-1961 | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Ramesh Gupta in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Ashok Kumar Singh-III in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. |
| 17 | 1220 | Vinod Kumar-IV<br>30-06-1961 | 01-10-17 | Consequent to retirement of Sri Chandra Bhushan Singh on 30-09-2017. | 01-10-17 | Consequent to appointment of Sri Ramesh Gupta in Super Time Pay Scale on 01-10-2017. |
| 18 | 1221 | Narendra Kumar Jha<br>28-07-1975 | Notionally from 01-10-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to retirement of Sri Dharam Raj Mishra on 30-09-2017. | Notionally from 01-10-17 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to retirement of Sri Chandra Bhushan Singh on 30-09-2017. |
| 19 | 1222 | Ashokeshwar Kumar Ravi<br>07-05-1958<br>(Retired on 31-05-2018) | 01-11-17 | Consequent to retirement of Sri Dinesh Chandra Singh on 31-10-2017. | 01-10-17 | Consequent to retirement of Sri Dharam Raj Mishra on 30-09-2017. |
| 20 | 1223 | Bhairav Lal<br>15-01-1960 | 07-11-17 | Consequent to appointment of Sri Surendra Kumar Yadav in Super Time Pay Scale on 07-11-2017. | 01-11-17 | Consequent to retirement of Sri Dinesh Chandra Singh on 31-10-2017. |
| 21 | 1224 | Ram Kripal<br>05-07-1963 | 07-12-17 | Consequent to appointment of Sri Gauri Shanker Gupta in Super Time Pay Scale on 01-12-2017. | 07-11-17 | Consequent to appointment of Sri Surendra Kumar Yadav in Super Time Pay Scale on 07-11-2017. |
| 22 | 1226 | Rakesh Dhar Dubey<br>31-08-1975 | Notionally from 01-12-17 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Sri Rajiv Sharma in Super Time Pay Scale on 01-12-2017. | Notionally from 01-12-17 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Sri Gauri Shanker Gupta in Super Time Pay Scale on 01-12-2017. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 23 | 1228 | Ram Chandra-V 03-02-1961 | 01-01-18 | Consequent to appointment of Sri Lal Chandra-II in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. | 01-12-17 | Consequent to appointment of Sri Rajiv Sharma in Super Time Pay Scale on 01-12-2017. |
| 24 | 1229 | Dr. (Smt.) Vidushi Singh 29-11-1966 | 01-01-18 | Consequent to appointment of Smt. Neerja Singh in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. | 01-01-18 | Consequent to appointment of Sri Lal Chandra-II in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. |
| 25 | 1230 | Ajay Kumar Singh-I 09-02-1977 | Notionally from 01-01-18 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Sri Buddhi Ram in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. | Notionally from 01-01-18 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to appointment of Smt. Neerja Singh in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. |
| 26 | 1231 | Ashok Kumar Premi 18-11-1962 | 01-01-18 | Consequent to appointment of Sri Raghvendra in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. | 01-01-18 | Consequent to appointment of Sri Buddhi Ram in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. |
| 27 | 1233 | Manoj Kumar Singh Gautam 01-11-1973 | Notionally from 01-01-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Arvind Kumar Pandey in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. | Notionally from 01-01-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Raghvendra in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. |
| 28 | 1234 | Nalin Kant Tyagi 07-07-1960 | 01-01-18 | Consequent to retirement of Sri Purnendu Kumar Srivastava on 31-12-2017. | 01-01-18 | Consequent to appointment of Sri Arvind Kumar Pandey in Super Time Pay Scale on 01-01-2018. |
| 29 | 1236 | Adil Aftab Ahmad 02-08-1963 | 01-01-18 | Consequent to retirement of Smt. Poonam Sikand on 31-12-2017. | 01-01-18 | Consequent to retirement of Sri Purnendu Kumar Srivastava on 31-12-2017. |
| 30 | 1237 | Krishna Pal Singh 02-08-1964 | 01-01-18 | Consequent to retirement of Mohd. Rais Siddiqui on 31-12-2017. | 01-01-18 | Consequent to retirement of Smt. Poonam Sikand on 31-12-2017. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 31 | 1238 | Mayank Chauhan 27-10-1975 | Notionally from 19-01-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to death of Sri Ved Pal Singh on 18-01-2018. | Notionally from 19-01-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Against vacancy dated 01-01-2018 consequent to retirement of Mohd. Rais Siddiqui on 31-12-2017. |
| 32 | 1239 | Akhilesh Dubey 25-07-1966 | 01-02-18 | Consequent to appointment of Smt. Alka Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. | 19-01-18 | Consequent to death of Sri Ved Pal Singh on 18-01-2018. |
| 33 | 1240 | Ramesh Chand-I 10-07-1968 | 01-02-18 | Consequent to appointment of Sri Vidya Prakash Pathak in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. | 01-02-18 | Consequent to appointment of Smt. Alka Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. |
| 34 | 1241 | Vivek 02-09-1976 | Notionally from 01-02-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Mohd. Azahar Husain Idrisi in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. | Notionally from 01-02-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Vidya Prakash Pathak in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. |
| 35 | 1242 | Sanjay Kumar-I 17-09-1962 | 01-02-18 | Consequent to appointment of Sri Ram Babu Sharma in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. | 01-02-18 | Consequent to appointment of Sri Mohd. Azahar Husain Idrisi in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. |
| 36 | 1243 | Smt. Reeta Kaushik 01-07-1968 | 01-02-18 | Consequent to retirement of Sri Subhash Chandra Kulshreshtha on 31-01-2018. | 01-02-18 | Consequent to appointment of Sri Ram Babu Sharma in Super Time Pay Scale on 01-02-2018. |
| 37 | 1244 | Mohan Lal Vishwakarma 02-01-1966 | 01-02-18 | Consequent to retirement of Sri Uma Shanker Sharma on 31-01-2018. | 01-02-18 | Consequent to retirement of Sri Subhash Chandra Kulshreshtha on 31-01-2018. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 38 | 1245 | Diwakar Prasad Chaturvedi 08-07-1966 | 05-02-18 | Consequent to death of Sri Ram Chandra-IV on 04-02-2018. | 01-02-18 | Consequent to Retirement of Sri Uma Shanker Sharma on 31-01-2018. |
| 39 | 1246 | Ravindra Kumar-IV 26-11-1971 | Notionally from 01-03-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Shri Nath Singh in Super Time Pay Scale on 01-03-2018. | Notionally from 01-03-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Against vacancy dated 05-02-2018 Consequent to death of Sri Ram Chandra-IV on 04-02-2018. |
| 40 | 1247 | Syed Sarwar Husain Rizvi 20-06-1964 | 01-03-18 | Consequent to retirement of Sri Manohar Lal on 28-02-2018. | 01-03-18 | Consequent to appointment of Sri Shri Nath Singh in Super Time Pay Scale on 01-03-2018. |
| 41 | 1248 | Paras Nath Rai 07-08-1965 | 01-04-18 | Consequent to retirement of Mohd. Ali on 31-03-2018. | 01-03-18 | Consequent to retirement of Sri Manohar Lal on 28-02-2018. |
| 42 | 1250 | Sanjay Singh-I 01-01-1977 | Notionally from 01-06-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Sushil Kumar-II in Super Time Pay Scale on 01-06-2018. | Notionally from 01-06-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Against vacancy dated 01-04-2018 consequent to retirement of Sri Suresh Chandra-IV on 31-03-2018. |
| 43 | 1251 | Bhoo Deo Gautam 20-06-1964 | 01-06-18 | Consequent to appointment of Sri Mushir Ahmad Abbasi in Super Time Pay Scale on 01-06-2018. | 01-06-18 | Consequent to appointment of Sri Sushil Kumar-II in Super Time Pay Scale on 01-06-18 |
| 44 | 1252 | Manoj Kumar Shukla 05-07-1965 | 01-06-18 | Consequent to appointment of Sri Mahtab Ahmad in Super Time Pay Scale on 01-06-2018. | 01-06-18 | Consequent to appointment of Sri Mushir Ahmad Abbasi in Super Time Pay Scale on 01-06-2018 |
| 45 | 1253 | Dhanendra Pratap Singh 12-07-1974 | Notionally from 01-06-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Arun Chandra Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-06-2018. | Notionally from 01-06-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to appointment of Sri Mahtab Ahmad in Super Time Pay Scale on 01-06-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 46 | 1254 | Ram Nagina Yadav 15-07-1966 | 01-06-18 | Consequent to Retirement of Sri Ashokeshwar Kumar Ravi on 31-05-2018. | 01-06-18 | Consequent to appointment of Sri Arun Chandra Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-06-2018. |
| 47 | 1255 | Atul Srivastava 20-07-1967 | 01-07-18 | Consequent to appointment of Sri Surendra Kumar Singh-I in Super Time Pay Scale on 01-07-2018. | 01-06-18 | Consequent to retirement of Sri Ashokeshwar Kumar Ravi on 31-05-2018. |
| 48 | 1256 | Sunil Kumar Mishra 04-10-1959 | 01-07-18 | Consequent to appointment of Sri Vinod Kumar Singh-III in Super Time Pay Scale on 01-07-2018. | 01-07-18 | Consequent to appointment of Sri Surendra Kumar Singh-I in Super Time Pay Scale on 01-07-2018 |
| 49 | 1257 | Kamlesh Dubey 02-07-1960 | 01-07-18 | Consequent to appointment of Sri Harish Kumar Yadav in Super Time Pay Scale on 01-07-2018. | 01-07-18 | Consequent to appointment of Sri Vinod Kumar Singh-III in Super Time Pay Scale on 01-07-2018. |
| 50 | 1261 | Sanjeev Kumar Tyagi 11-03-1970 | Notionally from 01-08-18 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to retirement of Sri Nishes Kumar on 31-07-2018. | Notionally from 01-08-18 to 16-08-18 Actually from 17-08-18 | Consequent to retirement of Sri Rajesh Kumar Singh on 31-07-2018. |
| 51 | 1262 | Dr. Bal Mukund 01-12-1965 | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Vikash Saxena-II on 31-07-2018. | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Nishes Kumar on 31-07-2018 |
| 52 | 1263 | Mohd. Ibrahim 20-07-1960 | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Aftab Alam Khan on 31-07-2018. | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Vikash Saxena-II on 31-07-2018 |
| 53 | 1264 | Birendra Kumar Singh 24-08-1966 | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Ram Karan-I on 31-07-2018. | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Aftab Alam Khan on 31-07-2018. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 54 | 1265 | Ashok Kumar Singh-V 05-07-1963 | Notionally from 01-08-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to retirement of Sri Rama Kant Seth on 31-07-2018. | Notionally from 01-08-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to retirement of Sri Ram Karan-I on 31-07-2018. |
| 55 | 1266 | Rajiv Kamal Pandey 01-02-1974 | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Raj Singh Verma on 31-07-2018. | Notionally from 01-08-18 to 18-08-18 Actually from 19-08-18 | Consequent to retirement of Sri Rama Kant Seth on 31-07-2018. |
| 56 | 1267 | Smt. Alpana 16-10-1966 | 01-08-18 | Due to appointment of Sri Pramod Kumar Sharma in Super Time Pay Scale on 01-08-2018. | 01-08-18 | Consequent to retirement of Sri Raj Singh Verma on 31-07-2018. |
| 57 | 1268 | Mukesh Kumar Singhal 15-08-1964 | 01-09-18 | Due to appointment of Sri Aejaz Ahmad Ansari in Super Time Pay Scale on 01-09-2018. | 01-08-18 | Due to appointment of Sri Pramod Kumar Sharma in Super Time Pay Scale on 01-08-2018. |
| 58 | 1269 | Shesh Mani 01-07-1967 | 01-10-18 | Due to appointment of Sri Neel Kuntha Sahay in Super Time Pay Scale on 01-10-2018. | 01-09-18 | Due to appointment of Sri Aejaz Ahmad Ansari in Super Time Pay Scale on 01-09-2018. |
| 59 | 1270 | Ajay Kumar Srivastava 02-09-1973 | 01-11-18 | Consequent to retirement of Sri Sita Ram Nigam on 31-10-2018. | 01-10-18 | Due to appointment of Sri Neel Kuntha Sahay in Super Time Pay Scale on 01-10-2018. |
| 60 | 1271 | Shamshul Haque 14-06-1967 | 01-11-18 | Due to appointment of Sri Amar Jeet Tripathi in Super Time Pay Scale on 01-11-2018. | 01-11-18 | Consequent to retirement of Sri Sita Ram Nigam on 31-10-2018. |
| 61 | 1272 | Rajendra Prasad Srivastava-III 01-04-1965 | 01-11-18 | Due to appointment of Smt. Jyotsana Sharma in Super Time Pay Scale on 01-11-2018 . | 01-11-18 | Due to appointment of Sri Amar Jeet Tripathi in Super Time Pay Scale on 01-11-2018. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 62 | 1273 | Rupesh Ranjan 11-09-1971 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Tanvir Ahmad in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 01-11-18 | Due to appointment of Smt. Jyotsana Sharma in Super Time Pay Scale on 01-11-2018. |
| 63 | 1274 | Gyanesh Kumar 03-04-1963 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Sanjay Khare in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Tanvir Ahmad in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 64 | 1275 | Smt. Beena Chaudhary 04-05-1962 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Parmanand Shukla in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Sanjay Khare in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 65 | 1277 | Bhagwati Prasad Saxena 23-04-1962 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Mahfooz Ali in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Parmanand Shukla in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 66 | 1278 | Sanjay Kumar Yadav-III 15-02-1970 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Mayank Kumar Jain in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Mahfooz Ali in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 67 | 1279 | Arun Kumar Pathak 30-08-1965 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Manvendra Singh in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Mayank Kumar Jain in Super Time Pay Scale on 22-11-2018 |
| 68 | 1280 | Amar Jeet Verma 01-07-1963 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Vinod Kumar-III in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Manvendra Singh in Super Time Pay Scale on 22-11-2018 |
| 69 | 1281 | Ashish Jain 10-10-1977 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Shiv Shanker Prasad in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Vinod Kumar-III in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 70 | 1282 | Shashi Bhushan Pandey 20-10-1962 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Mukesh Mishra in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Shiv Shanker Prasad in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 71 | 1283 | Randheer Singh 08-08-1967 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri ramesh Chandra-V in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Mukesh Mishra in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 72 | 1284 | Indra Deo Dubey 10-09-1963 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Badam Singh in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Ramesh Chandra-V in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 73 | 1285 | Sunil Kumar Singh-I 01-06-1962 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Vijendar Singh in Super Time Pay Scale on 22-11-2018 . | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Badam Singh in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 74 | 1286 | Badri Vishal Pandey 15-05-1975 | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Satish Kumar-II in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Vijendar Singh in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 75 | 1287 | Jamal Masood Abbasi 06-07-1959 (Retired on 31-07-2019) | 01-12-18 | Due to appointment of Sri Prem Nath in Super Time Pay Scale on 01-12-2018. | 22-11-18 | Due to appointment of Sri Satish Kumar-II in Super Time Pay Scale on 22-11-2018. |
| 76 | 1288 | Kripa Shankar Sharma 01-11-1962 | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. | 01-12-18 | Due to appointment of Sri Prem Nath in Super Time Pay Scale on 01-12-2018. |
| 77 | 1289 | Sanjay Kumar-II 01-11-1966 | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. |
| 78 | 1290 | Vivek Tripathi 05-05-1975 | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Date 04-08-2003. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. |
| 79 | 1291 | Brijendra Kumar Tyagi 13-01-1965 | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Adarsh Kumar Singh Kanaujia on 31-12-2018. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. |
| 80 | 1292 | Shailesh Kumar Tiwari 24-06-1966 | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Sangam Lal on 31-12-2018. | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Adarsh Kumar Singh Kanaujia on 31-12-2018. |
| 81 | 1293 | Rajeev Kumar-III 22-03-1973 | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Lal Mani on 31-12-2018. | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Sangam Lal on 31-12-2018. |
| 82 | 1294 | Surendra Prasad Yadav 01-07-1962 | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Brij Bhushan Yadav on 31-12-2018. | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Lal Mani on 31-12-2018. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 83 | 1295 | Avinash Narain Pandey 02-07-1960 | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Dinesh Kumar Sharma-II on 31-12-2018. | 01-01-19 | Consequent to retirement of Sri Brij Bhushan Yadav on 31-12-2018. |
| 84 | 1298 | Sunil Kumar-V 26-07-1973 | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. |
| 85 | 1299 | Surendra Nath Tripathi 01-07-1964 | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. |
| 86 | 1300 | Mittar Pal Singh 01-07-1966 | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003. |
| 87 | 1301 | Lokesh Rai 31-07-1976 | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Anil Kumar Upadhyay in Super Time Pay Scale on 01-01-2019. | 01-01-19 | In terms of G.O. Dated 18-05-2011 read with G.O. Dated 04-08-2003 |
| 88 | 1302 | Ram Kushal 13-01-1967 | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Surendra Singh-I in Super Time Pay Scale on 01-01-2019. | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Anil Kumar Upadhyay in Super Time Pay Scale on 01-01-2019 |
| 89 | 1303 | Ram Pyare 19-02-1967 | 01-01-19 | Due to appointment of Dr. Ashok Kumar Singh-IV in Super Time Pay Scale on 01-01-2019. | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Surendra Singh-I in Super Time Pay Scale on 01-01-2019 |
| 90 | 1304 | Satya Prakash 14-06-1967 | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Sarvesh Chandra Pandey in Super Time Pay Scale on 01-01-2019 | 01-01-19 | Due to appointment of Dr. Ashok Kumar Singh-IV in Super Time Pay Scale on 01-01-2019. |
| 91 | 1305 | Pradip Singh 31-08-1966 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Sarvesh Chandra Pandey in Super Time Pay Scale on 01-01-2019 |
| 92 | 1306 | Sanjay Hari Shukla 01-07-1971 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-01-19 | Due to appointment of Sri Gajendra Kumar in Super Time Pay Scale on 01-01-2019. |
| 93 | 1307 | Angad Prasad-I 27-05-1964 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 94 | 1308 | Smt. Kumud Pal 25-01-1962 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 95 | 1310 | Krishan Yadav 29-07-1970 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 96 | 1312 | Narendra Bahadur Prasad 08-11-1962 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 97 | 1313 | Devendra Singh-II 13-08-1970 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 98 | 1314 | Smt. Anupama Gopal Nigam 23-04-1967 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 99 | 1317 | Satya Vir Singh Yadav 01-01-1961 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 100 | 1319 | Pramod Kumar-II 13-03-1965 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 101 | 1322 | Dev Raj Prasad Singh 05-10-1967 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 102 | 1323 | Ashwani Kumar Dubey 02-04-1967 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 103 | 1325 | Raj Kumar Bansal 01-07-1963 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 104 | 1326 | Dhruva Kumar Tiwari 15-12-1965 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 105 | 1327 | Raj Bahadur Singh Maurya 21-07-1963 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 106 | 1328 | Jagdish Kumar 11-05-1963 | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 107 | 1329 | Babu Prasad 04-04-1959 (Retired on 30-04-2019) | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 108 | 1330 | Lal Chandra-III 05-06-1959 | 30-01-19 | Due to appointment of Sri Madan Lal Nigam in Super Time Pay Scale on 30-01-2019. | 09-01-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 109 | 1332 | Smt. Brijesh Singh 12-12-1964 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Anoop Kumar Goel in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 09-01-19 | Due to relase of vacancy in Selection Grade Pay Scale consequent to allocation of substantive vacany dated 09-01-2019 in Super Time Pay Scale to Sri Sanjay Kumar Dey. |
| 110 | 1333 | Smt. Renu Rao 15-12-1962 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Nalin Kumar Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 30-01-19 | Due to appointment of Sri Madan Lal Nigam in Super Time Pay Scale on 30-01-2019. |
| 111 | 1334 | Ram Suchit 09-10-1961 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jitender Kumar in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Surendra Prasad (Mishra) in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 112 | 1335 | Mahesh Nautiyal 01-01-1966 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Vivek Kumar Dubey in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Anoop Kumar Goel in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 113 | 1337 | Rajesh Kumar-I 31-07-1962 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Yashwant Kumar Mishra in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Nalin Kumar Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 114 | 1338 | Prabhakar Rao 20-07-1962 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Ram Pal Singh-II in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jitender Kumar in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 115 | 1339 | Suresh Chandra Bharti 20-01-1963 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Pramod Kumar Srivastava-II in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Vivek Kumar Dubey in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 116 | 1340 | Suresh Chandra Arya 01-01-1965 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Raj Narain Pandey in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Yashwant Kumar Mishra in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 117 | 1343 | Suresh Chand-I 01-08-1960 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jai Prakash Singh-II in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Pramod Kumar Srivastava-II in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 118 | 1344 | Jagdish Prasad-IV 15-08-1959 (Retired on 31-08-2019) | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jai Shankar Mishra in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Raj Narain Pandey in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 119 | 1345 | Shambhu Nath 18-02-1961 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Mridulesh Kumar Singh in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Gyan Prakash Tiwari-I in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 120 | 1346 | Rahul Kumar Katyan 03-06-1969 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Shiv Mani Shukla in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jai Prakash Singh-II in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 121 | 1349 | Pawan Pratap Singh 10-07-1965 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Shiv Kumar-I in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jai Shankar Mishra in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 122 | 1350 | Padmakar Mani Tripathi 01-07-1967 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Gulab Singh-I in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Mridulesh Kumar Singh in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 123 | 1351 | Ajay Kumar Tripathi-I 05-07-1961 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Ashwini Kumar Tripathi in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Shiv Mani Shukla in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 124 | 1352 | Zaigam Uddin 01-07-1970 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jitendra Kumar Sinha in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Shiv Kumar-I in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 125 | 1353 | Km. Rekha Agnihotri 20-04-1968 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Vivek Sangal in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Gulab Singh-I in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 126 | 1355 | Rakesh Kumar Shukla 15-07-1964 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Abdul Shahid in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Ashwini Kumar Tripathi in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 127 | 1356 | Chandra Bhanu Singh 01-07-1963 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Gaurav Kumar srivastava in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Jitendra Kumar Sinha in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 128 | 1357 | Vipin Kumar-I 18-08-1967 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Rajat Singh Jain in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Vivek Sangal in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 129 | 1358 | Km. Aradhana Rani 06-06-1968 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Sanjeev Fauzdar in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Abdul Shahid in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 130 | 1359 | Dharni Dhar Ojha 01-07-1963 | 01-02-19 | Due to retirement of Sri Mahanth Lal on 31-01-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Gaurav Kumar Srivastava in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 131 | 1360 | Arbind Kumar Upadhyay 01-07-1966 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Santosh Rai in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Rajat Singh Jain in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 132 | 1361 | Peeush Pandey 20-10-1972 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Tej Pratap Tiwari in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Sanjeev Fauzdar in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 133 | 1363 | Rajeshwar Shukla 17-01-1966 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Sandeep Jain in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Santosh Rai in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 134 | 1364 | Smt. Rajani Singh 05-10-1970 | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Avnish Saxena in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Tej Pratap Tiwari in Super Time Pay Scale on 01-02-2019 |
| 135 | 1365 | Satya Nand Upadhyaya 01-01-1967 | 01-03-19 | Due to appointment of Sri Anil Kumar-X in Super Time Pay Scale on 01-03-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Virjendra Kumar Singh in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 136 | 1366 | Rajesh Upadhyay 11-11-1969 | 01-03-19 | Due to appointment of Sri Ashok Kumar Singh-VII in Super Time Pay Scale on 01-03-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Sandeep Jain in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 137 | 1367 | Vinod Kumar Singh-IV 01-07-1964 | 01-03-19 | Due to appointment of Sri Anil Kumar Jha in Super Time Pay Scale on 01-03-2019. | 01-02-19 | Due to appointment of Sri Avnish Saxena in Super Time Pay Scale on 01-02-2019. |
| 138 | 1368 | Anil Kumar Pandey 11-01-1963 | 01-04-19 | Due to retirement of Sri Chandra Pal Singh on 31-03-2019. | 01-03-19 | Due to appointment of Sri Anil Kumar-X in Super Time Pay Scale on 01-03-2019. |
| 139 | 1369 | Narendra Kumar Pandey 12-06-1970 | 01-04-19 | Due to retirement of Sri Roop Chandra Ram on 31-03-2019. | 01-03-19 | Due to appointment of Sri Ashok Kumar Singh-VII in Super Time Pay Scale on 01-03-2019. |
| 140 | 1370 | Jagannath Mishra 02-12-1961 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-03-19 | Due to appointment of Sri Anil Kumar Jha in Super Time Pay Scale on 01-03-2019. |
| 141 | 1371 | Sanjay Kumar-III 21-07-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 08-03-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 142 | 1372 | Ravindra Kumar-II 10-05-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | Due to retirement of Sri Chandra Pal Singh on 31-03-2019. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 143 | 1373 | Rajendra Prasad Tripathi 01-12-1969 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | Due to retirement of Sri Roop Chandra Ram on 31-03-2019. |
| 144 | 1374 | Mahendra Singh-III 05-10-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 145 | 1375 | Budhi Sagar Mishra 15-08-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 146 | 1377 | Umesh Prakash 02-12-1960 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 147 | 1378 | Rajesh Kumar Rai 01-04-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 148 | 1379 | Arvind Kumar Srivastava 19-11-1965 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 149 | 1380 | Smt. Reeta Gupta 04-09-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 150 | 1381 | Shiva Nand Singh 03-03-1964 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 151 | 1382 | Mohd. Asharaf Ansari 28-06-1969 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 152 | 1383 | Smt. Chandra Sheela<br>16-01-1964 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 153 | 1384 | Ahmad Ullah Khan<br>01-06-1967 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 154 | 1385 | Ram Sudh Singh<br>10-09-1963 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 155 | 1387 | Digvijay Nath<br>31-07-1959 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 156 | 1388 | Virendra Kumar Pandey<br>01-09-1965 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 157 | 1389 | Anil Kumar Vashistha<br>01-06-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 158 | 1390 | Ram Ichchhuk Yadav<br>01-12-1962 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 159 | 1392 | Ved Prakash Verma<br>25-07-1969 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 160 | 1393 | Jagdish Prasad-V<br>03-03-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 161 | 1394 | Shakeel-Ur-Rahman<br>01-01-1967 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 162 | 1395 | Rama Shanker<br>28-07-1962 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 163 | 1396 | Yogendra Ram Gupta<br>01-12-1961 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 164 | 1397 | Mohd. Rizwanul Haque<br>20-06-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 165 | 1398 | Phool Chand Patel<br>19-06-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 166 | 1399 | Shahid Raza<br>15-06-1967 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 167 | 1400 | Ramayan Sharma<br>13-01-1964 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 168 | 1403 | Veer Kanedi Lal<br>12-05-1969 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 169 | 1404 | Sudhir Kumar-IV<br>15-03-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 170 | 1406 | Jamshed Ali<br>04-01-1970 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 171 | 1407 | Surya Prakash Sharma<br>03-05-1964 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 172 | 1408 | Rajendra Singh-IV<br>10-08-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 173 | 1409 | Udai Pratap Singh<br>01-07-1967 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 174 | 1411 | Chhatradhari Singh Yadav<br>01-12-1959 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 175 | 1412 | Ram Lakhan Singh Chandraul<br>05-04-1960 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 176 | 1413 | Vishambhar Prasad<br>15-10-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 177 | 1414 | Bans Bahadur Yadav<br>10-12-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 178 | 1416 | Mahendra Nath<br>15-07-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Sri/Smt.-* | | | | |
| 179 | 1418 | Prithvi Pal Yadav 01-11-1963 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 180 | 1419 | Ram Kesh 08-12-1968 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 181 | 1420 | Ashutosh-I 30-05-1960 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 182 | 1421 | Anand Prakash-II 13-07-1964 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 183 | 1422 | Ajai Krishna 07-03-1966 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 184 | 1423 | Kiran Pal Singh 01-01-1970 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 185 | 1424 | Ram Chandra-VI 10-12-1960 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |
| 186 | 1425 | Gobari Prasad 05-06-1963 | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. | 01-04-19 | In terms of Rule 27 of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975. |

By order of the Court,
ASHISH GARG,
*Registrar General.*

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 5 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 15, 1943 शक संवत्)**

**भाग-4**

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

### कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

02 जून, 2021 ई0

सं0 परिषद-9/51–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 9 व 10) हेतु–प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, एन0सी0सी0 तथा इण्टरमीडिएट (कक्षा 11 व 12) हेतु एन0सी0सी0 का पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है। उक्त विषयों के पाठ्यक्रम कक्षा–9 तथा कक्षा–11 में शैक्षिक सत्र 2021–2022 से प्रभावी होंगे।

**हाईस्कूल (कक्षा–9)**

**विषय–प्लम्बर**

**उद्देश्यः–**

1–छात्रों को प्लंबिंग ट्रेड के महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी देना।

2–छात्रों को प्लंबिंग कार्यों के निष्पादन की मूल प्रक्रिया और सामग्री चयन की जानकारी देना।

3–छात्रों को सुरक्षा एवं सावधानियाँ की जानकारी देना।

4–छात्रों में व्यवसाय के प्रति रूचि पैदा करना।

5–छात्रों में उद्यमिता गुणों का विकास करना एवं उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।

**रोजगार के अवसरः–**

1–प्लंबर/पाइप फिटर के रूप में रोजगार।

2–स्वतः रोजगार या नलकार के रूप में कार्य करना।

3–पाइप और पाइप फिटिंग एवं सैनिटरी फिटिंग के विक्रेता के रूप में कार्य करना।

4–पेट्रोल पंप, ईधन आपूर्ति प्रणाली में इरेक्टर के रूप में कार्य करना।

5–ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में कार्य करना।

## सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

**पूर्णांकः 50 अंक**

**इकाई–1–उद्यमिता एवं स्वरोजगार–** 5 अंक

उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता की परिभाषा, उद्यमी के गुण एवं विकास, लघु उद्योग स्थापित करने का कार्य पद, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता की जानकारी, स्वरोजगार के लिए परियोजना प्रस्ताव बनाना, विभिन्न स्व रोजगार योजनाओं का परिचय।

**इकाई–2–प्लंबिंग का महत्व–** 5 अंक

प्लंबिंग का इतिहास, घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में प्लंबिंग का महत्व, जलापूर्ति, सिंचाई, ईधन, गैस आपूर्ति, सीवेज डिस्पोजल, वर्षा जल संरक्षण तथा स्नान गृह, शौचालय एवं ए0सी0 लगाने में प्लंबिंग कार्यों की उपयोगिता, वायरिंग तथा द्रव प्रवाह में प्लंबिंग का महत्व, उदाहरण तथा केस स्टडी। कृषि कार्यों में तथा फायर ब्रिगेड कार्यों में प्लंबिंग कार्य, वाटर स्प्रिंकलर के कार्य। प्लंबिंग का भविष्य जल संरक्षण एवं ग्रीन प्लंबिंग।

**इकाई–3–सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार–** 5 अंक

दुर्घटना का अभिप्राय, दुर्घटना के सामान्य कारण एवं बचाव, प्लंबिंग कार्य के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा औजारों की सुरक्षा तथा मशीनों की सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा के सामान्य नियम, विद्युत, अग्नि से सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रों की जानकारी एवं कार्य गैस रिसाव में सुरक्षा नियम सुरक्षा ड्रेस प्राथमिक उपचार, कृत्रिम श्वसन की विधियां।

**इकाई–4–प्लंबिंग कार्य के पदार्थ एवं सामग्री–** 10 अंक

प्लंबिंग व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का वर्गीकरण, लौह एवं अलौह धातु, मिश्रधातु, टिंबर, प्लास्टिक आदि की किस्म, पहचान एवं विशेषताएं, उनके उपयोग तथा चयन के कारक। विभिन्न प्रकार के पाइप एवं टयूब प्रयुक्त सामग्री का वर्णन एवं उपयोग–लौह पाइप, ढलवा लोहा पाइप, जी आई पाइप, लेड पाइप, तांबे का पाइप, एल्यूमिनियम पाइप, एस्बेस्टस पाइप, कंक्रीट पाइप, प्लास्टिक पाइप आदि, गास्केट, सीमेंट, श्वेत सीसा तथा पैकिंग सामग्री जैसे धागा, टेप, जूट आदि की संक्षिप्त जानकारी तथा उपयोग।

**इकाई–5–पाइप फिटिंग एवं संयोजक–** 15 अंक

लंबाई बढ़ाने वाले संयोजक–सॉकेट, फलैंज, कपलिंग, निपुल, दिशा परिवर्तन करने वाले संयोजक– एल्बो, बेंड, रेडियस, ब्रांच लाइन वाले संयोजक– क्रॉस, टी, वाई आदि साइज परिवर्तन करने वाले संयोजक जैसे रिड्यूसर, लाइन अवरोधक जैसे प्लग, कैप आदि की बनावट, उपयोग, पहचान का संक्षिप्त विवरण।

**इकाई–6–प्रवाह नियंत्रक–** 10 अंक

विभिन्न प्रकार के वाल्व एवं कॉक, टोंटी, फायर हाइड्रेंट, और रिलीफ वाल्व, चेक वाल्व की पहचान एवं लगाने का तरीका। उनकी जांच करना, मरम्मत करना तथा अनुरक्षण। जल वितरण प्रणाली तथा गंदे जल निकासी प्रणाली का अध्ययन।

## प्रयोगात्मक कार्य

**पूर्णांक 50 अंक**

1–प्राथमिक उपचार में पट्टी बांधने का अभ्यास तथा कृत्रिम श्वसन देने का अभ्यास।

2–प्लंबिंग ड्रॉइंग पढ़ना।

3–किसी जांच की लंबाई, मोटाई चौड़ाई तथा गोलाई ज्ञात करना।

4–मृदु इस्पात के टुकड़े को दिए गए साइज में हेक्सा से काटना तथा चिपिंग करना।

5–जॉब में 10 एमएम का ड्रिल से छेद करना तथा आंतरिक चूड़ी काटना।

6–जी आई पाइप पर चूड़ी बनाना तथा साकेट कसना।

7–जी आई पाइप को बंकन मशीन पर मोड़ने का अभ्यास।

8–गंदे जल की निकासी के लिए पाइप को सीवर से जोड़ना।

9–नया पाइप कनेक्शन बनाना तथा उसमें टोंटी लगाना।

10–वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए पाइप फिटिंग करना।

11–पाइप में लीकेज की मरम्मत करना।

12–पी वी सी पाइप फिटिंग का प्रयोग करना।

13–प्लंबिंग के औजारों की मरम्मत करना।

14–साधारण जोड़ बनाना।

## संस्तुत पुस्तकों की सूची

1–कार्यशाला तकनीकी लेखक आर के लाल।

2–वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लेखक एस के हाजरा

3–वर्कशॉप ट्रेनिंग मैनुअल केटप्शन पब्लिशर्स लुधियाना।

4–Manual on workshop practice by K Venkata Reddy New Delhi

5–वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लेखक बी एस रघुवंशी

6–वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लेखक एचएस बावा टाटा माग्रो हिल पब्लिशर्स न्यू दिल्ली

7–वर्कशॉप इंजीनियरिंग लेखक जेबी जिंद औलिया

8–सैनिटेशन इंजीनियरिंग लेखक मनीष सिसोदिया

9–प्लंबिंग डिजाइन प्रैक्टिस लेखक एस जी देवल लिकर

## औजारों और उपकरणों की सूची

1. Rule Steel 300 mm both in inch and mm
2. Rule Wooden 4 fold, 600 mm
3. Hacksaw Frame adjustable for 250 to 300 mm
4. Scriber 200 mm
5. Centre punch 100 mm
6. Chisel Cold, flat 20 mm
7. Hammer ball peen 800 grams
8. Hammer ball peen 50 grams
9. File flat rough 300 mm
10. Levl spirit wooden 300 mm
11. Plumb bob 50 grams
12. Trowel C-125-IS: 6013
13. Still son wrench 200 & 350 mm
14. Scre Driver 250 mm
15. Wooden Mallet small IS: 2022
16. Cutting pliers 200 mm IS: 3650
17. Steel tape (5m)

18. Surface plate 400×400 mm Grade
19. Marking Table 900×600×900 mm
20. 'V' Blocks with clamps 80/7-63A IS 2949
21. Combination set 200 mm
22. Universal Scribing Block 300 mm
23. Hand Vice Jaw 50 mm
24. File flat Smooth 200 mm
25. File Half Round Rough 300 mm
26. File Square rough 250 mm
27. File Square Smooth 200 mm
28. File Triangular Rough 250 mm
29. Chisel Cold Flat 20 mm×300 mm
30. Chisel Cross Cut 6×150 mm IS-402
31. Top and tap wrench
32. Screw pitch gauge
33. Hand hacksaw frame 300 mm
34. Spanner monkey up to 50 mm
35. Soldar Iron and bit 5Nos
36. Pipe Cutter wheel type 6mmto 25mm
37. Snip Straight and bent 250 mm
38. Try square 200 mm
39. Inside and outside Calliper 150 mm
40. Tenon saw, Hand Saw
41. Mortise, Firmer Chisel 6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,25mmEach
42. Mallet Medium IS: 2922
43. Blow lamp 500 millilitre
44. Scribing gauge
45. Soil pot with brush
46. D.E. Spanners 6mm to 32mm IS:2028
47. Bending Spring
48. Plumbers Ladle
49. Caulking Toll
50. Pipe Die and Die stock (1/4" to $2^{1/2}$") with complete set
51. Pipe vice up to 75 mm IS-2587
52. Still son pattern pipe wrenches 450 mm IS-4003
53. Chain pipe wrench 90mm-650 is 4123
54. Adjustable spanner 12" IS-6149
55. Pipe bender manually operated

56. Drill Twist (straight shank) 1.5 mm to 13mm

57. Wash Basin (16" ×14"×10")

58. Water closet (European type p) complete with over head cistern

59. Urinal wall type complete with automatic system

60. Water meter

61. Fire Extinguisher (CO2 and DCP)

62. Fire Buckets with stand

63. Pedestalgromder machine

64. Leg vice 75mm jaw with Stand IS-2588

65. Hand drill machine up to 13mm capacity with drill chuck (Electric)

66. Working bech 2400×1200×750mm with 4 voice 125 mm jaws

67. Double face hammers

**Desirable Qualification of teachers:**

Passed ITI with National Craft Instructor training Couse in same OR relevant trade/ Three years Diploma in Mechanical engineering

BED will not be essential for These leactures.

**हाईस्कूल (कक्षा–9)**

**विषय–इलेक्ट्रीशियन**

**उद्देश्यः–**

1–छात्रों में उद्यमिता गुणों का विकास करना।

2–छात्रों को आगे चलकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।

3–छात्रों को व्यवसाय की ओर रूचि पैदा करना।

4–छात्रों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी देना।

5–छात्रों को इलेक्ट्रीशियन कार्यों के निस्पादन के मूल प्रक्रिया, औजार एवं सामाग्री के चयन की जानकारी देना।

6–छात्रों को कार्य करते समय सुरक्षा नियमों की जानकारी देना।

**रोजगार के अवसरः–**

1–विभिन्न प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रीशियन एवं वायरमैन के रूप में।

2–विद्युत मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन के रूप में।

3–विद्युत सम्बन्धित स्वयं का व्यवसाय (विद्युत की दुकान)।

**सैद्धान्तिक पाठयक्रम**

**पूर्णांकः 50 अंक**

**इकाई–1.** **05 अंक**

उद्यम, उद्यमी एवं उद्यमिता की परिभाषा, उद्यमी के गुण एवं विकास, लघु उद्योग स्थापित करने के पद, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सहायता, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी।

**इकाई–2.** **05 अंक**

दुर्घटना की परिभाषा, दुर्घटना के कारण तथा बचाव, सुरक्षा के मूल नियम, विद्युत के कार्य करने में व्यक्तिगत सुरक्षा एवं उपकरणों की सुरक्षा, सुरक्षा उपस्कर, सुरक्षा पोस्टर, सुरक्षा नियमावली, प्राथमिक उपचार, डैन्जर वार्निंग, अग्नि से सुरक्षा, विद्युत से लगने वाली अग्नि को बुझाना, अग्नि शमन यंत्र, कृत्रिम स्वशन की सक्षिप्त जानकारी।

**इकाई–3** **10 अंक**

विद्युत के मूल सिद्धान्त, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विभवान्तर, विद्युत वाहक बल, सेल एवं बैट्री, बैट्री चार्जिंग के प्रकार, विद्युत उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था की सक्षिप्त जानकारी, प्रतिरोध, प्रतिरोध के सामान्य नियम, चालकता, विशिष्ठ प्रतिरोध, अच्छे चालक के गुण, मुख्य रूप से उपयोग में आने वाले चालक पदार्थों के नाम एवं उनके सामान्य गुण सामान्यतः उपयोग में आने वाले प्रतिरोधक पदार्थ तथा उनका उपयोग, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रारम्भिक ज्ञान इनका दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग जैसे– हीटर, गीजर, विद्युत केतली, प्रेस आयरन आदि के रूप में।

**इकाई–4 विद्युत यंत्र –** **05 अंक**

धारामापी, वोल्टतामापी, वाट मीटर, ऊर्जा मापी का प्रारम्भिक ज्ञान एवं मापन में इनका उपयोग, विद्युत ऊर्जा का मापन एवं घरेलू विद्युत खपत की लागत की गणना। विद्युत खपत की गणना, विद्युत ऊर्जा (किलोवाट घण्टा) एवं कामर्शियल यूनिट में सम्बन्ध।

**इकाई–5** **10 अंक**

चालक, कुचालक पदार्थ, चुम्बकीय पदार्थ, इनकी पहचान गुण एवं उपयोगिता, लौह एवं अलौह धातुएं तथा इनके यान्त्रिक एवं विद्युततीय गुण, वायरिंग सामग्री, तार एवं केबिल तथा उनके अन्तर, घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाले तार के प्रकार।

**इकाई–6. विद्युत कार्यों में प्रयुक्त औजार एवं उपकरण–** **05 अंक**

संयुक्त प्लायर नोज प्लायर, स्क्रूडाइवर, नियान टेस्टर, ड्रिल मशीन, इनकी पहचान एवं उपयोग।

**इकाई–7** **10 अंक**

**विद्युत संकेत–** **05 अंक**

धारामापी, वोल्टता मापी, शक्ति मापी, ऊर्जा मापी, एक मार्गीय स्विच, द्विमार्गीय स्विच, 5 एम्पीयर स्विच, 15–एम्पीयर स्विच, 5– एम्पीयर 3 पिन साकेट, 15 एम्पीयर 3 पिन साकेट, विद्युत घण्टी, विद्युत लैम्प, ट्यूबलाइट, बजर, पंखा, ए0सी0 एवं डी0सी0 का तरंग रूप, विद्युत जनित परिमाणित्र प्रत्यावर्तक आदि।

**घरेलू वायरिंग** **05 अंक**

वायरिंग सामग्री, वायर के प्रकार जैसे– स्विच साकेट, होल्डर, सीलिंग रोज, स्विच बोर्ड आदि एवं इनकी विशेषतां, भारतीय विद्युत नियम, भू–सम्बन्धन की परिभाषा एवं इसके प्रकार, घरेलू वायरिंग में किन किन बिन्दुओं का भू–सम्बन्धन किया जाना चाहिए।

## प्रयोगात्मक कार्य

**पूर्णांक 50 अंक**

1–विद्युत उपकरणों की पहचान एवं परिपथ में सम्बन्धन।

2–एम्पीयर मीटर एवं वोल्ट मीटर की सहायता से किसी कार्यभार की धारा एवं वोल्टता मापन।

3–घरेलू वायरिंग में ऊर्जा मापी का किसी कार्यभार के साथ संयोजन।

4–एक श्रेणी क्रम एवं एक समान्तर क्रम में लैम्प होल्डर एवं एक साकेट बिन्दु से निर्मित इक्सटेंशन बोर्ड बनाना।

5–प्रतिरोधों का श्रेणी और समान्तर क्रम में संयोजन एवं समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना।

## पुस्तकों की सूची

1–सामान्य अभियांत्रिकी अवयव– द्वारा जे0के0 कपूर

प्रकाशन – भारत भारती प्रकाशन एण्ड कम्पनी वेस्टर्न कचहरी रोड मेरठ– 250001

2–विद्युत अभियंत्रण के अवयव– द्वारा डा0 टी0 डी0 विस्ट।

3–विद्युत लागत एवं आगणन– द्वारा डा0 टी0 डी0 विस्ट।

प्रकाशन – किशोर पब्लिशर्स 159–B आजाद नगर, साऊथ मलाका, इलाहाबाद–211003

4–विद्युत तकनीकि– द्वारा सिंह एण्ड हरजाह

प्रकाशन–यूनीटेक पब्लिशर्स राधाकृष्ण मिशन मार्ग, अमीनाबाद, लखनऊ–226001

**उपकरण–**

1–वोल्टमीटर
2–वाट मीटर
3–मेगर
4–एम्पीयर मीटर
5–Earth Tester (अर्थ टेस्टर)
6–मल्टीमीटर
7–टांगर टेस्टर (Avo meter)

**औजार–**

1–संयुक्त प्लायर
2–नोज प्लायर
3–पेंचकस
4–हैन्ड ड्रिल
5–पोकर
6–नियान टेस्टर
7–हेक्सा
8–हैमर
9–टेस्टिंग लैम्प
10–छोटी रेती

## शिक्षकों की अर्हता

डिप्लोमा इन इलैक्ट्रीकल इंजीरियरिंग, बी0एड0 की आवश्यकता नहीं हैं।

## आपदा प्रबन्धन

## कक्षा–9

**उद्देश्य–**

1–स्कूल पर विभिन्न आपदाओं के विषय में जागरूकता प्रदान करना।
2–किसी भी आपदा के घटने पर विद्यार्थीयों को स्वतः बचाव कार्य में मद्द करने के लिए तैयार रहना।
3–स्कूल स्तर पर मॉडल आपदा प्रबन्धन प्लान के बारे में अवगत होना।
4–**रोजगार के अवसर–** इस पाठ्यक्रम से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं एन0जी0ओ0 में सहायक के पद पर अवसर प्राप्त होता है।

## सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

**पूर्णांकः 50 अंक**

**इकाई–1** **5 अंक**

**परिचय–**आपदा का तात्पर्य, भारत एवं विश्व में घटित आपदायें एवं परिस्थितियाँ, नुकसान, मुख्य आपदाओं के उदाहरण, भारत सरकार द्वारा संचालित आपदा संबंधित कार्यों की जानकारी, प्राकृतिक आपदा राहत कोष एवं आपदा नियंत्रण बोर्ड के कार्य।

**इकाई–2** **5 अंक**

. आपदा की परिभाषा, किस्म–प्राकृतिक एवं मानवजनित अति– संवेदनशील आपदायें उनके कारण, असुरक्षित दशायें, जोखिम, आपदाओं का वर्गीकरण (भूगर्भीय जोखिम, जल एवं जलवायु सम्बंधित जोखिम, पर्यावरण सम्बंधित जोखिम, रासायनिक, परमाणु, औद्योगिक जोखिम एवं दुर्घटना आदि, उदाहरण एवं व्याख्या)

**इकाई–3** **15 अंक**

विभिन्न प्रकार की आपदाओं का विस्तृत वर्णन– भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी, भूक्षरण एवं भू स्खलन, बवंडर, तूफान, आंधी, शीत एवं ग्रीष्म वायु, ओला वृस्टि, महामारी कारण एवं लक्षण, प्रभाव क्षेत्र, पैटर्न, परिणाम आदि की उदाहरण सहित व्याख्या।

**इकाई–4** **15 अंक**

**मानवजनित आपदाः–** दुर्घटना जनित, नाव, सड़क, रेल, वायुयान, समुद्री वाहन, व जंगल एवं बस्ती की आग, बिलडिंग का गिरना, स्टेंम्पीड़ (भगदड़), रेडियो एक्टिव प्रदूषण, आतंकवादी हमला, युद्ध बायोटेरजम, विद्युतीय, विषक्तीकरण, महामारी आदि की दशाएं, प्रमुख घटनाएं, प्रभाव, औद्योगिक गतिविधियां।

**इकाई–5** **10 अंक**

**आपदा नियंत्रणः–** पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव की योजना, तैयारी, विभिन्न आपदाओं के समय किये जाने वाले एवं न किये जाने वाले कार्य, बचाव के उपाय, आपदा की मापन, इकाई मैपिंग एवं मूल्यांकन, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी, नियंत्रण की स्थापना।

**प्रयोगात्मक विषय (Practical)–** **50 अंक**

प्रयोग–1: वायुमण्डीय दाब मापना

प्रयोग–2: आर्द्रता **(Humidity)**मापना

प्रयोग–3: तापक्रम मापना, मानव एवं विवरण

प्रयोग–4: वायु–वेग एवं वायु दिशा मापना एवं विवरण

प्रयोग–5: आपदा सुरक्षा उपकरणों का अध्ययन

**संस्तुत पुस्तकें–**

1–आपदा एवं आपदा प्रबन्धन– महेश कुमार

2–Disastar Management- Dr. I.Sundar

3-Disastar Management- IGNOU Help Book

4-Environment and Disater Management- Vijram and Ravi (IAS)

5-Together Together a Saber India-

6-Natural Hazards and Disastar Management By – B.C. Jat

7-Natural Hazards and Disastar Management By – R.B. Singh

8-Disastar Management – By Sulphey M.M.

9-Disastar Management- Harsh K. Gupta

10-Disastar Management- Marinalini Panday

11-Disastar Management- S. Mukherjee

**उपकरणों की सूची–**

1–विभिन्न प्रकार के अग्नि समक यंत्र(Cylinder) – 1 नग

2–प्राथमिक उपचार बाक्स– 3 नग

3–कम्बल–2 नग

4–सीढ़ी–1 नग

5–बालू की बाल्टी– 3 नग

6–स्ट्रेचर–1 नग

7– रस्सी– 1 गठ्ठर

8– हथौड़ी– 2 नग

9– एक्मकेवेटर–1 नग

10– सीढ़ी–1 नग

11– डम्पर–2 नग

**शिक्षकों की अर्हता:–**

आपदा प्रबन्ध में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बी0एड0 की आवश्यकता नहीं है।

## सोलर सिस्टम रिपेयर

**उद्देश्य–**

छात्रों में उद्यमिता के गुणों का विकास करना।

छात्रों को आगे चलकर स्वरोजगार के ओर प्रेरित करना।

छात्रों का व्यवसाय की ओर रूचि पैदा करना।

छात्रों का सौर ऊर्जा के महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी देना।

छात्रों को सोलर–सिस्टम के रख रखाव एवं औजार सम्बन्धी सामग्री के चयन की जानकारी देना।

छात्रों को कार्य करते समय सुरक्षा नियमों की जानकारी देना।

छात्रों में कार्य संस्कृति के प्रति आदर का भाव पैदा करना।

छात्रों को सौर ऊर्जा एवं फोटोवोल्टायिक तकनीकी एवं उपकरणों की जानकारी देना।

छात्रों को सोलर ऊर्जा के घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग की जानकारी देना।

छात्रों को सौर ऊर्जा प्रणाली की संस्थापन, अनुरक्षण की जानकारी देना।

**रोजगार के अवसरः–**

सोलर सिस्टम के विक्रेता/उपकरणों के विक्रेता के रूप में।

सोलर संयन्त्रों के स्थापन, रिपेयरिंग एवं अनुरक्षक के रूप में।

रिपेयर वर्कशाप संचालक के रूप में।

शोरूम संस्थापक के रूप में।

## सोलर सिस्टम रिपेयर

**कक्षा–9** **पूर्णांक–50**

**इकाई–1 उद्यमिता विकास** **(05)**

उद्यम, उद्यमी एवं उद्यमिता की परिभाषा, उद्यमी के गुण एवं विकास, लघु उद्योग, स्थापित करने के पद, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी।

**इकाई–2 दुर्घटना, सुरक्षा उपाय एवं प्राथमिक उपचार** **(05)**

दुर्घटना की परिभाषा, कारण तथा बचाव, व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षा के मूल नियम, अग्नि से सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र, विद्युत से सुरक्षा, सीढ़ियों के सुरक्षित उपयोग, ऊचाई की जगह पर कार्य करने में सुरक्षा, सेफ्टी बेल/ड्रेस, प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम श्वसन की जानकारी।

**इकाई–3 विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स के मूल सिद्धांत** **(05)**

वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध आदि मात्रकों की परिभाषा एवं इकाई, मापन, डी0सी0 एवं ए0सी0पावर, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा एवं गणना, सौर विकिरण, नेट मीटरिंग, विद्युतीय एवं गैर विद्युतीय मात्रकों का मापन।

विद्युत के उत्पादन के विभिन्न तरीके (हाइड्रो, थर्मल, न्युक्लियर, सौर एवं पवन ऊर्जा आदि), विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक अवयवों के संकेत, विद्युत परिपथ (ए0सी0 एवं डी0सी0) परिचय सामानय गणना (अवरोधो के)

**इलेक्ट्रानिक्स के मूल सिद्धांत**–चालक, कुचालक, अर्धचालक का परिचय के सोलर प्रणाली में लगने वाले कम्पोनेंट–कार्य, पहचान, संकेत एवं परिक्षण, तार एवं केबिल के किस्म तथा पदार्थ, वायरिंग के प्रकार, सामग्री वायन साइजिंग, जक्शन वाक्स, केबलिंग, ऐरे कम्बाइनर वाक्स, अर्थिंग महत्व एवं किस्में। वायरिंग के दोष, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

**इकाई–4 सौर ऊर्जा एवं सोलर पैनेल** **(15)**

सौर ऊर्जा का परिचय, उपलब्धता, तीव्रता, रिकाडिंग उपयोग। फोटोवोल्टापिक सेल का परिचय, रूपान्तरण (फोटोवोल्टायिक) लाभ–हानि, सोलर सेल के प्रकार, विभिनन यंत्रों में प्रकार, सोलन पैनेल फोटोवोल्टायिक ऐरे (Array) का कनेक्शन (लोड के अनुसार), फोटोवोल्टायिक माड्यूल एवं कनेक्शन की जानकारी। दोष (फॉल्ट)– कारण, मरम्मत एवं अनुरक्षण

**इकाई–5 सोलर चार्ज कन्ट्रोलर, बैटरी, इनवर्टर** **(10)**

**सोलर चार्ज कन्ट्रोलर**–परिचय, प्रकार (पल्स विड्य माड्यूलेसन, मैक्सिमम पावर प्वाइण्ट ट्रैकिंग) कार्य सिद्धान्त उपयोग

**बैटरी**–कार्य एवं प्रकार, संयोजन, पैरामीटर, फोटोवोल्टायिक सिस्टम के लिए बैटरी का चयन, चार्जिंग, टेस्टिंग एवं इंस्टालेशन की संक्षिप्त जानकारी

**इनवर्टर**– कार्य एवं अवयव, उपयोग कंट्रोलर, बैटरी एवं इनवर्टर के दोष, रखरखाव एवं कार्य–सावधानियां

**इकाई–6 इंस्टालेशन एवं ट्रबलशूटिंग** **(10)**

स्टैण्डअलोन एवं पी0वी0 सोलर सिस्टम का इंस्टालेशन एवं बाधा–खोज (ट्रबलशूटिंग), अनुरक्षण–दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक कार्य पुर्जों को बदलना एवं री असेम्बली

**<u>पुस्तकों की सूची</u>**

1–बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग–वी.के.मेहता

2–बेसिक इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग– वी.के.मेहता

3–सोलर एनर्जी– एस.पी.सुखाल्में, जे.के.नायक

4–औद्योगिक सुरक्षा– राठौड़, चंगेरिया

5–उद्यमिता एवं स्वतः रोजगार– आर.के.लाल

**प्रयोगात्मक कार्य**

**पूर्णांक–50**

1–सुरक्षा उपकरणों का अध्ययन

2–प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम श्वसन का अभ्यास

3–विद्युत परिपथ में विभव, धारा एवं प्रतिरोध मापन

4–अर्थिंग करना।

5–इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेंट का परीक्षण करना।

6–फ्लोरोसेंट लैम्प का कनेक्सन एवं ऊर्जा का मापन।

7–समान्तर विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं करेंट मापना।

8–फोटोवोल्टायिक सेल के वोल्टेज का मापन।

9–बैटरी को समान्तर एवं श्रेणी क्रम में जोड़ना।

10–सोलर पी0वी0 सेल को जोड़कर बल्ब जलाना।

11–इन्वर्टर की सफाई एवं ओवरहालिंग करना।

12–बैटरी की टेस्टिंग करना तथा चार्जिंग करना।

13–चार्ज कंट्रोलर का अध्ययन एवं चित्रण।

14–इनवर्टर कनेक्शन करना।

15–इनवर्टर आउटपुट को मापना।

**औजारों और उपकरणों की सूची**

– इलेक्ट्रिकल टेस्टर
– प्लामर
– स्क्रू ड्राइवर
– स्पैनर
– स्ट्रीपर एवं कटर
– सोल्डरिंग
– हैकसा
– हैमर
– मेजरिंग टेप
– अमीटर
– वोल्टमीटर
– वाटमीटर
– मल्टीमीटर
– मेगर
– हाइड्रोमीटर
– सोल इनसुलेशन मीटर
– सन साइन रिकार्डर
– सोलर पैनल
– बैटरी
– कन्ट्रोलर, इन्वर्टर
– सोलर कुकर
– ड्रीलिग मशीन
– बेल्डिंग मशीन
– पाइप रिंच
– पाइप कटर

**मॉडल**

1–मिनी सोलर इनवर्टर

2–टू वे वायरिंग

3–सीरीज सर्किट में बल्ब जलाना

4–पैरेलल सर्किट में बल्ब जलाना

## कक्षा–9

## मोबाइल रिपेयरिंग

**उद्देश्य–**

(1) मोबाइल आधुनिक युग में संचार का सशक्त माध्यम तो है ही साथ ही विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक अद्यतन सूचना तथा समाचार प्रसारित करने का सशक्त माध्यम है।

मोबाइल न केवल संचार बल्कि मनोरंजन का भी सशक्त माध्यम है।

मोबाइल की मांग तथा सेवा का विस्तार तीव्रता से हा रहा है।

अतः छात्रों को मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण देना लाभकारी सिद्ध होगा।

(2) छात्रों में उद्यमिता के गुणों का विकास करना।

(3) छात्रों को आगे चलकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।

(4) छात्रों को 102 स्तर पर सुविधापूर्वक उपर्युक्त ट्रेड का चयन करने में सहायता करना।

(5) छात्रों में व्यवसाय के प्रति रुचि जाग्रत करना।

### सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

**पूर्णांक 50 अंक**

**इकाई–1** **10 अंक**

–मोबाइल की सामान्य जानकारी

–मोबाइल फोन की कार्य प्रणाली

–CDM तथा GSM

–मोबाइल फोन के भाग (Part of mobile)

स्पीकर, कैमरा, बैटरी, बजर, एल0सी0डी0 एन्टिना इत्यादि।

**इकाई–2** **10 अंक**

–मोबाइल में प्रयुक्त होने वाले घटकों का विवरण

–मोबाइल फोन की मरम्मत में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, अनुरक्षण एवं रख रखाव।

**इकाई–3** **10 अंक**

–सोल्डरिंग का उपयोग

–विभिन्न प्रकार के मोबाइल फोन को खोलना एवं बन्द करना।

–सिम इंसर्ट करना (सिंगल एवं डबल)

–बैटरी लगाना।

**इकाई–4** **10 अंक**

–मोबाइल में 2जी तथा 3जी सेवा।

–मोबाइल के विभिन्न भागों का निरीक्षण।

–विभिन्न प्रकार के ICS के नाम तथा उनके कार्य।

–मोबाइल फोन का ब्लाक आरेख।

**इकाई–5** **10 अंक**

–परिपथ (सर्किट) के विभिन्न भागों का अध्ययन करना।

–जम्पर के साथ प्रकाश, ध्वनि तथा कम्पन आदि के लिये परिपथ (IC आधार पर)

**प्रयोगात्मक कार्य** **50 अंक**

–मोबाइल को ऑन/ऑफ करना।

–मोबाइल में उपलब्ध अनुप्रयोग के बारें में जानना।

–मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी प्राप्त करना।

–वालपेपर, थीम, कैलेण्डर दिनांक इत्यादि सेट करना।

–की पैड, वाल्यूम (Volume) सेट करना।

–चार्जर, इयर फोन, पावर सप्लाई इत्यादि।

–डिसप्ले सेटिंग।

–मोबाइल फोन में प्रोफाइल सेट करना।

–मेमोरी कार्ड की जानकारी क्षमता व कार्य।

–मोबाइल के विभिन्न मॉडलों की जानकारी।

## राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

**पाठ्यक्रम का उद्देश्य–** राष्ट्र निर्माण एवं विकास में छात्र छात्राओं को उन्मुख करना, उनमें चरित्र निर्माण, नेतृत्व के गुण और विशेष दक्षता दिलाने के साथ–साथ उनमें सुरक्षा, सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं और चुनौतियों के लिए जागरूक करना है। जिसमें इनका भविष्य उज्ज्वल एवं उन्नतिशील तथा अनुशासित बन सके।

राष्ट्रीय कैडेट कोर विषय में 70 अंकों का एक लिखित प्रश्न पत्र होगा इसका उत्तीर्ण अंक 23 होगा, प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) 30 अंक का होगा, इसका उत्तीर्ण अंक 10 होगा लिखित तथा प्रोजेक्ट कार्य में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

## राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

**कक्षा–9** **पूर्णांक 70 अंक**

**इकाई–1 राष्ट्रीय कैडेट कोर** **15 अंक**

(क) उद्देश्य एवं लक्ष्य

(ख) परिभाषा क्षेत्र एवं उपयोगिता

(ग) सामाजिक विषयों से संम्बन्ध अन्य क्रियाकलाप जैसे– खेलकूद, सामाजिक कार्य स्काउट गाइड आदि से समन्वय

**इकाई–2 राष्ट्रीय एकता एवं धर्म निरपेक्षता** **15 अंक**

(क) राष्ट्रीय एकता की परिभाषा आवश्यकता अपयोगिता

(ख) धर्म निरपेक्षता की परिभाषा आवश्यकता उपयोगिता

(ग) सामाजिक समन्वय के प्रति जागरूकता

**इकाई–3 राष्ट्रीय सुरक्षा** **15 अंक**

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ उपयोगिता एवं महत्व।

(ख) सशस्त्र सेनाओं एवं अर्द्ध सैन्य बल का समान्य ज्ञान तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर से समन्वय बनाना।

(ग) आंतिक सुरक्षा का तात्पर्य एवं महत्व।

**इकाई–4 स्वास्थ्य प्राथिमिक उपचार** **15 अंक**

(क) शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य लक्ष्य एवं महत्व।

(ख) स्वस्थ्य रहने के उपाय

(ग) प्राथमिक उपचार का तात्पर्य महत्व एवं उपयोग

(घ) स्वच्छता की उपादेयता व्यक्तिगत स्वच्छता परिवेशी स्वच्छता

**इकाई–5 प्रमुख युद्ध एवं उनसे प्राप्त शिक्षाएं** **10 अंक**

(क) 1948,1962,1965,1971 एवं कारगिल संघर्ष (कारण, संक्रिया परिणाम एवं प्राप्त शिक्षाएं)

(ख) भारतीय सेना के वीर सपूत

**प्रोजेक्ट वर्क** **30 अंक**

1. प्राथमिक उपचार
2. थल सेना के रैंक व बैंच का अध्ययन

**राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित**

3. दैनिक समाचार पत्रों का संकलन करना।
4. नौ सेना के रैंक व बैंच का अध्ययन
5. वायु सेना के रैंक व बैंच का अध्ययन

## नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)

### कक्षा–9

**प्रश्न पत्रों की निर्माण योजना (प्रारूप)**

| प्रश्नों के प्रकार | कुल प्रश्नों की संख्या | प्रश्नों का अंक | कुल अंक |
|---|---|---|---|
| बहुविकल्पीय प्रश्न | 15 | 02 | 30 |
| अति लघु उत्तरीय प्रश्न | 04 | 04 | 16 |
| लघु उत्तरीय प्रश्न | 03 | 04 | 12 |
| दीर्घ उत्तरीय प्रश्न | 02 | 06 | 12 |
| कुल योग. . | 24 | | 70 |

प्रश्न सरल होने चाहिए उनका विभाजन निम्न प्रारूप में होना चाहिए–

1–ज्ञानात्मक प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

2–बोधात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

3–अनुप्रयोगात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

4–कौशलात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

**सैन्य विज्ञान (प्रयोगात्मक)**

**उपकरण एवं अन्य सामाग्री की सूची**

1–टोपोशीट (मानचित्र) जिला एवं प्रदेश

2–सर्विस प्रोटेक्टर मार्क A

3–प्रिज्मैटिक दिक्सूचक (कम्पास)

4–नक्शे (मानचित्र) (अ) संकेतिक चिन्हों का मानचित्र

(ब) भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र

(स) भारत भौगोलिक

(द) भारत हिन्द महासागर

5–प्रयोगात्मक नोटबुक

## विषय–प्लबर

## कक्षा–10

**उद्देश्य :–**

6–छात्रों को प्लंबिंग ट्रेड के महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी देना।

7–छात्रों को प्लंबिंग कार्यों के निष्पादन की मूल प्रकिया और समाग्री चयन की जानकारी देना।

8– छात्रों को सुरक्षा एवं सावधानियों की जानकारी देना।

9– छात्रों में व्यवसाय के प्रति रूचि पैदा करना।

10– छात्रों में उद्मियता गुणों का विकास करना एवं उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।

**रोजगार के अवसर–**

6–प्लम्बर/पाइप फिटर के रूप में रोजगार।

7–स्वतः रोजगार या नलकार के रूप में कार्य करना।

8–पाइप और पाइप फिटिंग एवं सैनिटरी फिटिंग के विक्रेता के रूप में कार्य करना।

9–पेट्रोल पप्प, इंधन आपूर्ति प्रणाली में इरेक्टर के रूप में कार्य करना।

10–ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में कार्य करना।

## प्लम्बर सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

**पूर्णांक 50**

**इकाई 1–पाइप ज्वाइंट–** (5)

विभिन्न प्रकार के पाइप जोड़ की जानकारी– फ्लैंज जोड़, स्पिगोअ एवं सॉकेट जोड़, कॉलर जोड़, लचीला जोड़, प्रसार जोड़ आदि की बनावट उपयोग एवं पहचान। जोड़ बनाने की विधि।

इकाई 2– प्लंबर के औजार एवं उपकरण– (10)

प्लंबर के विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरणों की बनावट, उपयोग, पहचान, तथा सावधानियां–

पकड़ने वाले औजार– वॉइस, पाइप रिंच, पट्टी, पिलास, कार्य बेंच, स्पानर, एलेन की, पेंचकस, चिन्हक, कर्तन औजार जैसे हेक्सा, पाइप कटर, रेती, टैप एवं डाई, ड्रिल, ड्रिलिंग मशीन, पाइप बंकन मशीन, हीटिंग उपकरण जैसे फ्लेम टॉर्च, भट्टी आदि, मापन औजार जैसे स्टील रूल, स्क्वायर, कैलिपर, इंच टेप आदि, ग्राइंडर सोल्डरिंग आयरन का वर्णन, चयन, पहचान एवं रखरखाव की जानकारी।

**इकाई 3–प्लंबिंग के विभिन्न प्रकार प्रक्रम–** (10)

पाइप को मापना, काटना, मोड़ना, उसमें चूड़ी बनाना पाइप का विन्यास बनाना तथा उसके अनुसार पाइप विछाना शौचाला बाथरूम, रसोई में प्लंबिंग उपकरण लगाने के कार्य पद, संभावित दोष उनके कारण तथा बचाव की संक्षिप्त जानकारी, सीवेज डिस्पोजल की व्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी।

**इकाई 4– मरम्मत एवं अनुरक्षण** **(10)**

टूट फुट एवं क्षरण के कारण, मरम्मत, क्षरण की रोकथामए जंग लगे फ्लेंज को काटकर निकालना, नया फ्लांज लगाना, टोटी का वासर बदलना, सैनिटरी सामानों की देखभाल तथा अनुरक्षण और मरम्मत। मरम्मत शॉप की स्थापना।

**इकाई 5– सेनेटरी फिटिंग एवं सैनिटेशन** **(10)**

विभिन्न प्रकार की सैनिटरी फिटिंग– सिंक, बाथ टब, वाशबेसिन, फ्लाशिंग सिस्टम, सिस्टर्न, क्लोजेअ आदि की बनावट उपयोग तथा संस्थापन। ट्रैप, बेंड, सॉइल पाइप, मैन होल तथा चैंबर तथा यूरिनल। सेनिटेशन का महत्व सैनिटेशन महत्व, सैनिटेशन व्यवस्था एवं उसकी सफाई का वर्णन।

**इकाई 6– राजगिरी** **(5)**

राजगिरी के औजार, बिल्डिंग सामग्री, सीमेंट मसाला बनाना, चुनाई कार्य कंक्रीट भरना।

**प्रयोगात्मक कार्य** **पूर्णांक 50**

1–जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का अभ्यास करना तथा उसमें वाटर मीटर लगाना।

2–रसोई में आरओ तथा बाथरूम में वासवेशिन फिट करना।

3–बाथरूम में ट्रैप एवं सावर लगाना तथा जांच करना।

4–वायरिंग के लिए पाइप बिछाने का अभ्यास।

5–एयर कंडीशनर के लिए पाइप फिटिंग करना।

6–पाइप की दुसरों का दोषों की पहचान करना तथा मरम्मत करना।

7–औजारों में धार लगाना।

8–पुरानी फिक्चर को निकालना मरम्मत करना तथा फिर से लगाना।

9–इंस्पेक्शन चेंबर का निर्माण करना।

10–मैनहोल गुली ट्रैप का निर्माण करना।

11–डब्लू सी से सॉइल पाइप जोड़ना।

12–बाथ टब, बेसिन से पाइप जोड़ना तथा मरम्मत करना।

13–फायर के लिए मेन सप्लाई हाइड्रेंट स्प्रिंकलर इंस्टॉल करना।

14–सैनिटरी सिस्टम में लीकेज की मरम्मत करना।

15–यूरिनल कि फिटिंग करना।

**पुस्तकों की सूची**

10–कार्यशाला तकनीकी लेखक आर के लाल।

11–वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लेखक एक के हाजरा

12–वर्कशॉप ट्रेनिंग मैनुअल केटप्शन पब्लिशर्स लुधियाना।

13–Manual on workshop practice by K Venkata Reddy New Delhi

14–वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लेखक बी एस रघुवंशी

15–वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लेखक एचएस बावा टाटा माग्रो हिल पब्लिशर्स न्यू दिल्ली

16–वर्कशॉप इंजीनियरिंग लेखक जेबी जिंद औलिया

17–सैनिटेशन इंजीनियरिंग लेखक मनीष सिसोदिया

18–प्लंबिंग डिजाइन प्रैक्टिस लेखक एस जी देवल लिकर

**औजारों और उपकरणों की सूची**

1. Rule Steel 300 mm both in inch and mm
2. Rule Wooden 4 fold, 600 mm
3. Hacksaw Frame adjustable for 250 to 300 mm
4. Scriber 200 mm
5. Centre punch 100 mm
6. Chisel Cold, flat 20 mm
7. Hammer ball peen 800 grams
8. Hammer ball peen 50 grams

9. File flat rough 300 mm
10. Levl spirit wooden 300 mm
11. Plumb bob 50 grams
12. Trowel C-125-IS: 6013
13. Still son wrench 200 & 350 mm
14. Scre Driver 250 mm
15. Wooden Mallet small IS: 2022
16. Cutting pliers 200 mm IS: 3650
17. Steel tape (5m)
18. Surface plate 400×400 mm Grade
19. Marking Table 900×600×900 mm
20. 'V' Blocks with clamps 80/7-63A IS 2949
21. Combination set 200 mm
22. Universal Scribing Block 300 mm
23. Hand Vice Jaw 50 mm
24. File flat Smooth 200 mm
25. File Half Round Rough 300 mm
26. File Square rough 250 mm
27. File Square Smooth 200 mm
28. File Triangular Rough 250 mm
29. Chisel Cold Flat 20 mm×300 mm
30. Chisel Cross Cut 6×150 mm IS-402
31. Top and tap wrench
32. Screw pitch gauge
33. Hand hacksaw frame 300 mm
34. Spanner monkey up to 50 mm
35. Soldar Iron and bit 5Nos
36. Pipe Cutter wheel type 6mmto 25mm
37. Snip Straight and bent 250 mm
38. Try square 200 mm
39. Inside and outside Calliper 150 mm
40. Tenon saw, Hand Saw
41. Mortise, Firmer Chisel 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 25mm Each
42. Mallet Medium IS: 2922
43. Blow lamp 500 millilitre
44. Scribing gauge
45. Soil pot with brush
46. D.E. Spanners 6mm to 32mm IS:2028
47. Bending Spring

48. Plumbers Ladle

49. Caulking Toll

50. Pipe Die and Die stock (1/4" to $2^{1/2}$") with complete set

51. Pipe vice up to 75 mm IS-2587

52. Still son pattern pipe wrenches 450 mm IS-4003

53. Chain pipe wrench 90mm-650 is 4123

54. Adjustable spanner 12" IS-6149

55. Pipe bender manually operated

56. Drill Twist (straight shank) 1.5 mm to 13mm

57. Wash Basin (16" ×14"×10")

58. Water closet (European type p) complete with over head cistern

59. Urinal wall type complete with automatic system

60. Water meter

61. Fire Extinguisher (CO2 and DCP)

62. Rire Buckets with stand

63. Pedestagromder machine

64. Leg vice 75mm jaw with Stand IS-2588

65. Hand drill machine up to 13mm capacity with drill chuck (Electric)

66. Working bech 2400×1200×750mm with 4 voice 125 mm jaws

67. Double face hammers

**Desirable Qualification of teachers:**

Passed ITI with National Craft Instructor training Couse in same OR relevant trade/ Three years Diploma in Mechanical engineering

BED will not be essential for These leactures.

## कक्षा–10

## इलेक्ट्रीशियन

**सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम** **पूर्णांक 50 अंक**

**इकाई–1** **(05 अंक)**

प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन का प्रारम्भिक ज्ञान विद्युत पावर प्लाण्ट के प्रकार जैसे–हाइड्रो पावर प्लाण्ट, थर्मा पावर प्लाण्ट एवं उनके उर्जा के प्रारम्भिक स्रोत मोटर सेट की कार्यविधि एवं चालन।

**इकाई–2** **(05 अंक)**

विद्युत मोटरों की जानकारी, विद्युत के प्रकार, कार्य सिद्धांत विशेषतायें एवं उपयोग, मोटरों का तारस्थापन, सावधानियां एवं रख रखाव।

**इकाई–3** **(10 अंक)**

विद्युत सप्लाई व्यवस्था संरक्षण, वितरण एवं फीडर की परिभाषा विभिन्न प्रकार के ए0सी0 वितरण उच्च विभव वितरण से लाभ, ओवर हेड लाइन के मुख्य अवयव, ओवर हेड कण्डक्टर के पदार्थ, ओवर हेड कण्डक्टर में इस्तेमाल होने वाले इन्सुलेटर।

**इकाई–4** **(10 अंक)**

**विद्युत मापन**– विभिन्न पद एवं उनकी इकाईयों, विद्युत मापन यंत्रों की जानकारी तथा धारा मापी, वोल्टता मापी, ऊर्जा मापी, शक्ति मापी मेगर, अर्थ टेस्टर, आवृत्ति मापी, टेको मीटर, मल्टी मीटर आदि की परिपथीय ज्ञान एवं उनसे विभिन्न विद्युत राशि का मापना।

**इकाई–5** **(05 अंक)**

**सरल गृह तार स्थापन**– वायरिंग के प्रकार, वायरिंग करने की विधियां एवं एक दूसरे के सापेक्ष लाभ एवं हानियॉ। एक मारर्गीय स्विच द्वारा नियंत्रित एक प्रकाश बिन्दु सीढ़ी में उपयोग आने वाले वायरिंग का विद्युत परिपथ, सूचक लैम्प के साथ विद्युत घण्टी का संयोजन का परिपथ, एक स्थान से यह एक से अधिक स्थान से।

**इकाई–6** **(05 अंक)**

**घरेलू उपकरणों की मरम्मत**– विभिन्न उपस्कर जैसे– ट्यूब लाइट, छत का पंखा, टेबल लैम्प, हीटर, गीजर, प्रेस आदि के कार्य सिद्धान्त एवं इनके पुर्जो के अवयवों के नाम इनका अनुरक्षण एवं बचाव विद्युत मोटरों में सम्भावित दोष एवं उपचार।

**इकाई–7** **(05 अंक)**

**बचाव उपकरण (प्रोटेक्टिव डिवाइसेस)**– फ्यूज, फ्यूज की परिभाषा, फ्यूज पदार्थों के नाम एम0सी0बी0 के कार्य एवं सिद्धान्त इलेक्ट्रिक शॉक एवं उनके बचाव, घरेलू वायरिंग में विभिन्न बिन्दुओं का भू–सम्बन्धन।

**इकाई–8** **(05 अंक)**

गैर पारम्परिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का प्रारम्भिक ज्ञान, पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लाभ एवं उपयोग। सोलर ऊर्जा, सोलर पैनल सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर लैम्प, बिन्दु ऊर्जा, पवन चक्की।

**प्रयोगात्मक कार्य–** **50 अंक**

1–विद्युत मशीनों का अध्ययन करना।
2–वाटमीटर की सहायता से किसी कार्यभार की शक्ति मापना।
3–किसी कार्यभार पर ऊर्जा मापी द्वारा ऊर्जा मापना।
4–मशीनों की ओवरहालिंग एवं एसेम्बलिंग करना।
5–टेकोमीटर की सहायता से विभिन्न विद्युत मोटरों की गति नापना।

**पुस्तकों की सूची–**

1–सामान्य अभियांत्रिकी अवयव–द्वारा जे0के0 कपूर।
प्रकाशन– भारत भारती प्रकाशन एण्ड कम्पनी वेस्टर्न कचहरी रोड़, मेरठ–250001
2–विद्युत अभियंत्रण के अवयव– द्वारा डॉ0 टी0डी0 बिस्ट
3–विद्युत लागत एवं आगणन– द्वारा डॉ टी0डी0 बिस्ट
प्रकाशन किशोर पब्लिशर्स 159–बी आजाद नगर साउथ मलाका इलाहाबाद–211003
4–वैद्युत तकनीकी– द्वारा सिंह एवं हरजाई
प्रकाशन– यूनिटेक पब्लिशर्स राधाकृष्ण मिशन मार्ग अमीनाबाद लखनऊ–226001

**उपकरणों एवं औजरों की सूची–**

**उपकरण–**

1–वोल्टमीटर
2–वाट मीटर
3–मेगर
4–एम्पीयर मीटर
5–Earth Tester (अर्थ टेस्टर)
6–मल्टीमीटर
7–टांगर टेस्टर (Avo meter)

**औजार–**

1–संयुक्त प्लायर
2–नोज प्लायर
3–पेंचकस
4–हैन्ड ड्रिल
5–पोकर
6–नियान टेस्टर
7–हेक्सा
8–हैमर
9–टेस्टिंग लैम्प
10–छोटी रेती

## शिक्षकों की अर्हता

डिप्लोमा इन इलैक्ट्रीकल इंजीरियरिंग, बी0एड0 की आवश्यकता नहीं हैं।

## आपदा प्रबन्धन

## कक्षा–10

**उद्देश्य–**

1–स्कूल पर विभिन्न आपदाओं के विषय में जागरूकता प्रदान करना।

2–किसी भी आपदा के घटने पर विद्यार्थीयों को स्वतः Rescue Operation (बचाव कार्य) में मद्द करने के लिए तैयार रहना।

3–स्कूल स्तर पर मॉडल आपदा प्रबन्धन प्लान के बारे में अवगत होना।

4–**रोजगार के अवसर–**इस पाठ्यक्रम से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं एन0जी0ओ0 में सहायक के पद पर अवसर प्राप्त होता है।

## सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

**पूर्णांकः 50 अंक**

**इकाई–1** **10 अंक**

**आपदा प्रबन्धन–** प्रबन्ध चक्र, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात किये जाने वाले प्रबन्धन कार्य, केन्द्र एवं राज्य सरकार, जिला स्तरीय तैयारी– आपदा प्रबन्धन के संसाधनों, मीडिया, व्यक्ति, सूचना प्रणाली आदि का उपयोग, आपदा प्रबंधन की योजना बनाना एवं मानिटरिंग, आपदा प्रबंधन की टीम बनाना, संसाधन प्रबंधन, कार्य निर्देश, ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबन्धन समिति।

**इकाई–2** **10 अंक**

**राहत–**तत्कालिक हस्तक्षेप, खोज, बचाव, सुरक्षा, भोजन–पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा–दीर्घकालीन व अल्पावधिक।

**सुरक्षित–**मैपिंग– सड़क, वैकल्पिक रास्ता, नाव,सम्पर्क केन्द्र, आश्रय, निकास, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, पुलिस केन्द्र, आश्रितों के लिये सुरक्षित स्थान, गोदाम, भोजन/अन्न की उपलब्धता एवं भण्डारण, चारे की व्यवस्था, अस्थायी कैम्प, पीने के पानी की व्यवस्था, पावर बैकअप, मिट्टी का तेल, टेण्ट हाऊस आदि।

**इकाई–3** **10 अंक**

**पुर्नवास–**मूलभूत संसाधन, सेवाओं का पुर्नस्थापना एवं पुनर्निर्माण, सुविधाओं का पुनरारंभ, बचाव की योजना बनाना।

**इकाई–4** **10 अंक**

**फायर फाइटिंग एवं विद्युत सुरक्षा–**आग का परिचय, आग के प्रकार, आग लगने के मूल सिद्धांत, अग्नि त्रिकोण की व्याख्या, आग बुझाने के सिद्धांत, प्राथमिक अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने की माँक ड्रिल, स्थायी अग्नि शमन व्यवस्थायें।

**इकाई–5** **05 अंक**

**सुरक्षा प्रबन्धन–** दुर्घटना के कारण एवं बचाव, कृतिम श्वसन, प्राथमिक उपचार, स्कूल स्तर पर, आपदा मॉडल प्रबन्धन योजना बनाना।

**इकाई–6** –वर्षा जल प्रबन्धन। **05 अंक**

**प्रयोगात्मक विषय (Practical)–** **50 अंक**

प्रयोग–1: स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के आकड़ों का संकलन, अध्ययन एवं रेखा चित्र एवं बार चित्र बनाना।

प्रयोग–2: प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम श्वसन का अभ्यास।

प्रयोग–3: अग्निशमन यन्त्र द्वारा आग बुझाने का अभ्यास।

प्रयोग–4: आपदा सुरक्षा उपकरणों का अध्ययन एवं अभ्यास।

प्रयोग–5: स्कूल स्तर पर आपदा मॉडल प्रबन्धन योजना बनाकर किसी आपदा पर अभ्यास करना।

प्रयोग–6: स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आपदा से निपटने की योजना बनाना।

**औजारों/उपकरणों की सूची–**

1–विभिन्न प्रकार के अग्नि समक यंत्र – 1 नग

2–प्राथमिक उपचार बाक्स– 3 नग

3–कम्बल– 2 नग

4–सीढ़ी– 1 नग

5–बालू की बाल्टी– 3 नग

6–स्ट्रेचर– 1 नग

7–रस्सी– 1 गठ्ठर

8–हथौड़ी– 2 नग

9–एक्मकेवेटर– 2 नग

10–सीढ़ी– 1 नग

11–डम्पर– 2 नग

**संस्तुत पुस्तकें–**

1–आपदा एवं आपदा प्रबन्धन– महेश कुमार

2–Disastar Management- Dr. I.Sundar

3-Disastar Management- IGNOU Help Book

4-Environment and Disater Management- Vijram and Ravi (IAS)

5-Together Together a Saber India-

6-Natural Hazards and Disastar Management By – B.C. Jat

7-Natural Hazards and Disastar Management By – R.B. Singh

8-Disastar Management – By Sulphey M.M.

9-Disastar Management- Harsh K. Gupta

10-Disastar Management- Marinalini Panday

11-Disastar Management- S. Mukherjee

**शिक्षकों की अर्हताः–**

पी0जी0 डिप्लोमा इन आपदा प्रबन्ध।

## सोलर सिस्टम रिपेयर

### कक्षा–10

**पूर्णांक–50**

**इकाई–1 सोलर लाइटिंग सिस्टम (10)**

सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर होम लाइट, सोलर लालटेन, गार्डेन लाइट, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, रेलवे सिग्नल लाइट, रोड स्टड एवं कैट लाइट– संरचना एवं कार्य सिद्धान्त। स्टोरेज बैट्री से कनेक्सन देना, डस्क टू डॉन सिस्टम कार्य, अनुरक्षण एवं मरम्मत।

**इकाई–2 मरम्मत के औजार एवं उपकरण (05)**

विभिन्न प्रकार के मरम्मत के औजारों की संक्षिप्त जानकारी, उपयोग एवं उनके रेखाचित्र बनाना और रखरखाव की बातें।

**इकाई–3 सोलर कुकर (07)**

मूल कार्य सिद्धान्त, प्रकार, डिजाइन, निर्माण–सामग्री, घरेलू एवं सामुदायिक सोलर कुकर। सर्विस अनुसूचि तथा सामान्य अनुरक्षण अनुसूचि, दोष एवं मरम्मत, संक्षारण के रोकथाम।

**इकाई–4 मरम्मत प्रक्रम** **(08)**

धातु कटिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग एवं बेंच कार्यों तथा प्लास्टिक मोल्डिंग, बड़ईगीरी, धातु चद्दर कार्य की संक्षिप्त जानकारी एवं प्रयुक्त उपकरण का रखरखाव।

**इकाई–5 सोलर वाटर हीटर एवं कलेक्टर** **(10)**

सोलर हाट वाटर सिस्टम का कार्य सिद्धांत, कॉपर फ्लैट प्लेट तथा इवैकुवेटेड ट्यूब कलेक्टर सोलर कन्सेनट्रेटर, एस0डब्लु0एच0 के पार्ट, रोधन, इरेक्शन, इलेक्ट्रिक बैक–अप हीटर क्षरण रोधी जोड़ बनाना, कवर ग्लास की देखभाल।

**इकाई–6 सोलर पम्प एवं पावर प्लांट** **(10)**

–सोलर पम्प एवं पावर सिस्टम का कार्य सिद्धांत, देखभाल करना।

–सोलर सिस्टम मानिटरिंग, टेस्टिंग एवं रिपेयर, मेंटीनेंस शेड्युलिंग।

**प्रयोगात्मक कार्य**

**पूर्णांक–50**

1–सोलर स्ट्रीट लाइटिंग एवं असेम्बली–कमीशनिंग

2–सोलर लालटेन का कनेक्शन एवं ऊर्जा के खपत की गणना करना।

3–स्टोरेज बैटरी का समान्तर एवं श्रेणी क्रम में जोड़ना।

4–घरेलू लाइटिंग एवं वायरिंग में आने वाले व्यय की गणना करना एवं आवश्यक सामग्री की सूची बनाना।

5–विभिन्न प्रकार के मरम्मत औजारों की सूची बनाना एवं अध्ययन तथा चित्रण करना।

6–सोलर कुकर निर्माण के लिए कटिंग, वेल्डिंग एवं सोल्डरिंग करना।

7–सोलर उपकरणों की पेटिंग करना।

8–सोलर हाट वाटर (एस0डब्लु0एच0) सिस्टम की कमीशनिंग करना।

9–सोलर पावर सिस्टम की संरचना का अध्ययन करना।

10–किसी सोलर पावर प्लांट का विजिट करके अध्ययन करना।

11–कटिंग प्रैक्टिस, टिम्बर जोड़ बनाना, धातु के चद्दर को जोड़ना तथा सोल्डरिंग करना।

**पुस्तकों की सूची**

1–सोलर एनर्जी फंडामेटल्स– एच.पी.गर्ग. एवं जे. प्रकाश

2–फोटोवोल्टायिक टेक्नोलाजी एवं सिस्टम– चेतन सिंह सोलंकी

3–डिजाइन, इंस्टालेसन एवं आपरेशन आफ सोलर पी.वी.प्लांट्स– डी.के.त्यागी

4–सौर ऊर्जा– विनोद कु0 मिश्र

5–अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी– चेतन सिंह सोलंकी

**मॉडल**

1–सोलर कुकर का मॉडल।

2–सोलर होम लाइट सिस्टम का मॉडल।

3–सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का मॉडल।

4–सोलर पम्पिंग का मॉडल।

5–सोलर स्ट्रीट लाइट का मॉडल।

**लैब टेक्निशियनः–**

1–आई0टी0आई0 (इलेक्ट्रिशियन/फिटर)

**अतिरिक्त औजारों की सूची**

1–वुडेन शा (लकड़ी काटने की आरी)

2–गुनिया

3–ट्राई स्क्वायर

4–रूखानी

5–प्लेनर

6–मार्कर

7–पेटिंग ब्रश

8–बाक्स सोलर कुकर

**शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता–**

डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/मैकैनिकल इंजीनियरिंग तथा सोलर प्रणाली में किसी मान्य संस्था से प्रशिक्षण। बी0एड0 की आवश्यकता नहीं।

**कक्षा–10**

## मोबाइल रिपेयरिंग

**उददेश्य–**

मोबाइल आधुनिक युग में संचार का सशक्त माध्यम तो है ही साथ ही विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक अद्यतन सूचना तथा समाचार प्रसारित करने का सशक्त माध्यम भी है। मोबाइल की मांग तथा सेवा का विस्तार तीव्रता से हो रहा है। अतः छात्रों को मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण देना लाभकारी सिद्ध होगा–

1–छात्रों में उद्यमिता के गुणों का विकास करना।

2–छात्रों को आगे चलकर रोजगार/स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।

3–छात्रों को 10 + 2 स्तर पर सुविधा पूर्वक उपयुक्त ट्रेड का चयन करने में सहायता करना साथ ही उसमें मोटीवेशन लाना।

4–छात्रों में व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत करना।

**सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम** **पूर्णांक–50 अंक**

**इकाई–1** **10 अंक**

–मोबाइल के संदर्भ में कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान।

–कम्प्यूटर के ऑन/ऑफ की प्रक्रिया।

–मोबाइल के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रारम्भिक ज्ञान।

– इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों के प्रतीक, परिभाषा, परीक्षण व कार्य।

–डिजिटल मल्टीमीटर।

**इकाई–2** **10 अंक**

–मोबाइल प्रौद्योगिकी, मोबाइल का परिचय।

–विभिन्न प्रकार के कम्पनियों के मोबाइल।

–मोबाइल के विभिन्न भाग व उनका परीक्षण।

–मदर बोर्ड की प्रारम्भिक पहचान।

–मोबाइल के प्रत्येक भाग जैसे–सिम, प्रकाश, रिंगर, कम्पन, ऑडियो, चार्जिंग, की-पैड व पावर सेक्शन का परिचय आरेख।

**इकाई–3** **10 अंक**

–(ICs) आइसी (SMD & BGA) विभिन्न आइसी के कार्य।

–SMD(ICs) आइसी की सोल्डरिंग व डी सोल्डरिंग।

–जम्फर तकनीक और उसका समाधान।

**इकाई–4** **10 अंक**

–समस्या का निवारण (TROUBLE SHOOTING AND SOLUTION)

–एल0सी0डी0 पर आईकॉन की स्थिति।

–सॉफ्टवेयर डाउनलोड विधि।

**इकाई–5** **10 अंक**

–Uplink & Downlink frequency (आवृत्ति)।

–जी0पी0आर0एस0 (GPRS)

–जी0पी0एस0 (GPS)

–वाई–फॉय (WI-FI)

–ब्लूटूथ (BLUTOOTH)

–इन्फ्रा रेड (INFRARED)

–डायग्राम–मल्टीमीडिया हेड सेट

–एप्लीकेशन को डाउनलोड करना (गेम, टोन, वाल पेपर, इमेजेस एम0पी0–3 मूवी)

–डेटा का हस्तान्तरण मोबाइल से PC में करना।

**प्रयोगात्मक** **पूर्णांक–50 अंक**

(1) हार्डवेयर (Hard Ware)

(a) मोबाइल के विभिन्न मॉडल की जानकारी व कार्य प्रणाली।

(b) CDMA तथा GSM तकनीकी की जानकारी।

(c) 2 जी तथा 3 जी तकनीक की जानकारी।

(d) बैटरी की सम्पूर्ण जानकारी–क्षमता, टेस्टिंग।

(e) माइक टेस्टिंग।

(f) फाइंड डेड सेट समस्या।

(g) नेटवर्किंग।

(h) SMD का उपयोग।

(i) सर्किट डायग्राम की जांच करना।

(j) वजर टेस्टिंग, कम्पन, मदरबोर्ड टेस्टिंग, सर्चिंग (नेटवर्क)।

(2) सॉफ्टवेयर (Soft ware)

–कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त करना।

–मोबाइल में प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर की जानकारी।

–लॉकिंग व अनलॉकिंग की जानकारी।

–IMEI नम्बर की जानकारी।

–रिंगटोन, सिंगटोन, वालपेपर, ऑडियो, वीडियो, Mp 3 Song SBJ लोड करना।

## राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

**कक्षा–10** **पूर्णांक 70 अंक**

**इकाई–1 राष्ट्रीय कैडेट कोर** **12 अंक**

(क) संक्षिप्त इतिहास लक्ष्य महत्व उपयोगिता तथा संगठन

(ख) राष्ट्रवाद, विभिन्नता में एकता

(ग) सिविल डिफेंस संगठन एवं अन्य अर्द्ध सैनिक बलों से संबंध

**इकाई–2 सैन्य इतिहास एवं युद्ध** **12 अंक**

(क) भारतीय थल सेना की संरचना एवं महत्व बताना

(ख) भारतीय नौ सेना/वायु सेना संरचना एवं महत्व

**इकाई–3 असैनिक चुनौतियॉ एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर** **12 अंक**

(क) आतंकवाद चुनौतिया, राष्ट्रीय कैडेअ कोर की भूमिका

(ख) नक्सलवाद चुनौतियॉ, जागरूकता राष्ट्रीय कैडैट कोर की भूमिका

**इकाई–4 व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व** **12 अंक**

(क) बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास

(ख) नेतृत्व का महत्व

(ग) राष्ट्रीय चरित्र निर्माण

**इकाई–5 आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक चुनौतियॉ** **12 अंक**

(क) प्राकृतिक आपदा एवं उसका प्रबंधन

(ख) आंतरिक चुनौतिया एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका

**इकाई–6 सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास** **10 अंक**

(क) मूलभूत सामाजिक सेवा की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता

(ख) सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता

**प्रोजेक्ट कार्य** **30 अंक**

1–मानचित्र पर पड़ोसी देशों का अंकन।

2–प्रमुख अंतराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन जैसे– UNO संयुक्त राष्ट्र संघ बायटेक।

3–क्षेत्रीय संगठनों (सार्क एवं आशियान) का अध्ययन।

4–भारत में मानचित्र पर राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन।

5–राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन पर एक लेख।

## नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)

**कक्षा–10**

**प्रश्न पत्रों की निर्माण योजना (प्रारूप)**

| प्रश्नों के प्रकार | कुल प्रश्नों की संख्या | प्रश्नों का अंक | कुल अंक |
|---|---|---|---|
| बहुविकल्पीय प्रश्न | 15 | 02 | 30 |
| अति लघु उत्तरीय प्रश्न | 04 | 04 | 16 |
| लघु उत्तरीय प्रश्न | 03 | 04 | 12 |
| दीर्घ उत्तरीय प्रश्न | 02 | 06 | 12 |
| कुल योग. . | 24 | | 70 |

प्रश्न सरल होने चाहिए उनका विभाजन निम्न प्रारूप में होना चाहिए–

1–ज्ञानात्मक प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2–बोधात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

3–अनुप्रयोगात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

4–कौशलात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

**सैन्य विज्ञान (प्रयोगात्मक)**

**उपकरण एवं अन्य सामाग्री की सूची**

1–टोपोशीट (मानचित्र) जिला एवं प्रदेश

2–सर्विस प्रोटेक्टर मार्क A

3–प्रिज्मैटिक दिक्सूचक (कम्पास)

4–नक्शे (मानचित्र) (अ) संकेतिक चिन्हों का मानचित्र

(ब) भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र

(स) भारत भौगोलिक

(द) भारत हिन्द महासागर

5–प्रयोगात्मक नोाटबुक

**नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.) शैक्षणिक विषय के रूप में**

**पाठ्यक्रम का उद्देश्य–**

राष्ट्र निर्माण एवं विकास में छात्र/छात्राओं को उन्मुख करना, उनमें चरित्र निर्माण नेतृत्व के गुण और विशेष दक्षता (skill) दिलाने के साथ–साथ उनमें सुरक्षा, सामाजिक राजतैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं और चुनौतियों के लिए जागरूक करना है, जिससे इनका भविष्य उज्ज्वल एवं उन्नतिशील तथा अनुशासित बन सके।

नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.) वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा। इसका केवल एक लिखित प्रश्नपत्र 70 अंक का होगा तथा 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, कुल उत्तीर्ण अंक 33 होगा। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

**नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)**

**कक्षा–11** **पूर्णांक 70 अंक**

**इकाई–1 नेशनल कैडेट कोर** **10 अंक**

(क) उद्देश्य एवं लक्ष्य

(ख) नेशनल कैडेट कोर की संरचना, इतिहास, प्रशिक्षण

(ग) विभिन्न राज्यों में N.C.C. की पढ़ाई प्रगति, अवसर ज्ञान

**इकाई–2 राष्ट्रीय एकता एवं धर्म निरपेक्षता** **10 अंक**

(क) राष्ट्रीय एकता का महत्व एवं आवश्यकता उपाय

(ख) धर्म निरपेक्षता का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व

(ग) सांस्कृति का अर्थ एवं महत्व, परम्परा, रीति रिवाज

(घ) विभिन्नता में एकता राष्ट्रवाद

(ङ) 1857 का स्वतंत्रता संग्राम

**इकाई–3 सैन्य इतिहास एवं युद्ध** **10 अंक**

(क) आधुनिक भारतीय थल सेना, संरचना एवं भूमिका

(ख) भारतीय नौ सेना

(ग) भारतीय वायु सेना

**इकाई–4 असैनिक चुनौतियॉ एवं संचार व्यवस्था** **08 अंक**

(क) आतंकवाद, चुनौतियॉ एवं भावी रणनीति

(ख) नक्सलवाद

(ग) संचार की महत्व एवं आवश्यकता

**इकाई–5 आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक चुनौतियॉ** **07 अंक**

(क) सिविल डिफेंस संगठन एवं आपदा प्रबंधन संरचना आवश्यकता महत्व

(ख) प्राकृतिक आपदा का अर्थ परिभाषा महत्व

**इकाई–6 सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास** **09 अंक**

(क) मूलभूत सामाजिक सेवा की अवधारणा उसकी आवश्यकता

(ख) सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता एवं रूचि के उन्मुख कार्य करना

**इकाई–7 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता** **08 अंक**

(क) स्वच्छता एवं स्वस्थ्य रहने की आवश्यकता एवं उपाय संसाधन

(ख) मानव शरीर की संरचना एवं कार्य

(ग) संक्रामक रोगों की पहचान एवं रोकथाम के उपाय

**इकाई–8 पर्यावरणीय एवं जल संरक्षण** **08 अंक**

(क) प्राकृतिक संसाधन

(ख) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन

(ग) पानी का संरक्षण, वर्षा के पानी का संरक्षण

**प्रयोगात्मक** **30 अंक**

**1– मानचित्र पठन** **10 अंक**

(क) सर्वेक्षण पत्रक (सर्वे ग्रिड मैप) का परिचय, परिभाषा, उपयोगिता हासिए की सूचनाएं, सांकेतिक चिन्ह, ग्रिड तथा कन्ट्रोल व्यवस्था

(ख) उत्तर दिशाए– प्रकार तथा दिशा ज्ञान के तरीके

(ग) दिक्मान– परिभाषा तथा अन्तर परिवर्तन

**2– प्रिज्मैटिक दिक्सूचक सर्विस** **10 अंक**

(क) मानचित्र दिशा अनुकूलन करना (नक्शा सेट करना)

(ख) तीनों सेनाओं के वेसिस ऑफ रैंक की पहचान

(ग) प्रयोगात्मक कार्य की अभ्यास पुस्तिका

**3–मौखिकी परीक्षा** **10 अंक**

प्रयोगात्मक परीक्षा में अंकों का विवरण निम्नलिखित होगाः–

मानचित्र पठन–10 अंक

प्रिज्मैटिक दिक्सूचक–10 अंक

अभ्यास पुस्तिका–5 अंक

मौखिकी परीक्षा–5 अंक

## नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)

### कक्षा–11

**प्रश्न पत्रों की निर्माण योजना (प्रारूप)**

| प्रश्नों के प्रकार | कुल प्रश्नों की संख्या | प्रश्नों का अंक | कुल अंक |
|---|---|---|---|
| बहुविकल्पीय प्रश्न | 15 | 02 | 30 |
| अति लघु उत्तरीय प्रश्न | 04 | 04 | 16 |
| लघु उत्तरीय प्रश्न | 03 | 04 | 12 |
| दीर्घ उत्तरीय प्रश्न | 02 | 06 | 12 |
| कुल योग. . | 24 | | 70 |

प्रश्न सरल होने चाहिए उनका विभाजन निम्न प्रारूप में होना चाहिए–

1–ज्ञानात्मक प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2–बोधात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

3–अनुप्रयोगात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

4–कौशलात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

**सैन्य विज्ञान (प्रयोगात्मक)**

**उपकरण एवं अन्य सामाग्री की सूची**

1–टोपोशीट (मानचित्र) जिला एवं प्रदेश

2–सर्विस प्रोटेक्टर मार्क A

3–प्रिज्मैटिक दिक्सूचक (कम्पास)

4–नक्शे (मानचित्र) (अ) संकेतिक चिन्हों का मानचित्र

(ब) भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र

(स) भारत भौगोलिक

(द) भारत हिन्द महासागर

5–प्रयोगात्मक नोट बुक

## नेशनल कैडेट कोर

### कक्षा–12

**पूर्णांक 70 अंक**

**इकाई–1 राष्ट्रीय एकता एवं धर्म निरपेक्षता** **10 अंक**

(क) राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति

(ख) धर्म निरपेक्षता के बुनियादी मूल्य

(ग) राष्ट्रीय हित का अर्थ एवं आवश्यकता

(घ) विभिन्नता में एकता

**इकाई–2 व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व** **10 अंक**

(क) बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास

(ख) नेतृत्व के विकास का महत्व उपाय एवं आवश्यकता

(ग) समय प्रबंधन, साक्षात्कार में दक्षता प्रवीण होने की उपाय

(घ) चरित्र निर्माण का महत्व एवं समाज में उपयोग

**इकाई–3 सैन्य इतिहास एवं युद्ध** **10 अंक**

(क) आधुनिक भारतीय सेनाएं

(ख) भारतीय युद्ध– झेलम का संग्राम 326 B.C., पानीपत का संग्राम 1526 A.D., 1761 A.D.

(ग) भारत– पाकिस्तान युद्ध 1948, 1965,1971, कारगिल संघर्ष 1999

(घ) भारतीय सेना के वीर सपूत (मेजर सैतान सिंह, ब्रिगेडियर उसमान, वीर अब्दुल हमीद, कारगिल के हीरो परमवीर चक्र विजेता योगेन्द्र यादव, संजय (जिवित)

**इकाई–4 असैनिक चुनौतियॉ एवं संचार व्यवस्था** **10 अंक**

(क) साइबर क्राइम

(ख) कम्प्यूटर का योद्धिक प्रयोग

(ग) प्रभावी संचार के सिद्धान्त एवं उपयोग तथा आवश्यकता

(घ) समय प्रबंधन

**इकाई–5 आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक चुनौतियॉ** **08 अंक**

(क) प्राकृतिक आपदा एवं उसका प्रबंधन

(ख) भूकम्प के प्रति जागरूकता एवं बचाने के उपाय

(ग) चक्रवात (तूफ़ान) के प्रति जागरूकता एवं बचाव

(घ) बाढ़ के प्रति जागरूकता एवं बचाने के बचाव

**इकाई–6 सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास** **08 अंक**

(क) सामाजिक कार्यों के प्रति युवाओं की भूमिका एवं रूझान

(ख) ग्रामीण विकास एवं कार्यक्रम

(ग) आंतरिक चुनौतियों की अवधारणा, दायित्व एवं जागरूकता

(घ) एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं बचाव के उपाय

**इकाई–7 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता** **07 अंक**

(क) युवाओं में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना

(ख) मानव शरीर की संरचना का ज्ञान

(ग) हाईजीन के प्रति जागरूकता एवं आवश्यकता बताना

(घ) भोजन एवं हाइजीन के प्रति जागरूकता

**इकाई–8 पर्यावरणीय एवं जल संरक्षण** **07 अंक**

(क) कान्सेप्ट ऑफ ससटनेबुल डेवलपमेंट

(ख) प्राकृतिक संसाधन उसका प्रबंधन

(ग) जल संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व

(घ) बरसात के पानी की संरक्षण

**प्रयोगात्मक** **30 अंक**
**(15 अंक बाह्य, 15 आंतरिक)**

**इकाई–1 मानचित्र अध्ययन** **(5 अंक बाह्य, 5 आंतरिक)**

**इकाई–2 क्षेत्रफल एवं युद्धकला** **(5 बाह्य, 5 आंतरिक )**

(क) भूमिका अध्ययन

(ख) दूरी का मापन

**इकाई–3 दिक्मान** **(10 अंक )**

(क) दिक्मान की संरचना आवश्यकता एवं उपयोग

**अभ्यास पुस्तिका** **(5 आंतरिक)**

**मौखिकी** **(5 आंतरिक)**

## नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)

### कक्षा–12

**प्रश्न पत्रों की निर्माण योजना (प्रारूप)**

| प्रश्नों के प्रकार | कुल प्रश्नों की संख्या | प्रश्नों का अंक | कुल अंक |
|---|---|---|---|
| बहुविकल्पीय प्रश्न | 15 | 02 | 30 |
| अति लघु उत्तरीय प्रश्न | 04 | 04 | 16 |
| लघु उत्तरीय प्रश्न | 03 | 04 | 12 |
| दीर्घ उत्तरीय प्रश्न | 02 | 06 | 12 |
| कुल योग. . | 24 | | 70 |

प्रश्न सरल होने चाहिए उनका विभाजन निम्न प्रारूप में होना चाहिए–

1–ज्ञानात्मक प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2–बोधात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

3–अनुप्रयोगात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

4–कौशलात्मक प्रश्न (उपरोक्त)

**सैन्य विज्ञान (प्रयोगात्मक)**

**उपकरण एवं अन्य सामाग्री की सूची**

1–टोपोशीट (मानचित्र) जिला एवं प्रदेश

2–सर्विस प्रोटेक्टर मार्क A

3–प्रिज्मैटिक दिक्सूचक (कम्पास)

4–नक्शे (मानचित्र) (अ) संकेतिक चिन्हों का मानचित्र

(ब) भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र

(स) भारत भौगोलिक

(द) भारत हिन्द महासागर

1. प्रयोगात्मक नोटबुक

दिब्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 4–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–5 मा0शि0प0–04-06-2021-2,000 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 5 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 15, 1943 शक संवत्)**

**भाग 8**

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 623/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ की समिति बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/होर्डिंग/बैनर/वाल पेन्टिंग/कटआउट/बोर्ड पोस्टर पर कर रोपड़ के उद्देश्य "विज्ञापन कर" नियमावली बनायी है, जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

#### विज्ञापन कर नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ''विज्ञापन कर'' नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **''बोर्ड''** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, जनपद हरदोई के बोर्ड से है।

(घ) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक से है।

(ड) **''नगरपालिका''** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ जनपद हरदोई से है।

(च) **''नगरपालिका की सीमाओं''** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) **''विज्ञापन''** से तात्पर्य किसी ऐसे पत्र, पत्रांक, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले, साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसे पक्ष से है जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की गई है जिससे स्टेनसिल के छापे लिखे हुये या रंगीन तथा वे तस्वीरे और रेखा चित्र भी सम्मिलित है जो इस हेतु बनाये गये है।

(ज) **''भवन''** से तात्पर्य घर, दुकान या छप्पर अथवा अन्य छत्तेदार निर्माण चाहे वे किसी भी विधि से बनायी गयी हो तथा इसके प्रत्येक भाग, जिसमें बाहरी दीवारों घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

(झ) **''व्यक्ति''** में वे सभी सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिये नियुक्त किये तथा फर्मो या कम्पनी/कम्पनी मालिक, स्वामी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि जिनके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

4–कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ की सीमा के भीतर किसी स्थान या भवन पर अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर नियमावली में किया गया है प्रदर्शित करने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न ही लगवायेगा और न लगवाने का अधिकारी है।

5–नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ की सीमा के भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निश्चित स्थान, घर के दो स्पष्ट मानचित्रों में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर की प्रतियां, विज्ञापन का आकार तथा जिनसे समय के लिये आज्ञा मांगी गयी हो इस उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसमें तथा स्थान उपयुक्तता आदि को देखते हुये अशिष्टता, उत्तेजनात्मकता तथा दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित जाँच-पड़ताल करके अस्वीकृति आवेदन-पत्रों पर अस्वीकृति के कारण अंकित किये जायेंगे।

6–अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रद्द कर दे या काट दें या रोक दे ऐसी दशा में शुल्क का यथोचित भाग उनके द्वारा वापस किया जायेगा।

7–नगरपालिका परिषद् की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगर

पालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जावेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिशासी अधिकारी संबंधित लोगों को इसके लिये सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेंगे।

8–**उपरोक्त नियम पांच के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–**

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यो हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करवाये या लगवाये जाये।

(ख) ऐसा साइनबोर्ड जो संबंधित दुकान/मकान के नाम की सूचना देता हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विज्ञापन।

9–**दर/शुल्क**–इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

| क्र0 सं0 | विवरण | आकार | वार्षिक कर | मासिक कर | दैनिक कर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/बोर्ड/होर्डिग ग्लोसाइन बोर्ड उन बोर्ड को कहा जायेगा जो अन्दर की ओर से विद्युत प्रकाशित हो या इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से प्रकाशित हो, दुकानों/ प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड पर नियमावली लागू नहीं होगी जिस पर दुकानदारों का नाम लिखा हो। | 18'×8' | 1000.00 | 100.00 | 4.00 |
| | | 8'×6' | 750.00 | 75.00 | 3.00 |
| | | 8'×4' | 500.00 | 50.00 | 2.00 |
| | | 3'×2' | 400.00 | 40.00 | 1.50 |
| 2 | वाल पेन्टिग | तदैव | 300.00 | 100.00 | 2.00 |
| 3 | टी गार्ड | यूनिट | 100.00 | 50.00 | 2.00 |
| 4 | बैनर | यूनिट | 100.00 | 50.00 | 2.00 |
| 5 | रेलिंग पर (नगर पालिका की जो प्रस्तावित है) | यूनिट | 100.00 | 20.00 | 2.00 |

साइन बोर्ड का आकार 10'×3' से बड़ा नहीं होगा। कपड़े के बैनर की चौड़ाई 21'×3' से अधिक नहीं होगा तथा सड़क के धरातल से 12 फिट के ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

10–यदि नगरपालिका यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध है तो नगरपालिका उसे हटा देगी।

11–दुकानों के आगे नाम पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

12–किसी प्रकार के विज्ञापन जो नगरपालिका शुल्क जमा कर लगवाने की अनुमति व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों ने प्राप्त कर ली है। ऐसी विज्ञापन नहीं लगवाया जा सकता जो मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, दूसरे व्यक्तियों के प्रति घृणा उत्पन्न करती हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर ऐसा कोई उद्बोधन करती हो जो विवाद उत्पन्न कर सकता है।

13–नगर सीमान्तर्गत लगाये गये टी गार्ड/नगरीय शासकीय सम्पत्ति/रैलिंग पर विज्ञापन लगाने से पूर्व यह सिद्ध करना होगा कि वह सद्भाव पूर्ण, आचरणसंग एवं नैतिकतापूर्ण है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से लगाया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में संख्या निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई में निहित होगा।

14–अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित नियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता है

15–नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ नगर सीमान्तर्गत विज्ञापन दाता व्यक्तियों/संस्थाओं/ कम्पनियों तथा नगरपालिका के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है ता अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

16–नगरपालिका/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

17–ग्लो साइन बोर्ड/पेड़ो/विद्युत पोलों/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में प्रदर्शित नहीं किये जायेगें। क्यिास्क पट प्रत्येक खम्भे पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नहीं लगाये जायेंगे। दो बैनरों के बीच की दूरी 1 फुट अनिवार्य होगी तथा क्रास द रोड बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है एवं बैनर की साइज 4'1 मीटर से अधिक नहीं होगा।

18–उपरोक्त शर्तो में परिवर्तन-परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, हरदोई में निहित होगा।

19–शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 624/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 128(2) (IVक) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ की समिति बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत

"नाट्यशाला, प्रेक्षागृहों, केबिल आपरेटर एवं व्यवासायिक प्रदर्शन पर कर लगाने व वसूल करने" नियमावली बनायी है, जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

**"नाट्यशाला, प्रेक्षागृहों, केबिल आपरेटर एवं व्यवासायिक प्रदर्शन पर कर लगाने व वसूल करने" नियमावली**

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई ''नाट्यशाला, प्रेक्षागृहों, केबिल आपरेटर एवं व्यवासायिक प्रदर्शन पर कर लगाने व वसूल करने'' नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका परिषद् समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **''बोर्ड''** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड से है।

(घ) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) **''नगरपालिका''** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ जनपद हरदोई से है।

(च) **''नगरपालिका की सीमाओं''** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) **''स्वामी''** के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी मनोरंजन का मनोविनोद का प्रबन्ध करने के लिये उत्तरदायी हो।

(ज) **''कर''** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 (1) के खण्ड 2 (IVक) में प्रस्तावित नाटय्शाला कर (विनोद या आमोद) पर कर से है।

4–कर देने का दायित्व नियमावली में निम्न सूची में दिये हुए दर से स्वामी ऐसे मनोरजनों या मनो–विनोदों पर जिसका प्रदर्शन या अभिनय नगर पालिका परिषद मल्लावॉ हरदोई की सीमा के अन्तर्गत आयोजित संचालित किया जाता है। जिसमें व्यक्ति साधारणतया भुगतान करने पर प्रवेश पाते है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में कोई देय नहीं होगा जबः

(1) ऐसे मनोरंजन एवं मनोविनोदों से प्रवेश पाने के लिये प्रत्येक प्रदर्शन या अभिनय में प्रति व्यक्ति रुपया 1.00 या इस से कम शुल्क लिया जाता है।

(2) उन प्रदर्शनों पर जो मनोरंजन कर से मुक्त हो।

(3) ऐसे अभिनय या प्रदर्शन से प्राप्त हुई प्राप्तियों को लोकोपकारी, धार्मिक या दोनों प्रयोजनों में लगाया जाता हो।

(4) इसकी लिखित सूचना ऐसे मनोरंजन या मनोविनोद की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व में दी गई हो ऐसे अभिनय या प्रदर्शन की शुद्ध प्राप्तियों की गणना करने में सम्पूर्ण प्राप्तियों के 25 प्रतिशत व्यय संयोजन काटा जा सकता है।

5–**कर का भुगतान**–नियमित रूप से आयोजित या सिनेमा प्रदर्शन की दशा में रविवार का समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम दिन देय होगा। समय पर कर न जमा होने पर स्थाई प्रेक्षागृह रु0 50.00 प्रतिदिन एवं केवल आपरेटर व्यवसायिक एवं अन्य पर रु0 10.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड दय होगा। खण्ड-1 में अभीष्ठ प्रदर्शनों या अभिनयों से निम्न प्रदर्शन या अभिनयों प्रदर्शनों या अभिनयों से निम्न प्रर्दशन आयोजित संचालित किये जाने से कम से कम 3 दिन पूर्व किया जावेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विशेष मामलों में अधिशासी अधिकारी उन कारणों में जो अभिलिखित किये जायेंगे खण्ड के अभीष्ट प्रर्दश्नों या अभिनयों के सम्बन्ध में उनके आयोजन या संचालन के पूर्व या किसी समय कर का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है।

6–**कर का भुगतान करने का स्थान**–कर का भुगतान नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई कार्यालय या ऐसे स्थान पर किया जावेगा जो अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय।

(1) **अधिशासी अधिकारी द्वारा रजिस्टर का रखा जाना**–अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेगी–

[क] नगर में मनोरंजन या मनोविनोद के सम्बन्ध में ऐसे विवरण जो उचित समझें।

[ख] कर के देनदार व्यक्तियों के नाम।

[ग] प्रत्येक सप्ताह नगर में मनोरंजन या मनोविनोद के अभिनयों अथवा प्रदर्शनों सम्भाव्य संख्या और पर देय कर की अनुमानित धनराशि और

[घ] ऐसे अन्य विवरण जो वह आवश्यक समझें।

(2) अधिशासी अधिकारी यह आवश्यक समझे तो ऐसे प्रदर्शन के लिए ऐसे वर्गीकरण के साथ जो उचित समझे रजिस्टर के पृथक विवरणों या खण्डों में रख सकता है।

(3) अधिशासी अधिकारी अन्य रजिस्टरों को भी ऐसे प्रपत्रों और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो आवश्यक समझे रख सकता है।

**7–स्वामी द्वारा विवरण और सूचना प्रस्तुत किया जाना–**

(1) स्वामी उस दिनांक को जब किसी प्रदर्शन, अभिनय के लिये कर का भुगतान किया जावे। अधिशासी अधिकारी को इस नियमावली में निम्न प्रपत्र में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी की तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उक्त नियम 1 में लिखित विवरण को प्रस्तुत किये जाने की विधि को शिथिल कर सकता है।

(3) प्रत्येक स्वामी अधिशासी अधिकारी को ऐसी सूचना देगा जिसकी वजह कर लगाने के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करें:

मनोविनाद, अभिनय या प्रदर्शन का नाम और स्थान

| दिनांक | दिन | आयोजित अभिनयों की संख्या | प्रदर्शनी पर देय कर की धनराशि | अभ्युक्ति की गई हो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | सोमवार | | | |
| | मंगलवार | | | |
| | बुधवार | | | |
| | बृहस्पतिवार | | | |
| | शुक्रवार | | | |
| | शनिवार | | | |
| | रविवार | | | |
| सप्ताह में आयोजित प्रदर्शनों या अभिनयों की कुल संख्या | | | | |

दिनांक.....

देय कुल धनराशि
स्वामी के हस्ताक्षर

**8–दरों की सूची**–(1) नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित रूप से चलने वाले प्रथम श्रेणी सिनेमा घर जिनकी वार्षिक मूल्य रु0 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार रूपये) या उससे अधिक हो। प्रेक्षागृह कर रु0 100.00 प्रति शो

(2) द्वितीय श्रेणी के सिनेमा घरों जिनका वार्षिक मूल्य रु0 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) से कम हो। प्रेक्षागृहकर रु0 50.00 प्रति शो।

(3) नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई क्षेत्र में नियमित रूप से चलने वाले/पार्ट समय में चलने वाले थियेटर, सिनेमा, अन्य मनोरंजन आर्केस्टा सर्कस, नौटंकी आदि पर 30.00 प्रति शो।

(4) केबिल आपरेटर व्यवसायिक का प्रदर्शन प्रतिदिन, 10.00 रुपया प्रतिदिन।

9–**धनराशि वापस करना**–अधिशासी अधिकारी को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मनोरंजन या मनोविनोद के किसी भी अभिनय या प्रदर्शन के सम्बन्ध में भुगतान के कर की धनराशि को वापस कर देगा यदि उसको यह समाधान हो जाय कि–

(क) ऐसा अभिनय या प्रदर्शन वास्तव में नहीं हुआ है और इच्छुक दर्शकों से वसूल की गई धनराशि व्यहार्थ पूरा-पूरा वापस कर दी गई है, या

(ख) भुगतान की गई धनराशि वैध रूप से वसूल करने योग्य नहीं थी।

10–नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन धनराशि वापस करने का कोई दावा अधिशासी अधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक उसे तदर्थ एक प्रार्थना-पत्र अभिनय या प्रदर्शन न होने वाले दिन से 30 दिन की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत न कर दिया जाय।

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के

किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 625/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204(ज0)/90, न0वि0अनु0-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994, शासनादेश संख्या 2806/नौ-9-94-204(ज0)/90 न0वि0अनु0-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 एवं नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ समिति की बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ ने अपनी सीमा के अन्तर्गत लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

### लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई से है।

(च) ''नगरपालिका की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''लाइसेंसिग अधिकारी' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

4–कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने के पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5–लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी।

6–प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेंस प्राप्त कर लेवे।

7–लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि लाइसेंस प्राप्तकर्ता नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृति कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बांटों व मापों का प्रयोग करेंगे।

8–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

9–ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

10–नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी समय भी दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा।

11–अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी लाइसेंस निर्गत कर सकता है।

12–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे संबंधित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

13–इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी लाइसेंस उपनियमावली की शुल्कों की दरें निरस्त हो जायेंगी।

14–वाहनों के लाइसेंस न होने पर अथवा चेंकिग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा जानवर वाली गाड़ियों के जानवर भी बन्द किया जा सकता है।

15–शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उपनियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

16–नगरपालिका समिति यदि आवश्यक समझे तो नीलामी/निविदा के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली इन्हीं शर्तों के अधीन या जैसा समिति निर्धारित करे करा सकती है।

**वार्षिक दरें निम्नवत् होंगी**

| क्र0स0 | मद | निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **(अ)** | **होटल रेस्टोरेन्ट** | रु0 |
| 1 | होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक | 700.00 |
| 2 | होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 से 20 शैय्या तक | 2,000.00 |
| 3 | एक सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैय्यों से ऊपर तथा 30 शैय्या तक | 4,000.00 |
| 4 | 31 शैय्या से 40 शैय्या तक | 4,670.00 |
| 5 | 41 शैय्या से 50 शैय्या तक | 5,335.00 |
| 6 | 50 शैय्या से ऊपर | 6,000.00 |
| 7 | 3 सितारा होटल | 6,000.00 |
| 8 | 5 सितारा होटल | 8,000.00 |
| 9 | रेस्टोरेन्ट | 1,200.00 |
| **(ब)** | **नर्सिंग होम** | |
| 1 | नर्सिंग होम (20 बेड तक) | 900.00 |
| 2 | नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) (35.00 प्रतिबेड) | 1,200.00 |
| 3 | प्रसूति गृह (20 बेड तक) | 900.00 |
| 4 | प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर) | 1,200.00 |
| 5 | प्राइवेट अस्पताल | 800.00 |
| 6 | पैथालाजी सेन्टर | 700.00 |
| 7 | एक्सरे क्लीनिक | 700.00 |
| 8 | डेन्टल क्लीनिक | 800.00 |
| 9 | प्राइवेट क्लीनिक | 800.00 |
| **(स)** | **परिवहन** | |
| 1 | ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी) | 1,200.00 |
| 2 | ट्रान्सपोर्ट (वाहन सहित एजेन्सी) | 2,400.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 3 | आटोरिक्शा 2 सीटर | 240.00 |
| 4 | आटोरिक्शा 7 सीटर (टैम्पो) | 480.00 |
| 5 | आटोरिक्शा 4 सीटर | 330.00 |
| 6 | मिनी बस | 800.00 |
| 7 | बस | 1,000.00 |
| 8 | तांगा/खड़खड़ा | 50.00 |
| 9 | रिक्शा किराये पर | 100.00 |
| 10 | रिक्शा (निजी चालित) | 50.00 |
| 11 | ठेला/ठेली | 50.00 |
| 12 | हाथ ठेला | 25.00 |
| 13 | बैलगाड़ी/भैसागाड़ी | 25.00 |
| 14 | ट्रेक्टर/ट्राली | 100.00 |
| 15 | अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन) | 600.00 |
| 16 | मोटर गैरेज | 1,200.00 |
| 17 | स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शाप | 500.00 |
| 18 | मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस) | 3,000.00 |
| 19 | स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया 3 पहिया) | 1,500.00 |
| 20 | साइकिल की दुकान/साइकिल मरम्मत | 500.00-300.00 |
| **(द) पेट्रोलियम** | | |
| 1 | दुकान मिट्टी का तेल 100 गैलन तक | 50.00 |
| 2 | दुकान मिट्टी का तेल 300 गैलन तक | 70.00 |
| 3 | दुकान मिट्टी का तेल 500 गैलन तक | 150.00 |
| 4 | पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर/पम्पिंग सेट अन्य | 2,000.00 |
| 5 | पेट्रोल पम्प डीजल थोक (आयल कम्पनी) | 2,500.00 |
| 6 | जनरेटर डीजल सेट (किराये पर) | 500.00 |
| 7 | दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन | 500.00 |
| **(य) अन्य व्यवसाय** | | |
| 1 | आटा चक्की (स्पेलर/थालसर) धान मशीन व अन्य फैक्ट्री | 350.00 |
| 2 | धुलाई गृह (लान्ड्री) | 200.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 3 | ड्राइ क्लीनर्स | 600.00 |
| 4 | साबुन फैक्ट्री | 500.00 |
| 5 | आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिन्क, सोडा, ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री | 1,000.00 |
| 6 | गुड़ गोदाम | 500.00 |
| 7 | कंकड़ तथा सुर्खी का भट्ठा | 600.00 |
| 8 | चूना | 350.00 |
| 9 | ईट का भट्ठा | 5,000.00 |
| 10 | पेठा बनाने का कारखाना | 800.00 |
| 11 | जूता बनाने का कारखाना/दुकान | 600.00-300.00 |
| 12 | लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईट, बालू थोक मौरंग, मार्बल टाइल्स, हार्डवेयर | 800.00 |
| 13 | बिजली के समान के विक्रेता छोटे, बड़े | 300.00-500.00 |
| 14 | कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर | 300.00-500.00 |
| 15 | चाय के थोक विक्रेता/फुटकर | 300.00 |
| 16 | नट फैक्ट्री | 100.00 |
| 17 | खाल तथा बाल उतारने वालों पर | 670.00 |
| 18 | कैटरिंग | 250-750.00 |
| 19 | बेकरी (पावर) | 600.00 |
| 20 | बेकरी (भट्टी) | 400.00 |
| 21 | हेयर कटिंग सैलून | 200-350.00 |
| 22 | ब्यूटी पार्लर | 300.00 |
| 23 | कुकिंग गैस एजेन्सी | 1,000.00 |
| 24 | जनरल मर्चेन्ट थोक | 300.00-500.00 |
| 25 | ट्रेलिंग हाउस (5 कर्मचारी) | 300.00 |
| 26 | टेलरिंग हाउस(5 कर्मचारी के ऊपर) | 500.00 |
| 27 | कोयला थोक विक्रेता | 1,500.00 |
| 28 | कोयला फुटकर विक्रेता | 350.00 |
| 29 | बेड़ा नावें | 200.00 |
| 30 | मसाला/पान मसाला कारखाना/फैक्ट्री | 1,500.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 31 | पेन्ट दुकान | 300.00 |
| 32 | बड़ी नावें | 135.00 |
| 33 | छोटी नावें | 70.00 |
| 34 | ज्वेलर्स/सुनार (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्न ओवर | 1,500.00 |
| 35 | ज्वेलर्स/सुनार (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर से नीचे | 1,000.00 |
| 36 | विज्ञापन एजेन्सी | 1,000.00 |
| 37 | डेयरी फार्म | 500.00 |
| 38 | भूसा (थोक विक्रेता) | 300.00 |
| 39 | भूसा (फुटकर विक्रेता) | 200.00 |
| 40 | आडियो लाइब्रेरी | 200.00 |
| 41 | वीडियो लाइब्रेरी | 500.00 |
| 42 | केबिल टी0वी0 | 800.00 |
| 43 | आर्कीटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्ट | |
| | कास्ट एकाउन्ट | 2,000.00 |
| 44 | फाइनेन्स कम्पनी चिट फण्ड | 2,000.00 |
| 45 | इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा | 2,000.00 |
| 46 | फाउन्डिंग, इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल | 800.00 |
| 47 | पशु बध स्लाटर हाउस छोटा/बड़ा प्रति पशु | 30.00 |
| 48 | सींग गोदाम | 350.00 |
| 49 | हड्डी खाल गोदाम | 500.00 |
| 50 | अनाज, तिलहन, चीनी, खाण्डसारी (फुटकर विक्रेता) | 600.00 |
| 51 | अनाज, तिलहन चीनी गुड़, खाण्डसारी (थोक विक्रेता) | 1,000.00 |
| 52 | बार/बियर | 2,500.00 |
| 53 | आइस फैक्ट्री | 200.00 |
| 54 | टेण्ट की दुकान (टेण्ट हाउस) | 750-3,300.00 |
| 55 | दाल, चावल, व बड़ी तेल की मिलें (फैक्ट्री) | 750-3,300.00 |
| **(र) दुकान** | | |
| 1 | पान की दुकान | 50.00 |
| 2 | चाय की दुकान | 50.00 |
| 3 | जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर) | 200.00 |
| 4 | किताबों की दुकान (थोक) | 300.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 5 | किताबों की दुकान (फुटकर) | 200.00 |
| 6 | न्यूज पेपर | 100.00 |
| 7 | लकड़ी की टाल की दुकान (थोक विक्रेता) | 300.00 |
| 8 | लकड़ी की दुकान (फुटकर) | 200.00 |
| 9 | टिम्बर मर्चेन्ट | 2,000.00 |
| 10 | रेडियोमैकेनिक/टी0वी0मरम्मत | 200.00 |
| 11 | टी0वी0 शाप/इलेक्ट्रानिक वस्तुएं | 300.00 |
| 12 | फर्टिलाइजर शाप | 300.00 |
| 13 | प्लास्टिक फैक्ट्री | 1000.00 |
| 14 | प्लास्टिक ट्रैडर्स | 200-800.00 |
| 15 | मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी | 200-400.00 |
| 16 | चाट/मसाला की दुकान | 100-200.00 |
| 17 | ड्राईफ्रूट थोक विक्रेता | 800.00 |
| 18 | ड्राइफ्रूट फुटकर विक्रेता | 200.00 |
| 19 | गैस फिलिंग प्लान्ट | 3,000.00 |
| 20 | सब्जी की दुकान और फल की दुकान | 100.00 |
| 21 | बिल्डर्स (रजिस्टर्ड) | 2000.00 |
| 22 | मसाले थोक विक्रेता | 500.00 |
| 23 | मसाले फुटकर विक्रेता | 200.00 |
| 24 | देशी शराब प्रति दुकान | 2,000.00 |
| 25 | विदेशी शराब प्रति दुकान | 2,500.00 |
| 26 | भैंसा मांस की दुकान | 500.00 |
| 27 | बकरा/बकरी आदि मांस की दुकान/मछली की दुकान | 500.00 |
| 28 | फर्नीचर की दुकान, शोरूम | 1500.00 |
| 29 | फर्नीचर विक्रेता | 800.00 |
| 30 | क्राकरी विक्रेता फुटकर/थोक | 200-600.00 |
| 31 | चूड़ी विक्रेता | 50-200.00 |

**(ल) पशुपालन**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 1 | प्रति जुर्माना कांजी हाउस में बन्द (छोटे/बड़े पशु) | 350.00 |
| 2 | कांजी हाउस में बन्द खुराक प्रतिदिन<br>छोटे जानवर (बकरी आदि) | 50.00 |
| 3 | प्रति खुराक बड़े जानवर (गाय, भैंस घोड़े आदि) | 100.00 |
| 4 | प्रति पशु प्रतिदिन (साफ-सफाई व्यवस्था) | 50.00 |

**विलम्ब शुल्क**

सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु0 50.00 (पचास रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 626/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ की समिति बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये साइन बोर्ड/ग्लो साइन/होर्डिंग/बैनर/वाल पेन्टिंग/कटआउट/बोर्ड पोस्टर पर कर रोपड़ उद्देश्य "विज्ञापन कर" नियमावली बनायी है, जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है, तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## ठेकेदारी पंजीकरण नियमावली

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति**–यह उपनियमावली संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) (जे) (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ ने सीमा में नगर के विकास के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं के विधिवत् संचालन हेतु ठेकेदारी पंजीकरण उपनियमावली बनायी है। जो कि शासकीय नगर पालिका परिषद मल्लावॉ, हरदोई की समिति की बैठक में स्वीकृतोपरान्त एवं गजट में प्रकाशनोपरान्त नगर विकास के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु प्रवृत्त होगी। यदि पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई नियमावली लागू है तो वह इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

2–**परिभाषायें–**जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपनियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनिय, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ से है;

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य उल्लिखित उपनियमावली में यथा स्थान प्रदर्शित शुल्क से है;

(घ) ''नगर पालिका/नगरपालिका' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई से है;

(ङ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका के अध्यक्ष/प्रशासक से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ हरदोई से है।

(छ) ''समिति''-गठित/निर्वाचित समिति से है।

(ज) ''प्राविधिक अधिकारी'' से तात्पर्य नगर विकास, जिला प्रशासन एवं नगरपालिका समिति से नामित अधिकारी से है।

3–**विस्तार–**यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं पर लागू होगी। इस उपनियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार, फर्म एवं निदेशक उद्योग, लघु उद्योग आदि विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र धारी विद्युत ठेकेदार आदि। जो इस उपनियमावली की अन्य शर्तो को पूरा करते हैं, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई में निविदायें डालने हेतु अधिकृत होंगे।

4–**अभिप्राय–**पंजीकृत सभी अकेले अविभाजित हिन्दू परिवारों या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्म, सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कम्पनी जो सही ढंग से पंजीकृत हो, हेतु खुला है यद्यपि अविभाजित हिन्दू परिवारों सभी सार्वजनिक एवं निजी कम्पनी की दशा में कोई एक व्यक्ति विभाग से प्रत्येक जिम्मेदारी पूर्ण सम्पर्क हेतु अधिकृत होना चाहिये। ऐसे अधिकृत व्यक्ति अविभाजित हिन्दू परिवार फर्म सार्वजनिक तथा कम्पनी पर मान्य होंगे।

5–**कार्यों का वर्गीकरण–**ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसी एक/समस्त वर्गों हेतु की जायेगी–

(क) भवन निर्माण/भूमि विकास/सड़क, नाला, नाली आदि निर्माण कार्य

(ख) सेनीटेशन एवं जलापूर्ति कार्य

(ग) विद्युतीकरण कार्य।

(घ) कूड़ा प्रबन्धन आदि कार्य ।

6–ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणियों हेतु अलग-अलग किया जायेगा–

(क) प्रथम श्रेणी ठेकेदार

(ख) द्वितीय श्रेणी ठेकेदार

(ग) तृतीय श्रेणी ठेकेदार

किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ठेकेदार उसी श्रेणी में या उससे निम्न श्रेणी/श्रेणियों में निविदा/निविदाओं में भाग लेगा।

7–**ठेकेदार की योग्यता**–किसी भी श्रेणी/वर्ग में पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने वाला प्रार्थी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा–

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिये;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम् हैसियत एवं चरित्र प्रमाण-पत्र फोटोयुक्त होना चाहिये; तथा वैधता शासनादेश के अन्तर्गत है।

(ग) प्रार्थी आयकरदाता होना चाहिये;

(घ) प्रार्थी जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना चाहिये;

(ङ) प्रार्थी स्वयं तकनीकी योग्यता रखता हो या उसके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी होना चाहिये;

(च) प्रार्थी के पास सफलतापूर्वक कार्यों को सम्पादित कराने का अनुभव होना चाहिये तथा पर्याप्त कार्य सम्बन्धी उपकरण होने चाहिये;

(छ) क्रमांक-5 (क) को छोड़कर शेष कार्य हेतु क्रमांक 3 के अनुसार प्रमाण-पत्र देना होगा।

8–**प्रार्थना-पत्र प्रेषण की विधि**–(1) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ नियम संख्या 9 में दर्शायी गयी धनराशि के अनुसार मूल रसीद, जो कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई में जमा की गई हो, संलग्न करना आवश्यक है।

(2) प्रत्येक निर्धारित फार्म पर प्रार्थना-पत्र के साथ अवाश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित किया जाना चाहिए–

(क) प्रार्थी की स्वयं की तकनीकी योग्यता, प्राप्त कर्मचारी का हलफनामा, प्रमाण-पत्र।

(ख) आयकर प्रमाण-पत्र एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

(ग) अनुभव प्रमाण-पत्र;

(घ) फर्म के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में 'पार्टनरशिप डीड एवं पंजीकरण की सत्यापित प्रति एवं कम्पनी के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में 'डीड ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन' संलग्न करना अनिवार्य है।

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम् चरित्र प्रमाण-पत्र साझेदारी की दशा में प्रत्येक साझीदार को चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम् आर्थिक स्थिति हेतु हैसियत प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 'ज' के अनुसार)

(छ) तकनीकी उपकरणों का हलफनामा।

(ज) निकाय में किसी सगे सम्बन्धी के कार्यरत न होने एवं किसी भी कार्यालय से काली सूची में न डाले जाने का हलफनामा।

**नोट–**हैसियत प्रमाण-पत्र बन्धक मुक्त होगा तथा मुख्तारनामा हैसियत प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। कार्य वर्गीकरण के अनुसार स्वयं के पास उपलब्ध उपकरणों का विवरण शपथ-पत्र पर देना होगा।

9–**पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क**–प्रार्थी को पंजीकरण प्रार्थना-पत्र हेतु निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा, जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जोयगा–

प्रथम श्रेणी रु0 5,000.00

द्वितीय श्रेणी रु0 3,000.00

तृतीय श्रेणी रु0 2,000.00

10–**कार्यालय जहाँ प्रार्थना-पत्र जमा किया जायेगा**–ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मल्लावॉ हरदोई के यहाँ जमा किये जायेंगे।

11–**पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी**–विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी प्रपत्र 'ख' में दर्शाये गये हैं, जिनका निर्णय किसी भी विवाद की दशा में अन्तिम होगा।

12–**सामान्य जमानत धनराशि**–(क) चयनित ठेकेदारों को क्रमांक 3 में दर्शाई गई धनराशि के अनुसार सामान्य जमानत पंजीकरण सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। उक्त समय में वृद्धि प्रदान किये जाने का अधिकार प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, परन्तु किसी भी दशा में समयावृद्धि एक माह से अधिक प्रदान नहीं की जायेगी। निर्धारित अवधि तक जमानत धनराशि जमा न किये जाने की दशा में पंजीकरण स्वयं निरस्त समझा जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई विचार उस वित्तीय वर्ष में नहीं किया जायेगा।

(ख) सामान्य जमानत धनराशि प्रपत्र क्रमांक 3 के अनुसार डाकघर में 'फिक्स डिपाजिट' अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र जो 5 साल से कम अवधि के न हो, रूप में जमा की जायेगी।

(ग) उक्त क्रिया के पश्चात् ठेकेदार/फर्म नगरपालिका में निविदा डालने हेतु अधिकृत होगी, जिसके लिये उसे निविदा धनराशि के सापेक्ष प्रदर्शित धरोहर राशि को जमा करना होगा तथा कार्य स्वीकृति के पश्चात् जमा धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुये 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी, यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसके भुगतान बीजकों से शेष जमानत की पूर्ति कर ली जायेगी। जो अन्तिम भुगतान तिथि से एक वर्ष पश्चात् गुणवत्ता के परीक्षणोपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर वापस की जायेगी अन्यथा जब्त कर ली जायेगी।

(घ) किसी निविदा स्वीकृति के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जाता है, तो उस ठेकेदार की जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त करते हुये काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(च) सक्षम अधिकारी किसी भी कार्य में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की दशा में (जैसे कार्य का समय से पूर्ण न होना, कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानक से निम्न स्तर का होना इत्यादि) उस ठेकेदार की सामान्य जमानत धनराशि में से कटौती करके पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपनी पंजीकरण में से

कटौती करके पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपना पंजीकरण चालू रखने हेतु एक माह में उक्त धनराशि अपने सामान्य जमानत धनराशि में जमा करनी होगी।

(छ) ठेकेदार की सामान्य जमानत धनराशि उसकी पंजीकरण समाप्त आदेश के छः माह के भीतर विमोचित कर दी जायेगी।

13–**पंजीकरण प्रक्रिया**–समस्त प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के अनुसार नामांकन करके निरीक्षण किये जायेंगे, तत्पश्चात् सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अपनी संस्तुतियों एवं आदेश हेतु प्रेषित किये जायेंगे। सक्षम प्राधिकारी अपना अनुमोदन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच किसी प्रार्थना-पत्र पर करवा सकता है। पूर्णतया सन्तुष्ट होने के पश्चात् प्राधिकारी पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों द्वारा आवश्यक जमानत जमा करवा दिये जाने की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान करेंगे। यदि संस्तुति अधिकारी/प्राधिकारी किसी प्रार्थना-पत्र से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, तो वह समिति के अध्यक्ष को उन कारणों को अवगत कराते हुए प्रार्थना-पत्र निरस्त कर सकते है। सभी प्रार्थना-पत्र प्राप्ति से मात्र 3 माह के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। तीन माह में अन्तिम आदेश न हो पाने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

14–**विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों की सूची का रख-रखाव**–कार्यालय नगरपालिका विभिन्न श्रेणी वर्ग के ठेकेदारों की अलग-अलग सूची प्रपत्र 'ग' में तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

15–**पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना**–अधिशासी अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों की सूची के अनुमोदनोपरान्त समस्त औपचारिताएं पूर्ण कराकर ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रपत्र 'घ' के अनुसार निर्गत किया जायेगा।

16–**प्रमाण-पत्र की मान्य अवधि**–प्रत्येक श्रेणी/वर्ग के ठेकेदारों हेतु जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र उसी वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा, जिसमें वह निर्गत किया गया हो।

17–**प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण**–पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने से दो माह पूर्व ठेकेदार को प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को प्रेषित करना होगा। तत्पश्चात् आवश्यक जांचोपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा नये पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जो अगले एक वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। नवीनीकरण हेतु ठेकेदारों को हैसियत चरित्र प्रमाण-पत्र, आय कर एवं जी0एस0टी0 की क्लीयरेन्स प्रस्तुत करनी होगी। नवीनीकरण शुल्क प्रथम रु0 5,000.00, द्वितीय रु0 3,000.00, तृतीय रु0 2,000.00 देय होगा।

18–**प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति**–पंजीकरण प्रमाण-पत्र खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित फीस जमा करने पर निर्गत की जायेगी–

प्रथम श्रेणी हेतु रु0 3,000.00

द्वितीय श्रेणी हेतु रु0 2,000.00

तृतीय श्रेणी हेतु रु0 1,000.00

19–**पंजीकरण की कुल अवधि**–समस्त वर्ग/श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण की कुल अवधि पंजीकरण चालू वित्तीय वर्ष से 31 मार्च से होगी अर्थात 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं पुनः फार्म/ठेकेदार नये सिरे से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20–**ठेकेदारों के पंजीकरण का निरस्तीकरण**–ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु समिति के अध्यक्ष के पास पंजीकरण आदेश को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। परन्तु इस प्रकार के किसी निरस्तीकरण से पूर्व ठेकेदार को

''कारण बताओ नोटिस'' पन्द्रह दिवस का देना होगा ताकि प्रश्नगत ठेकेदार प्राधिकारी को अपनी परिस्थितियों/कारणों की व्याख्या कर सके–

(क) कार्यों का मानक के अनुसार न होना।

(ख) कार्यों का निविदा अनुबन्ध में निर्धारित समय से पूर्ण न कराया जाना।

(ग) ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार के गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना।

(घ) योजना से सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया जाना।

अधिशासी अधिकारी क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करेंगे। ऐसे प्रत्येक आदेश का अन्तिम अनुमोदन अध्यक्ष, नगरपालिका/जैसी स्थिति हो द्वारा किया जायेगा।

21–**निरस्तीकरण की सुनवाई–**किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त किये जाने पर वह नगर पालिका समिति में इस प्रकार के आदेश के 'खिलाफ सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र कर सकता है, परन्तु केवल उन्हीं प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायेगा, जो निरस्तीकरण आदेश के एक माह की अवधि में प्रेषित किये गये हो, एवं साथ में रु0 500.00 जमा कर, रसीद मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22–निर्माण कार्य करने के बीच में यदि कोई ठेकेदार कार्य अपनी इच्छा से बन्द करे या जानबूझ कर विलम्ब करना चाहता हो और ऐसा अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी या प्रशासक को विदित हो जाय, सन्तुष्ट हो तो ठेकेदार के नाम स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार के नाम स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार को किये गये अधूरे निर्माण कार्य का भुगतान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे अधूरे निर्माण कार्य को किसी भी अन्य ठेकेदार से पूरा करवाया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में भी ऐसे अधूरे निर्माण कार्य को पंजीकृत ठेकेदार में से किसी भी एक ठेकेदार से पूर्व स्वीकृत दरों से ही निर्माण कार्य करवाया जायेगा। अन्यथा निर्माण कार्य के लिये नियमानुसार पुनः टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे।

23–प्रत्येक ठेकेदार को निर्माण कार्य सम्बन्धी समस्त जानकारी निर्माण स्थल का निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में टेण्डर देने से पूर्व पूर्णरूप से प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

24–निर्माण कार्यों के आंकलन (प्राक्कलन) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई उ0प्र0 पा0 का0 लि0 या अन्य संस्थाओं जो जिले के लिये अधिकृत मान तालिका के अनुसार ही नगरपालिका के लिये अधिकृत प्राविधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी, अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा निर्मित होंगे तथा किसी भी कार्य के करवाने में स्वीकृत मान तालिका में वर्णित दरों, स्वीकृत निविदा के अन्तर्गत ही ठेकेदारों को भुगतान किया जायेगा।

25–निर्माण कार्य सम्पन्न करते समय या निर्माणाधीन स्थिति में कार्यरूप निर्माण में परिवर्तन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित होगा। ठेकेदार की इच्छा से स्वीकृत प्लान से बाहर या किसी प्रकार परिवर्तन किये जाने की स्थिति में वर्णित किसी भी विहित प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे निर्माण कार्य को ठेकेदार के जोखिम दरों या जुर्माना, परन्तु जुर्माने की धनराशि स्वीकृत निर्माण कार्य की लागत का 10 प्रतिशत तक ही होगी, निर्धारित कर या तो निर्माण कार्य तुड़वा देगा या रहने दिया जायेगा। ठेकेदार को स्वेच्छा से किये गये निर्माण कार्य का उसको किसी भी दशा में भुगतान नहीं होगा।

26–स्वीकृत निर्माण कार्य में छल, कपट या किसी अन्य प्रकार से ठेकेदार द्वारा अपने हित में जिससे कि उसे अधिक लाभ हो रहा हो या होना पाया जाय, पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व प्राविधिक अधिकारी को लागत निर्माण कार्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना करने का अधिकार होगा और कार्य ठीक करवाने बाबत नोटिस भी जारी

किया जायेगा। पुनः अवहेलना करने पर 10 प्रतिशत की कटौती उसके अग्रिम भुगतान या अन्तिम भुगतान बिल में यह काट ली जायेगी जो कि किसी भी स्थिति में उसको देय नहीं होगा।

27—ठेकेदार का निर्माण कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में या निर्माण कार्य के दौरान पूरे उपकरणों, वांछित मात्रा का प्रयोग न करने व पाये जाने पर अध्यक्ष, प्राविधिक अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि तत्काल ही ठेकेदार को नोटिस दे दे या काम रोक दे।

28—ठेकेदार के नाम प्रशासनिक स्वीकृति किसी भी निर्माण कार्य को करवाने के लिये दिये जाने से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को आवश्यक होगा कि वह कार्य को पूरा करने हेतु इकरारनामा वांछित स्टाम्प पेपर पर स्वयं क्रय कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

29—प्रत्येक निर्माण कार्य की धनराशि के अनुसार ही 1 प्रतिशत निविदा मूल्य जमा करने के पश्चात जैसा कि निविदा सूचना में दिया होगा। ठेकेदार को निविदा प्रपत्र शुल्क का भुगतान करने पर ही देय होगा।

30—यदि किसी ठेकेदार का कार्य एवं आचरण असन्तोषजनक पाया गया या पाया जाय कि ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन किया है या निर्धारित शर्तों का पालन प्राविधिक स्तर से नहीं किया गया है तो उसका नाम ठेकेदारी की अनुमोदित सूची में से काट कर अध्यक्ष उसे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं व भविष्य में उसे निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित भी किया जायेगा।

31—ठेकेदार को नगर पालिका के अध्यक्ष, प्रशासक, प्रभारी अधिकारी, अधिकारी अवर अभियन्ता नामित की हिदायतों का पूर्ण पालन करना होगा व ये सभी अधिकारी व प्राविधिक अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं, त्रुटियों के अनुपालन हेतु निर्देश दे सकते हैं, कार्य को घटा या बढ़ा सकते हैं या वांछित परिवर्तन हेतु लिख सकते हैं जिसका कि अक्षरसः पालन ठेकेदार को करना होगा।

32—निविदा प्रपत्र में वर्णित व उल्लिखित शर्तों का अनुपालन जैसे भी सामूहिक या परिवर्तन की शर्तो का अनुपालन करना अंकित होगा, ठेकेदार को मान्य होगा।

33—नगर पालिका के समस्त निर्माण कार्यों/अन्य कार्यो के लिये प्रयुक्त उपकरण, साज-सामग्री या निर्माण स्थल पर पायी जाने वाली निर्माण सामग्री पत्थर, ईंट, बजरी आदि यदि पहले से पड़ी हो तो उसका प्रयोग करने की स्थिति में अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसकी कीमत निर्धारित कर ठेकेदार के बिलों में से काट लें, ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि निर्माण स्थल से जो भी उपकरण आदि हटवाने की आवश्यकता होगी और जिसका प्रयोग करना ठेकेदार को जायज न होगा, ऐसे सामान व निकाली हुयी सम्पत्ति को ठेकेदार को कार्यालय में जमा करनी होगी। अन्यथा ऐसी सामग्री उपकरण आदि की कीमत जो तय की जायेगी, ठेकेदार से वसूल की जायेगी या उसके अग्रिम या नवीनतम बिलों में से काटी जायेगी।

34—निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् किये गये निर्माण कार्य के मूल्य या लागत जिसका कि माप प्राविधिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा व माप पुस्तिका में अंकित होगा, के कार्य का भुगतान जैसा भी उचित समझा जायेगा ठेकेदार की कार्य की प्रगति देने व सुविधा के दृष्टिकोण से अग्रिम भुगतान भी देय होगा।

35—यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य को निर्धारित अवधि में अन्तर्गत पूरा करके नहीं देता तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि सार्वजनिक निर्माण कार्य/अन्य कार्य, को जनहित में 10 प्रतिशत तक विलम्ब से तैयार करने का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में समय वृद्धि भी दी जानी मान्य समझी जायेगी।

36—प्रत्येक निर्माण कार्य के अन्तिम भुगतान के लिये संस्तुति एवं प्रस्तुतीकरण करने से पूर्व ठेकेदार के द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य के प्राविधिक स्तर से प्राविधिक अधिकारी द्वारा ही कार्य संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण मानक के अन्तर्गत आंगणन में दी गयी विशिष्टियों के अन्तर्गत हुआ है, ने इस आशय का प्रमाण-पत्र दे दिया हो, प्रमाण-पत्र के अभाव में अन्तिम भुगतान बिल को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली जोयगी और न ही भुगतान देय होगा।

37–कार्य ठीक पाये जाने, रहने या टूट-फूट न होने की स्थिति में कार्य के निमित्त जमा की गयी जमानत की धनराशि जो कि ठेकेदार द्वारा या बिलों के माध्यम से 10 प्रतिशत काटी गयी धनराशि तभी ठेकेदार को देय होगी जबकि उसकी अवधि पॉच वर्ष की न हो जाये। यदि स्वीकृत फर्म/ठेकेदार चाहे तो एक वर्ष के उपरान्त बैंक गारण्टी लगाकर जमा जमानत धनरशि वापस प्राप्त कर सकता है। पॉच वर्ष की अवधि से तात्पर्य ठेकेदार को अन्तिम भुगतान किये जाने की तिथि से मानी जायेगी। निर्माण कार्य ठीक न रहने व टूट-फूट होने की स्थिति में जमा जमानत राशि तभी देय होगी जब तक कि ठेकेदार ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। अन्यथा ऐसी समस्त मरम्मत कार्य नगर पंचायत द्वारा प्राविधिक अधिकारी के नेतृत्व में करवा दिया जावेगा या धरोहर/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

38–उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा किसी प्रकार संशोधन नगरपालिका की समिति में संकल्प पारित के उपरान्त ही किया जायेगा, प्रतिबन्ध होगा कि निर्धारित शुल्क में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

39–लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमावली के यदि कोई बिन्दु इसमें छूटा हो तो मान्य होगा।

40–अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे।

41–देयक से नियमानुसार काटी जाने वाली आयकर, जी0एस0टी0, खनिज अादि की कटौती मान्य होगी।

42–समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेश फर्म/ठेकेदार पर लागू होंगे।

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

**प्रपत्र-(च)**

पंजीकरण/सुनवाई सम्बन्धी, नवीनीकरण, सत्यापित प्रति हेतु

प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, जनपद हरदोई।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं/हम नगर विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेकेदारी हेतु पंजीकरण की सुनवाई/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति की सत्यापित प्रति हेतु आवेदन करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं/हम ठेकेदारी हेतु पंजीकरण सम्बन्धी समस्त योग्यताएं/औपचारिकतायें पंजीकरण नियमावली के अनुसार पूर्ण करते हैं।

मैं/हम स्वेच्छा से घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित किसी भी तथ्य के गलत होने पर मेरा/हमारा नाम ठेकेदारों की पंजीकरण सूची से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

संलग्नक–निर्धारित आवेदन फीस की मूल रसीद।

आवेदक के हस्ताक्षर,
(नाम व पता)।

**निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय के पत्र सं0 तक0सेल/07/निदे0/2019, दिनांक 28 जून 2019 के आदेश के अनुसार ठेकेदारों के लिए निर्धारित सीमा, निर्धारित हैसियत (साल्वेंसी) एवं निर्धारित जमानत निम्नवत् होगी–**

1–विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए निर्धारित निविदा सीमा–

| क्र0सं0 | कैटेगरी | क्लास (ए) | क्लास (बी) | क्लास (सी) | क्लास (डी) | क्लास (ई) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रिजेस और रोड्स | असीमित | रु0 2.00 करोड़ | रु0 75.00 लाख | रु0 40.00 लाख | रु0 5.00 लाख |
| 2 | बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई | तदेव | रु0 2.00 करोड़ | रु0 75.00 लाख | रु0 40.00 लाख | रु0 5.00 लाख |
| 3 | इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स | तदेव | रु0 5.00 लाख | रु0 2.50 लाख | रु0 1.00 लाख | – |
| 4 | रोड साइनेज वर्क्स | तदेव | रु0 5.00 लाख | – | – | – |

2–विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए निर्धारित हैसियत (साल्वेसी )सीमा–

| क्र0 सं0 | कैटेगरी | क्लास (ए) | क्लास (बी) | क्लास (सी) | क्लास (डी) | क्लास (ई) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रिजेस और रोड्स | रु0 50.00 लाख | रु0 40.00 लाख | रु0 20.00 लाख | रु0 5.00 लाख | – |
| 2 | बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई | तदेव | तदेव | तदेव | तदेव | – |
| 3 | इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स | रु0 40.00 लाख | रु0 2.00 लाख | रु0 1.00 लाख | – | – |
| 4 | रोड साइनेज वर्क्स | रु0 15.00 लाख | रु0 2.00 लाख | – | – | – |
| 5 | लेबर वर्क | – | – | – | – | रु0 10.00 हजार |

3–विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए निर्धारित जमानती राशि की सीमा–

| क्र0 सं0 | कैटेगरी | क्लास (ए) | क्लास (बी) | क्लास (सी) | क्लास (डी) | क्लास (ई) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रिजेस और रोड्स | रु0 5.00 लाख | रु0 2.00 लाख | रु0 1.00 लाख | रु0 50.00 हजार | – |
| 2 | बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई | तदेव | तदेव | तदेव | तदेव | – |
| 3 | इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स | रु0 1.00 लाख | रु0 50.00 हजार | रु0 5000.00 | – | – |
| 4 | मैकनिकल वर्क्स | तदेव | तदेव | तदेव | रु0 2.50 हजार | – |
| 5 | रोड साइनेज वर्क्स | रु0 15.00 लाख | रु0 37.50 हजार | – | – | – |
| 6. | लेबर वर्क | – | – | – | – | रु0 2.5 हजार |

**प्रपत्र–'क**

पंजीकरण हेतु न्यूनतम तकनीकी योग्यता

| क्र0सं0 | वर्ग | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भवन निर्माण/भूमि विकास कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य | डिप्लोमा/योग्य अवर अभियन्ता | अवर अभियन्ता | अवर अभियन्ता |
| 2 | सेनेटरी एवं जल आपूर्ति कार्य द्वारा पंजीकृत ठेकेदार | लाइसेन्स प्लम्बर उ0प्र0जल निगम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार | लाइसेन्स प्लम्बर उ0प्र0जल निगम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार | लाइसेन्स प्लम्बर उ0प्र0जल निगम |
| 3 | विद्युतीकरण कार्य लाइसेन्सी | विद्युत अधिष्ठान लाइसेन्सी | विद्युत अधिष्ठान लाइसेन्सी | विद्युत अधिष्ठान |
| 4 | कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य | उद्योग, लघु उद्योग आदि से पंजीकृत फर्म | उद्योग, लघु उद्योग आदि से पंजीकृत फर्म | उद्योग, लघु उद्योग आदि से पंजीकृत फर्म |

**टिप्पणी**–यदि उपरोक्त दर्शायी गई तकनीकी योग्यताएं ठेकेदार स्वयं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हलफनामा के स्थान पर अपनी योग्यता का सत्यापित प्रमाण-पत्र/लाइसेन्स जमा करना होगा।

**प्रपत्र-'ख'**

पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी

| क्र0सं0 | वर्ग | सक्षम प्राधिकारी | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी |
| 1 | भवन निर्माण/भूमि एवं सड़क निर्माण कार्य | अध्यक्ष/अधि0अधि0 नगर पालिका परिषद मल्लावॉ | अध्यक्ष/अधि0अधि0 जनपद हरदोई | अध्यक्ष/अधि0अधि0 |
| 2 | सेनेटरी एवं जल आपूर्ति कार्य | तदेव– | तदेव– | तदेव– |
| 3 | विद्युतीकरण कार्य | तदेव– | तदैव– | तदेव– |
| 4 | कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य। | तदेव– | तदेव– | तदेव– |

**टिप्पणी**–ठेकेदारों का पंजीकरण समस्त श्रेणी, वर्गो हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका द्वारा अग्रसारित एवं संस्तुति किये जाने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

**प्रपत्र 'ग'**

ठेकेदारों के पंजीकरण सम्बन्धी सूचना का रख-रखाव

| क्र0सं0 | ठेकेदार का नाम | पिता का नाम | पूरा पता दिनांक | पंजीकरण | श्रेणी | वर्ग | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**प्रपत्र 'घ'**

**नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई में ठेकेदारी हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....पुत्र..... निवासी..... को वर्ग .....श्रेणी से नगर विकास कार्य ..... के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है, यह प्रमाण-पत्र दिनांकः ..... से 31 मार्च 20 तक मान्य होगा।

# कार्यालय नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई

ठेकेदार का नाम– पिता का नाम– विषय–ठेकेदारी पंजीकरण

पता– स्टेशनरी मूल्य रु0 500 दिनांक.....

रसीद सं0..... क्रमांक.....

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई

### ठेकेदार के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष 20-21

### उ0प्र0 नगरपालिका (पालिका) अधिनियम, 1916 की

### धारा 298(2) (जे)(डी) के अन्तर्गत

सेवा में,

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ,
जनपद हरदोई।

महोदय,

मैं/हम .....में ठेकेदार के पंजीकरण हेतु वर्ग..... श्रेणी..... .....में आवेदन करना चाहता/चाहते हैं। मैंने/हमने निर्धारित फीस रूपया.....रसीद सं0.....द्वारा जमा कर दिया है, जो मूलरूप में संलग्न है।

पंजीकरण हेतु निर्धारित विवरण निम्नलिखित है–

1–(क) आवेदक का नाम/व्यक्ति/फर्म/कम्पनी.....

(ख) व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पता.....

(ग) दूरभाष नम्बर यदि हो.....

2–(क) व्यक्ति की राष्ट्रीयता.....

(ख) फर्म/कम्पनी के पंजीकरण का स्थान.....

3–आवेदक/फर्म/कम्पनी का वर्तमान व्यवसाय.....

4–क्या किसी बिल्डर संस्था के सदस्य हैं, यदि हां तो संस्था का नाम एवं सदस्यता प्राप्त की तिथि..... .....

5–पावर ऑफ अटारनी प्राप्त व्यक्तियों के नाम.....

(पावर ऑफ अटारनी की सत्यापित प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।

6–साझेदारों के नाम एवं फर्म में साझेदारी का हिस्सा.....

(पार्टनर शिप डीड की सत्यापित प्रति)

7–क्षेत्र जिसमें आवेदक कार्य करना चाहता है.....

8–आवेदक का पूर्ण अनुभव–

(क) कार्यों के नाम.....

(ख) कराये गये कार्यों का लागत.....

.....

(ग) कार्य सम्पादन का वर्ष.....

(घ) विभाग का नाम जिसमें कार्य कराये गये हैं.....

(विभागीय अनुभव प्रमाण-पत्र/सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

9–(क) ठेकेदार के पास कार्यरत तकनीकी कर्मचारी की योग्यताएं एवं अनुभव.....

(ख) निर्माण विकास कार्यों सम्बन्धी मशीनरी ट्रान्सपोर्टर इत्यादि का विवरण.....

कार्य इनकम यदि कोई हो तो विवरण एवं स्थान.....

10–यदि आवेदक का स्वयं किसी वर्ग हेतु तकनीकी.....

योग्यता रखता हो तो सम्बन्धित योग्यता का सत्यापित प्रमाण-पत्र एवं विवरण.....

11–यदि आवेदक कहीं अन्य कार्यों हेतु भर्ती है तो उसके विभाग का नाम एवं स्थान.....

.....

12–यदि आवेदक किसी अन्य विभाग में पंजीकृत फर्म में हिस्सेदार है तो उसका सम्पूर्ण विवरण.....

.....

13–(क) आवेदक स्वयं अथवा उसकी संस्था कितने वर्षों से इस पदनाम में कार्यरत है।.....

(ख) क्या आवेदक पूर्व में कोई कार्य पूर्ण करा पाने में असमर्थ रहा है, तो कहां और क्यों.....

.....

**प्रमाण-पत्र**

(क) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम नगर विकास योजना कार्यक्रम में ठेकेदारी हेतु किसी एक नाम से ज्यादा पंजीकरण नहीं करायेंगे।

(ख) मैं/हम उपरोक्त वर्णित विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने वाले अधिकारी को तुरन्त सूचित करेंगे।

(ग) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त समस्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है एवं इनमें कोई भी तथ्य गलत आने पर मेरा/हमारा नाम उक्त योजना कार्यक्रम से निरस्त किया जा सकता है।

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता)

**महत्वपूर्ण टिप्पणी–**

(1) सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ प्रमाणित कराकर संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) एक से अधिक वर्ग में पंजीकरण हेतु इच्छुक पृथक् से आवेदन-पत्र प्रेषित करेंगे।

(3) रु0 100.00 के स्टाम्प पर अभिलेखों की सत्यता के क्रम में शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

# कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 627/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298-2 (जे)(जी) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई की समिति बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत "नगर फीस" नियमावली बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है, तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## नकल फीस नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ''नकल फीस'' नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/ प्रशासक से है।

(ड) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई से है।

(च) ''नगरपालिका की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4–यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अभिलेख तथा लेखों की, जो नगर पालिका के हों अथवा उनके कब्जे में हो, कोई प्रतिलिपि अथवा कोई उद्धरण न ही दिया जायेगा और न ही ऐसे लेख या अभिलेखों का निरीक्षण करने की स्वीकृति ही प्रदान की जायेगी जब तक कि अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की लिखित अनुमति न प्राप्त हो जाय।

5–प्रतिलिपि दिये जाने का, निरीक्षण कराने का पूर्ण अधिकार नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी एवं उसके द्वारा नामित कर्मचारी में सुरक्षित है।

6–नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के सेवा-निवृत्त/कार्यरत कर्मचारियों को उनके सम्बन्धित मामलों में निरीक्षण करने अथवा प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

7–अधिशासी अधिकारी यदि कोई प्रतिलिपि देने, प्रमाण-पत्र देने अथवा निरीक्षण कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र निरस्त कर देते हैं तो वह व्यक्ति बोर्ड/जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और इस सम्बन्ध में बोर्ड/जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अन्तिम होगा।

8–सिवाय उपर्युक्त के कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अभिलेखों अथवा लेखों का निरीक्षण करना या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना अथवा उसमें से कोई उद्धरण प्राप्त करना चाहता हो, तो अभिलेख अथवा लेख का स्पष्ट रूप से विवरण देते हुये अधिशासी अधिशासी को लिखित आवेदन-पत्र देना होगा। जिस पर रु0 2.50 का कोर्ट स्टाम्प लगाना आवश्यक होगा।

9–बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई तथा राज्य सरकार के किसी अधिकारी के बीच किये गये किसी पत्र-व्यवहार का अथवा किसी भी मामले का जिसे निरीक्षण करना जिसमें बोर्ड/नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, जनपद हरदोई के हित में हानिकारक है, निरीक्षण करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसे अभिलेखों के उद्धरण की प्रतिलिपियां व प्रमाण-पत्र भी देने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

10–किसी ऐसे लेख के कोई उद्धरण नहीं दिये जायेंगे जिन्हें पत्रावली से अलग करके पढ़ने पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये अन्तिम आदेशों से उल्टा अर्थ या आदेश निकालने की सम्भावना हो।

11–निरीक्षण शुल्क प्रार्थी द्वारा रु0 50.00 प्रति घण्टा या घण्टे के किसी भी भाग पर देय होगा। प्रथम घण्टे की निरीक्षण शुल्क की रसीद प्रार्थना-पत्र के साथ नत्थी कर दी जावेगी।

12–निरीक्षण के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, जिसका प्रारूप नीचे दिये गये शीर्षकों के अनुसार होगा।

(1) क्रम संख्या।

(2) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि तथा रसीद संख्या, जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र की फीस प्राप्त हुई।

(3) प्रार्थी का नाम व पता।

(4) रजिस्टर या दस्तावेज, जिसका निरीक्षण करना चाहा गया हो।

(5) निरीक्षण प्रारम्भ करने का समय।

(6) निरीक्षण समाप्त करने का समय।

(7) पूरा समय जो निरीक्षण में लगा।

(8) निर्धारित फीस।

(9) रसीद संख्या, जिसके द्वारा फीस वसूल की गई।

13–सभी निरीक्षण अधिशासी अधिकारी/किसी अन्य कर्मचारी की देख-रेख में कराया जायेगा। उक्त कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि दस्तावेज या कागज को कोई क्षति न पहुंचे या उसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। निरीक्षण की पूरी फीस वसूल कर लेने की भी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।

14–प्रार्थी स्वयं निरीक्षण कर सकता है या अपने किसी अन्य व्यक्ति से करा सकता है, परन्तु उस व्यक्ति, जिससे निरीक्षण करवाना चाहता हो, प्रमाण-पत्र में उसका नाम व पता का भी उल्लेख किया जायेगा, निरीक्षण करते समय उसकी प्रतिलिपि नहीं तैयार की जा सकती है।

15—प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना-पत्र करते ही अन्यथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा निर्धारित कोई नगर पालिका कर्मचारी उसकी प्रतिलिपियों के रजिस्टर में उल्लेख कर देगा, जिसका रजिस्टर निम्नलिखित शीर्षकों के प्रारूप में बनाया जायेगा—

(1) क्रम संख्या।

(2) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने का दिनांक तथा रसीद संख्या, जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र की फीस प्राप्त हुई।

(3) प्रार्थी का नाम व पता।

(4) उस कागज व दस्तावेज का विवरण, जिसकी प्रतिलिपि व प्रमाण-पत्र चाहा गया।

(5) प्रार्थना-पत्र जो किसी कमी को दूर करने की सूचनाओं की तिथि।

(6) प्रतिलिपि शुल्क, जो वसूल किया गया तथा उसकी रसीद संख्या।

(7) प्रतिलिपि तथा प्रमाण-पत्र में तैयार करने की तिथि।

(8) प्रार्थी के हस्ताक्षर।

(9) सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर।

(10) अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर।

16—प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही उसकी भली-भांति जांच कर ली जाय तो यथासमय तुरन्त प्रार्थी को सूचित कर दिया जायेगा अन्यथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दी जावेगी, कमी का विवरण दिया जायेगा। यदि सूचना देने या नोटिस लगाने के सात दिन के अन्दर कमी को दूर न किया तो प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

17—प्रतिलिपि तैयार होने पर उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। यदि नोटिस लगाने के 15 दिन के अन्दर तैयार की गई प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा न ले ली जाय तो वह नष्ट कर दी जावेगी और इस सम्बन्ध में दोबारा प्रार्थना-पत्र देता है तो निर्धारित सभी शुल्क उससे लिये जायेंगे।

18—प्रतिलिपि तैयार कर देने के पश्चात् निर्धारित कर्मचारी अपने तैयार करने के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर बनायेगा और अधिशासी अधिकारी या अन्य कर्मचारी उसका मिलान करके अपना हस्ताक्षर बनायेगा, तदोपरान्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी अपने हस्ताक्षरों से सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित करेंगे और नगर पंचायत मोहान जनपद उन्नाव की सामान्य मोहर लगाई जायेगी।

19—निरीक्षण न कराने या प्रतिलिपि न देने के आदेश होने पर निरीक्षण या प्रतिलिपि शुल्क प्रार्थी को वापस कर दिया जायेगा। प्रार्थना-पत्र की फीस रु0 50.00 किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

20—आवश्यक प्रतिलिपि तीन दिन के अन्दर और साधारण प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र जमा होने के 7 दिन के अन्दर जारी कर दी जावेगी।

21—प्रतिलिपि शुल्क तथा प्रमाण-पत्र शुल्क प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित दरों पर देय होगा, जो प्रार्थना पत्र के साथ जमा करके रसीद उसी के साथ नत्थी कर दी जावेगी।

22—आवश्यक निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर वाटर मार्क पेपर, जिस पर नकल दी जावेगी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ दिये जायेंगे :

| क्रमांक | विवरण | साधारण (72 घंटो के भीतर) | आवश्यक (24 घंटो के भीतर) |
|---|---|---|---|
| 1 | कार्यवाही पुस्तक अथवा कर निर्धारण सूची से भिन्न किसी लेखों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु | 50.00 | 100.00 |
| 2 | किसी लेखा तथा अभिलेख को खोज निकालने अथवा उसका पता लगाने के प्रयोजनार्थ किसी अनुक्रमणिका पंजी को ढूढ़ने के लिए प्रत्येक ढूढ़ने के वर्ग हेतु | 100.00 प्रतिदिन | 100.00 |
| 3 | किसी लेख नब्बे शब्दों तथा कार्यालय की प्रतिकूल अभिलेखों की प्रतिलिपि बनाने या एक पेज अथवा उसमें से किसी भाग के उद्धरण के लिए | 75.00 | 100.00 |
| 4 | किसी आदेश या प्रस्ताव अथवा प्रार्थना-पत्र या रिपोर्ट की प्रतिलिपि | 25.00 | 50.00 |
| 5 | नगर पंचायत के विभिन्न रजिस्टरों के इंद्राज तक या उसके भाग के लिए | 75.00 | 100.00 |
| 6 | मकानों के नक्शे 30×20 मि0मी0 तक अथवा उसके किसी भाग के लिए | 100.00 | 150.00 |
| 7 | अन्य मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि | 50.00 | 75.00 |
| 8 | अन्य कागजातों के निरीक्षण, अन्य प्रमाण-पत्रों हेतु | 50.00 | 75.00 |

**नोट**–चालू वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त विगत वित्तीय वर्षों के लिए किसी प्रकार की नकल मांगे जाने पर प्रतिवर्ष रु0 100.00 की दर से अतिरिक्त चार्ज देना होगा जोकि उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से 8 तक पृथक्-पृथक् देय होगा।

23–इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में विहित प्राधिकारी/आयुक्त, यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरुपयोग नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को निलम्बित करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार विहित प्राधिकारी/आयुक्त को होगा।

24–शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उपनियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

## शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

# कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 628/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (सी) तथा जो (टी) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई की समिति बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत "प्रोजेक्शन बढ़ाव नियमावली बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## प्रोजेक्शन (बढ़ाव) नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई प्रोजेक्शन बढ़ाव नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई से है।

(च) ''नगरपालिका की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4–किसी सड़क अथवा नाली के ऊपर बढ़ाव का निर्माण अथवा पुनर्निमाण की आज्ञा लेने के लिए प्रार्थना-पत्र उपनियम संख्या 2 में विहित ढंग के अनुसार तैयार किए निम्नलिखित मानचित्रों की दो प्रतियों के साथ दिया जायेगा–

(क) उस क्षेत्र से सम्बन्धित भवन की यथार्थ स्थिति दिखाते हुए मूल मानचित्र।

(ख) एक मानचित्र जिसमें सम्बन्धित भवन की विद्युत तारों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धित स्थिति यदि कोई हो और पास की गलियों अथवा कूचों तथा निकट के भवनों अथवा भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित भवन की स्थिति का संकेत

समीप की गली तथा कूचों की चौड़ाई का उल्लेख होगा और ऐसी स्थिति में जब कि गली अथवा कूचे की चौड़ाई एक सी नहीं है। सबसे कम चौड़ाई दिखाई जाये, और

(ग) यदि नगरपालिका की किसी खुली नाली को बन्द करना हो तो नाली को जिस रूप से बन्द करना हो उसका स्पष्ट नक्शा होगा। यदि पुलिया बनवानी हो तो नक्शे में पुलिया के निश्चित स्थान और उसकी सुरंग की निश्चित चौड़ाई का संकेत होगा।

5–मानचित्र 1 इंच बनाबर 8 फिट के मान से कम स्केल पर नहीं बनाये जायेंगे। उपयोग किया गया स्केल मानचित्र पर अंकित होगा और उत्तर के बिन्दु की स्थिति स्पष्ट रूप से तीन के निशान से निर्दिष्ट की जायेगी। सभी मानचित्र इस प्रकार सुस्पष्ट होने चाहिए जिसमें बोर्ड अथवा अधिशासी अधिकारी प्रस्ताव बढ़ाव की अनुकूलता के सम्बन्ध निर्णय कर सके, पास के भवनों अथवा भूमि के स्वामियों के नाम, भवन संख्या, वार्ड और मोहल्ला भी दिखाये जाने चाहिए। सभी प्रायोजित कार्य स्पष्ट एवं भिन्न ढंग से दिखाये जायेंगे और किसी भी उपयोग किए गये रंग की तालिका मानचित्र पर दिखाई जायेगी।

6–प्रस्तावित बढ़ाव की माप व दिशा की स्थिति आगे निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।

7–भवन प्रवेश के लिए स्वीकृति देने के अतिरिक्त यदि सड़क की चौड़ाई 15 फिट से कम है, भवन का भूमि धरातल से किसी बढ़ाव को आज्ञा नहीं दी जायेगी और, जहां पर सड़क की चौड़ाई 15 फिट है, दुकान अथवा बैठक के सामने बढ़ाव यदि कोई होगा तब तो वह एक या डेढ़ फुट से अधिक नहीं होगा, चौड़ाई 15 फुट से अधिक है, नाले/नाली यदि सड़क की चौड़ाई के अनुसार अधिक से अधिक ढाई (21/2) फुट की स्वीकृति दी जा सकती है।

8–मेहराबदार नाली (पुलिया) के अतिरिक्त नाली के ऊपर के प्रत्येक बढ़ाव के नीचे गली की ओर 1 फुट से कम स्थान नहीं छोड़ा जायेगा।

9–कोई भी बढ़ाव जैसा कि पिछले उपनियम में बताया गया है। तत्सम्बन्धित भवन के सामने प्रत्येक स्थान पर 15 से 25 फुट तक की सड़क की चौड़ाई होने पर दो फुट से अधिक नहीं होगा। चौड़ी सड़कों में बढ़ाव किसी भी चौड़ाई में अधिकतम 3 (तीन) फुट तक बोर्ड के निर्देशानुसार स्वीकार किया जा सकता है।

**नोट–**नौ इंच चौड़ाई कानिस के बढ़ाव को स्वीकृति की आवश्यकता है।

10–सार्वजनिक सड़कों अथवा नालियों पर निम्नलिखित शर्तों पर बढ़ाव की आज्ञा दी जा सकती है–

(1) मालिक अथवा अभिकर्त्ता (अव्यासी) निर्गत भाग की भूमि के अन्दर की भूमि के ऊपर एकत्र होने वाले कूड़े को प्रतिदिन उठायेगा और वहां की भूमि साफ रखेगा।

(2) मालिक उस स्थान पर वहां निर्गत भाग बना हो, अच्छी अवस्था में एक खुली चालू नाली रखेगा तथा ऐसे गढ्ढे, जिसमें पानी जमा हो सके, नहीं रहने देगा।

(3) मालिक अथवा अभिकर्त्ता (ओकोपायर) किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर निर्गत भाग द्वारा घिरे स्थान की सूचना पाने के 6 घण्टे के अन्दर नगर पालिका के कर्मचारी को देखने बन्द नाली की मरम्मत करने अथवा उसको साफ करने हेतु खाली कर देगा।

11–यदि प्रस्तावित बढ़ाव निर्माण के मध्य अथवा उसके बाद बढ़ाव के ऊपर पास विद्युत लाइन बढ़ाव में प्रवेश योग्य है या निर्माण के लिए उसके ऊपर (बाड़) के पास है, तब बढ़ाव की आज्ञा नहीं दी जायेगी। जब तक कि भारतीय विद्युत विभाग के नियमान्तर्गत ऊपर विद्युत लाइन परिवर्द्धता नहीं कर दी जाती अथवा अस्थायी वृद्धि की दशा में परिवर्तन समुचित रूप से सुरक्षित नहीं कर गई है।

12–इन उपनियमों में किसी भी अर्थ स्पष्ट की धारा 211 द्वारा प्रदत्त बोर्ड की नालियों के ऊपर बने बढ़ाव अतिक्रमणों को हटाने के अधिकारों को वहन समझते हुए कि इस प्रकार के अतिक्रमणों अथवा बढ़ावों की स्वीकृति दी जा चुकी है, कम करने का नहीं है।

13–शुल्क–प्रोजेक्शन (बढ़ाव) कर निम्न रीति से शुल्क अदा करना होगा–

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 629/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 सूची (1) उपखण्ड (क), क, ख, ग, घ, ङ के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई की समिति बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2017 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत "भवन निर्माण" नियमावली बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

**भवन निर्माण नियमावली**

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ''भवन निर्माण'' नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के बोर्ड/समिति से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई से है।

(च) ''नगरपालिका की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4–**नोटिस**–कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी हैं और उसे किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है तो वह उस पर निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त ऐक्ट की धारा 178 के अन्तर्गत नगर पालिका से निर्धारित शुल्क जमा कर फार्म क्रय करके सम्बन्धित फार्म पर अधिशासी अधिकारी को एक लिखित नोटिस देगा।

5–**प्लान**–इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन के निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट पर हो सकते हैं। उपर्युक्त नोटिस तक अमान्य समझा जायेगा। जब कि सम्बन्धित व्यक्ति यह नोटिस नहीं देता है कि उसने उस शुल्क का भुगतान नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ कर दिया है। जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न करनी होगी यदि किसी कारण से नगरपालिका द्वारा भवन का मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाता है और शुल्क जो अदा कर दिया गया है वह भवन स्वामी को मानचित्र की स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नगर पालिका द्वारा सम्पूर्ण आपत्तियों के अनुमोदन के पश्चात् बिना शुल्क अपने भवन के मानचित्र को प्रेषित करने की आज्ञा दी जायेगी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने वाली सड़क के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर किसी प्रकार निर्माण पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता है तो वह दो प्रतियों में नोटिस देगा और नोटिस के साथ नक्शे प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ में नोटिस एवं नक्शे की दो प्रति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नोटिस देने के लिए भेजेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग का वह पदाधिकारी नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर इस बात की सूचना नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ को देगा कि उन्हें इस निर्माण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है या नहीं यदि उक्त पदाधिकारी नगरपालिका को दो सप्ताह के निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई सूचना प्रेषित नहीं करते है तो ऐसे मामलों में यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण पर कोई आज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6–इस प्रकार प्रस्तुत सभी नक्शे 1 सेमी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढ़ंग से खींचे होने चाहिए और स्केल मानचित्र पर अंकित होनी चाहिये और उत्तरी रेखा भी नक्शे पर दर्शानी चाहिये मानचित्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा मानचित्र पर निम्न विवरण दर्शाना चाहिए।

(क) मानचित्र में उस भूखण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण गलियों, सड़क की चौड़ाई परिमाप तथा अधार दर्शाना चाहिये तथा भूखण्ड के निकट गुजरने वाली बिजली के तारों का उल्लेख भी होना चाहिये। मानचित्र से उस भूखण्ड की चौहद्दी भी साफ-साफ दर्शानी चाहिये तथा उस भूखण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शाने चाहिये।

(ख) मानचित्र से शटर और परनाले का गन्दे पानी की निकास की नालियों का उल्लेख होना चाहिए।

(ग) आवश्यक सेवाओं का सही स्थानापन्न जैसे शौचालय स्नानागार आदि का स्पष्ट उल्लेख मानचित्र में होना चाहिए।

(घ) मानचित्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(1) भूतल और उससे मिली हुई नालियों, सड़कों और गैर इस्तेमाली स्थानों का विवरण।

(2) सड़कों का परिमाप एवं उन कमरों के इस्तेमाल का विवरण जैसा कि शयनकक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि।

(3) भूतल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल।

(4) मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलीवेशन दर्शाना चाहिए।

(5) कुर्सी का लेबिल तथा अभिन्यास प्लान से लगी सड़कों का लेबिल।

(6) दरवाजो, खिड़कियों तथा वेन्टीलेटरी का प्रकार एवं माप।

(7) सामग्री का प्रकार जिससे कि बुनियाद दीवारें, छते तथा फर्श का निर्माण होना है।

(ङ) प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यों को विभिन्न रंगों से स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिए जैसे प्रस्तावित लाल रंग से वर्तमान कार्य बैंगनी रंग से परनाला तथा नालियों को नीले रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना चाहिए।

(च) भवन मानचित्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान भी दर्शाना होगा।

**7**–शुल्क उपनियम 5 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगाः

| | | भूतल<br>प्रति वर्ग फिट | अतिरिक्त तल (प्रति)<br>प्रति वर्ग फिट |
|---|---|---|---|
| 1 | निवासीय भवन<br>(कवर्ड एरिया) | 6.00 | 3.00 |
| 2 | निवासीय भवन<br>(ओपेन एरिया) | 4.00 | 2.00 |
| 3 | व्यवसायिक भवन<br>दुकान (कवर्ड एरिया) | 30.00 | 15.00 |
| 4 | व्यवसायिक भवन<br>(ओपेन एरिया) | 20.00 | 10.00 |
| 5 | वर्कशाप, फैक्ट्री<br>कारखाना आदि | 30.00 | 15.00 |
| 6 | वर्कशाप, फैक्ट्री, कार–<br>खाना आदि (आपेन एरिया) | 25.00 | 10.00 |

**नोट**–शुल्क स्टेशनरी शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा जो कि भवन मानचित्र जमा करने के समय जमा किया जायेगा। भवन मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

1–प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2–इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लाथ का मूल्य शामिल नहीं है।

3–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष हेतु मान्य होगी।

4–(क) कोई भी भवन कच्चा, पक्का या पूर्णतः पक्का हो सकता है।

(ख) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा प्रोजेक्शन हेतु प्रोजेक्शन नियमावली के अन्तर्गत पृथक से आवेदन करना होगा।।

(ग) भूतल पर सड़क को और खुलने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की तरफ रहेंगे।

(घ) प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा स्थल छोड़कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

5–**धार्मिक स्थल**–मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरूद्वारा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह स्थलों के बीच से 7.50 मीटर की दूरी पर न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण नहीं किया जायेगा।

6–बिजली के तार बिजली के तारों से दूरी उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन ऐक्ट और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों में उल्लेखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा, छज्जा, साहेबान या ऐसी किसी प्रकार की चीज का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

7–**शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास**–ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण स्थान करेगा जो कि सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के भीतर होगा तो उसे अपने भवन के पानी को नाली को सार्वजनिक नाली, तक स्वयं मिलाना होगा।

8–भवन में फ्लैश/लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लैश/लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

9–नालियां भवन की नालियां सीमेन्ट कंकरीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियां बनाई जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जोड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा।

10–बरसाती पानी के छतों से उतरने हेतु पाइप लगाने होंगे।

11–**पिलिन्थ (कुर्सी)**–भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12–**भवन की ऊँचाई**–भूतल पर फर्श से छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13–(क) **भवन की किनारे**–व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरें में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना–बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14–(क) किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जिसकी चौड़ाई 7.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 12.00 मीटर से कम न होगी।

(ख) किसी भी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जहां पर कूड़ा व गन्दे पदार्थों का ढेर लगाया जाता हो तब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी उसके लिए अपनी स्वीकृति न दे दें।

15–**जानवरों का बाड़ा**–जानवरों के बाड़े में फर्श पक्का एवं ढालदार बनाना होगा।

16–(क) नक्शा स्वीकृत करने से पहले भूखण्ड के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से कर विभाग से आख्या ली जायेगी।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक/या जैसी स्थिति हो से रोशनी एवं वेन्टीलेशन एवं शौचालय आदि के आख्या आदि के पश्चात् नक्शा स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) जब अधिशासी अधिकारी वह इत्मीनान कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इन नियमों से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरी करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) यदि अधिशासी अधिकारी प्रस्तावित मानचित्र में कोई संशोधन करता है तो उसका कारण दोनों प्रतियों में दर्ज करेगा इसकी एक प्रति कार्यालय में रहेगी।

17–शासन/जिला/उच्चाधिकारियों से समय-समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

**शास्ति**

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है, तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 630/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08 दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा/निकट भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा के अन्तर्गत "प्रसूति गृहों पर नियन्त्रण नियमावली" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था जिसकी अवधि एक माह अर्थात् 30 दिवस थी। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## प्रसूति गृहों पर नियन्त्रण नियमावली

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रचार और प्रारम्भ**–यह उपविधि नगरपालिका प्रसूति गृहों पर नियन्त्रण उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका मल्लावॉ, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगरपालिका मल्लावॉ, हरदोई द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) से है;

(ख) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी प्रसूति गृह का स्वामी अथवा संचालक हो और जिसने इस उपविधि के अधीन नगरपालिका की सीमा में प्रसूतिगृह चलाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो;

(ग) ''अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है;

(घ) ''अनुज्ञा'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(ड) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लवॉ, जनपद हरदोई से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा।

(ज) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष से होगा

(झ) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड/समिति से होगा।

(य) ''वर्ष'' से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

**3–प्रतिषेध**–कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ हरदोई की सीमा में किसी भी स्थान पर किसी प्रसूतिगृह का निर्माण अथवा संचालन नही करेगा या करायेगा जब तक ऐसे प्रसूतिगृह के, यथास्थिति, स्वामी अथवा संचालक द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो।

**4–अनुज्ञा**–नगरपालिका परिषद् की सीमा में किसी भी स्थल पर अधिशासी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी वर्तमान भवन या परिसर का प्रसूतिगृह के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा।

**5–अनापत्ति**–प्रसूतिगृह किसी भी राज्यमार्ग से लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार नगरपालिका में सड़क से 3.5 फुट से 5 फुट तक (जैसी स्थिति हो) दूरी पर ही निर्मित किया जा सकेगा और ऐसे निर्माण की अनुज्ञा विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी द्वारा तभी प्रदान की जा सकेगी जब अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गयी हो।

**6–ध्वस्तीकरण/शमन**–इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना निर्मित प्रसूतिगृह भवन नगरपालिका परिषद द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा अथवा ऐसा अपराध अनुसूची में दी हुई दरों पर ही शमनित किया जा सकेगा।

**7–वाहनों हेतु स्थान**–प्रसूतिगृह के अग्रभाग अथवा किनारे के किसी भाग में वाहनों और गाड़ियों के खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान रखा जायेगा और कोई भी वाहन या गाडी,अथवा साइकिल या स्कूटर जनमार्ग, सड़क अथवा फुटपाथ पर खड़ा नही किया जायेगा।

**8–अवरोध पर प्रतिबंध**–अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि आगन्तुक व्यक्तियों के वाहनों, गाडियों व उक्त प्रकार के वाहनों से जनमार्ग या सड़क पर कोई अवरोध उत्पन्न न हो, अन्यथा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रसूतिगृह के यथास्थिति स्वामी अथवा संचालक का होगा और उसका अभियोजन सहित, उसे इस उपविधि के अधीन, दण्डित किया जा सकेगा।

**9–गली में संचालन पर प्रतिबंध**–कोई भी प्रसूतिगृह किसी गली में निर्मित या संचालित नहीं किया जायेगा।

**10–आवेदन-पत्र का परीक्षण एवं जांच**–अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व प्रसूतिगृह चलाये जाने का स्थल और वाहनों के खडे होने के लिये यथोचित स्थान, यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेंगे और यदि कोई भी व्यवधान,बाधा या प्रदूषण निहित हो, तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

**11–अनुज्ञा और उसकी अवधि**–प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा नगरपालिका की सीमा में प्रसूतिगृह चलाने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

**12–अनुज्ञा का नवीनीकरण–(क)** अनुज्ञा 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के लिये होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

**(ख)** अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी के पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

**(ग)** नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिसम्बर मास में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगरपालिका कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

**(घ)** यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रथम जनवरी के उपरान्त किन्तु 28 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची में दी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क दिया जायेगा।

**(ङ)** यदि 28 फरवरी के उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में नवीनीकरण शुल्क, विलम्ब-शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

**13–अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण**–यदि कोई भी अनुज्ञापरक किसी भी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य से यातायात में अवरोध, व्यवधान, बाधा, पर्यावरण, प्रदूषण अथवा अन्य किसी प्रकार प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उस अनुज्ञाधारक की अनुज्ञा, उसे बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिये निरस्त कर दी गयी मानी जायेगी।

**14–निषेध**–अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने की दिनांक के उपरान्त कोई भी प्रसूतिगृह उक्त अनुज्ञा के अधीन नगर पालिका की सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

**15–अपील**–अधिशासी अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अध्यक्ष को आदेश की दिनांक के 30 दिन के भीतर, अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा

## आदर्श उपविधियां

**शुल्क–(1)** प्रसुतिगृह भवन के निर्माण हेतु अनुज्ञा के लिये शुल्क रुपया 5,000.00।

(2) प्रसूतिगृह के संचालन हेतु अनुज्ञा के लिये प्रतिवर्ष रु0 100.00 से रु0 2,000.00 तक।

| | अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क | विलम्ब शुल्क | दण्ड |
|---|---|---|---|
| | रु0 | रु0 | रु0 |
| 20 शैय्याओं तक | 1,000.00 | 25.00 प्रतिदिन | 100.00 |
| 20 शैय्याओं से अधिक | 2,000.00 | 25.00 प्रतिदिन | 100.00 |

## शास्ति

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके. नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से ,जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

# कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 631/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य "पशु बाजारों पर नियन्त्रण नियमावली" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## पशु बाजारों पर नियन्त्रण नियमावली

**1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ**–(1) यह उपविधि नगरपालिका पशु बाजारों पर नियंत्रण उपविधि, 2017 कहलायेगी

(2) यह नगर पालिका की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगर पालिका द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2–परिभाषायें–**(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम '' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2 1916) से हैं।

(ख) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लवॉ, जनपद हरदोई से है;

(ग) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा।

(घ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष से होगा।

(ड़) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड/समिति से होगा।

(च) ''वर्ष'' से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

**3–पशु बाजार लगाया गया–**नगरपालिका परिषद् संक्रमण शील क्षेत्र के बाहर एक किलोमीटर की परिधि में सभी पशु बाजार नगरपालिका द्वारा अपने स्वामित्व के खुले स्थान पर लगाये जायेंगे।

**4– बाजार में नागरिक सुविधायें–**उपविधि 3 के अधीन लगाये जाने वाले पशु बाजार में सभी प्रकार की नागरिक सुविधायें नगर पालिका द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

**5–पशु विक्रय पर शुल्क–**

(क) कोई भी व्यक्ति पशु-बाजार में अपने पशु का विक्रय नहीं करेगा जब तक उसने नगरपालिका के बाजार में तैनात अधिकारी/कर्मचारी से ऐसे पशु के सम्बनध में ऐसी रीति से और नियत शुल्क देकर निबधन प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लिया हो।

(ख) उक्त बाजार में पशु क्रय करने वाला व्यक्ति नगरपालिका के पशु बाजार में तैनात अधिकारी/कर्मचारी से ऐसी रीति से ऐसे शुल्क का भुगतान करके विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जो इस उपविधि द्वारा नियत की जाय।

(ग) कोई भी व्यक्ति दलाल या मुकीम के रूप में पशु बाजार में कार्य नहीं करेगा जब तक उसे नगरपालिका से इस कार्य हेतु अनुज्ञा प्राप्त न हो गयी हो।

(घ) पशु बाजार में अस्पृश्य रोग से ग्रस्त कोई भी पशु नहीं लगाया जायेगा और कोई भी व्यक्ति बाजार में पशुओं के क्रय-विक्रय में कोई अवरोध उत्पन्न उत्पन्न कर सकेगा।

(ङ) पशु बाजार में आने वाले प्रत्येक पशु का पंजीकरण बाजार में प्रवेश करते ही करा लिया जायेगा और पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त ही पशु को बाजार में विक्रय हेतु खड़ा किया जा सकेगा।

(च) पशु का विक्रय सुनिश्चित हो जाने पर पशु विक्रय शुल्क लेकर विक्रय का निबन्धन विक्रय शुल्क प्राप्त करके किया जायेगा।

(छ) क्रेता को पशु विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क अदा करना होगा और ऐसा शुल्क अदा कर दिये जाने पर ही प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

**12–शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी–**

(1) पशु पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रति पशु

(2) पशु विक्रय शुल्क रु0 500.00 प्रति पशु

(3) पशु विक्रय प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 50.00 प्रति पशु

**शास्ति**

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावाँ, हरदोई एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में किये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माने से जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 632/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य "निजी बाजारों पर नियन्त्रण नियमावली" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

**निजी बाजारों पर नियन्त्रण नियमावली**

**1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–**(1) यह उपविधि नगरपालिका निजी बाजारों पर नियंत्रण उपविधि, 2017 कहलायेगी

(2) यह नगर पालिका की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगर पालिका द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2–परिभाषायें–**(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 1916) से है।

(ख) अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने इस उपविधि के अधीन नगरपालिका सीमा में निजी बाजार लगवाने/चलवाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है;

(ग) ''अनुज्ञा पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र से हैं;

(घ) ''अनुज्ञा'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(ड) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मल्लवॉ, जनपद हरदोई से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा।

(ज) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पालिकापरिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष से होगा

(झ) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉं, हरदोई के बोर्ड/समिति से होगा।

(य) ''वर्ष'' से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं,किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

**3–प्रतिषेध–**नगरपालिका की सीमा में किसी भी स्थल पर अधिशासी अधिकारी से इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी व्यक्ति द्वारा निजी बाजार लगाने/चलाने का व्यवसाय/कारोबार नहीं किया जायेगा।

**4–नियंत्रण–**निजी बाजार निम्नानुसार नियंत्रित होंगे–

(1) जहां पर पहले से ही कोई बाजार स्थापित न हो इस उपविधि के लागू हो जाने की दिनांक के पश्चात् कोई भी बाजार नगरपालिका परिषद् की अनुमति से ही लगायी जा सकेगी।

(2) बाजार में दुकानें और गोदामों में फर्श खड़ंजे तथा नालियों की उचित व्यवस्था रहेगी।

(3) दुकानों में विक्रय के लिये रखे सभी खान पान सामग्री सब्जियां, फल, पान, फूल आदि दुकान में नहीं रखी जायेंगी और प्रत्येक दिन दुकान खुलते ही ऐसी बासी वस्तुयें दुकान से हटा दी जायेंगी।

(4) जिन दुकानों भवनों में खानपान, सामग्री, फल, सब्जियों, पान, फूल आदि का विक्रय होता है उन्हें नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार पक्का निर्मित और संयत्रित रखा जायेगा। प्रत्येक दिन उसकी धुलाई की जायेगी और उसे प्रत्येक दृष्टि से प्रदूषण बाधा और अवरोध मुक्त रखा जायेगा।

(5) बाजार में दुकानों/थोक भण्डारों का निरीक्षण नगरपालिका के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी या निरीक्षक द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा और उसके द्वारा खानपान सामग्री, सब्जी, फलों, पान, फूल, आदि से उत्पन्न होने वाली किन्हीं भयावह परिस्थितियों के समक्ष प्रस्तावित उपाय का अनुपालन अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तुरन्त सुनिश्चित किया जायेगा इस विषय का प्रत्येक आदेश बाजार में खानपान सामग्री, सब्जी, फल, पान, फूल आदि का विक्रय कर रहे सभी विक्रेताओं पर बाध्यकारी होगा।

(6) कोई भी व्यक्ति विक्रय हेतु खानपान सामग्री सब्जी, फल, पान, फूल आदि किसी गन्दी टोकरी में किसी गन्दे तख्ते, स्लैब या कपड़े पर नही रखेगा।

**(7)** जब भी कोई संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो और उससे उक्त सामग्री प्रभावित होने की स्थिति हो तो अधिशासी अधिकारी लिखित आदेश द्वारा उक्त सामग्रियों का विक्रय एक सुनिश्चित अवधि के लिए निषिद्ध कर सकेगा।

**(8)** उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञा निरस्त या निलंबित की जा सकेगी।

**शुल्क**

निजी बाजार के संचालन हेतु अनुज्ञा के लिए प्रतिवर्ष

| | अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क | विलम्ब शुल्क | दण्ड |
|---|---|---|---|
| निजी बाजार के संचालन हेतु अनुज्ञा | रु0 2,000.00 से 5,000.00 | रु0 25.00 प्रतिदिन | रु0 100.00 |

**शास्ति**

अधिनियम की धारा 298 (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावाँ, हरदोई एतद्द्वारा यह निर्देश देती हैं कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माने से जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस में यह साबित हो जाय कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 633/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य खाद्य पदार्थों के विनियमन" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

**खाद्य पदार्थों के विनियमन नियमावली**

1–संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि नगरपालिका खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं का विनियमन उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह उक्त नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से लागू होगी।

**2–परिभाषायें–**विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) ''अनुज्ञा'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(ग) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लवॉ, जनपद हरदोई से है;

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा।

(ङ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष से होगा।

(च) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड/समिति से होगा।

**(शासनादेश संख्या 4379/ग्यारह-39/45 दिनांक 22 जनवरी, 1946) सपठित शासनादेश संख्या 2415 (1)/ग्यारह-391-45 दिनांक 2-6-1946**

(3) ''खाद्य पदार्थ'' में मानव द्वारा भोजन या पीने के लिए उपयोग किये जाने वाले खाद्यान्न को छोड़कर प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है, कोई वस्तु जिसको साधरणतः मानव भोजन, स्वादिष्ट पदार्थों, मसालों तथा बर्फ के संयोजन अथवा तैयार करने में सम्मिलित या उपयोग किया जाता है। इसमें औषधि या जल सम्मिलित नहीं होता है।

(4) ''विक्रेता'' में फेरीवाले सम्मिलित हैं।

(5) नगरपालिका परिषद् की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसको एतदर्थ लाइसेन्स स्वीकृत न किया गया हो, कोई खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा।

(6) इस उपविधि के अधीन स्वीकृत किया गया लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा–

(क) कोई भी व्यक्ति विक्रय के लिए अभिप्रेत किसी खाद्य पदार्थ को किसी गन्दे पात्र में या उसके ऊपर नहीं रखेगा, अथवा ऐसा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य अधिकारी के समाधानप्रद रूप में उचित रूप से ढके बिना प्रदर्शित नहीं करेगा, ताकि धूल, मक्खियों, धुओं, कीड़ों आदि की पहुंच उस तक न हो सके।

(ख) किसी खाद्य पदार्थ को किसी मलिन जल की नाली, धूल, शौचालय, मल गोदाम या कचरा-पेटी के निकट नहीं रखा जायेगा।

(ग) संसर्गी या संक्रामक आन्त्र रोगों से पीड़ित संदिग्ध व्यक्तियों की इस व्यापार को करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सुरक्षित प्रमाणित न कर दिया जाय।

(घ) खाद्य पदार्थ को तैयार करने में उपयोग किये गये समस्त तत्व अपमिश्रण से मुक्त और अच्छी कोटि के होंगे। विक्रय के लिए प्रदर्शित वस्तुओं को तैयार करने में उपयोग किये गये संघटकों की गुणवत्ता का निर्णायक स्वास्थ्य अधिकारी होगा।

(ङ) खाद्य पदार्थ की तैयारी और बरतनों की सफाई या ग्राहकों द्वारा पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला जल नगरपालिका परिषद् के नल से आपूर्त अथवा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्मल स्रोत से लिया जायेगा और स्वच्छ पात्रों में भर कर रखा जायेगा जिस पर प्रदूषण से बचाव के लिए उपयुक्त ढक्कन होगा।

(च) खाद्य पदार्थ ग्राहकों को भली प्रकार से स्वच्छ पात्रों, थाली या दोनों में प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए किसी प्रयुक्त कागज अथवा ऐसा कागज जो छपा या लिखा हो, का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(छ) कोई भी विक्रेता या फेरी वाला ऐसी किसी बत्ती या अन्य प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा जिससे उसके निर्माण या स्थिति के कारण धुंआ या कालिख जमा होने की सम्भावना हो।

(ज) समस्त खाद्य पदार्थ की दुकानों में प्रयुक्त दोनों, आदि को डालने के लिए उचित साधन की व्यवस्था की जायेगी और उसकी नियमित रूप से सफाई की जायेगी।

(7) इस उपविधि के प्रयोगनार्थ लाइसेन्स प्राधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी ही होगा।

(8) किसी महामारी के प्रकोप अथवा व्यापकता के दौरान या उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग के कारण स्वास्थ्य अधिकारी के विवेक पर लाइसेन्स को रद्द या निलम्बित किया जा सकता है।

(9) इस उपविधि के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स ठीक आगामी मार्च के अन्त तक की अवधि तक मान्य रहेगा और उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को उस दिनांक के न्यूनतम एक मास पूर्व में देनी चाहिए। उपर्युक्त उपविधि के अधीन जारी किये गये प्रत्येक लाइसेन्स के लिए एक रुपये की फीस ली जायेगी।

**निषेध**

(10) अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन उक्त कार्य नगरपालिका परिषद् की सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

**अपील**

(11) अधिशासी अधिकारी के आदेशों के समक्ष, अध्यक्ष को, आदेश की दिनांक के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

**शुल्क**

खाद्य पदार्थों की दुकान हेतु अनुज्ञा के लिये प्रतिवर्ष अनुज्ञा/नवीनीकरण

| | शुल्क | विलम्ब शुल्क | दण्ड |
|---|---|---|---|
| 1—खाद्य पदार्थों की दुकान | रु0 50.00 से 1,200.00 | रु0 25.00 प्रतिदिन | रु0 100.00 |

**शास्ति**

अधिनियम की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नगरपालिका परिषद् एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि का कोई भंग जुर्मानों से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है, और जब भंग कोई सतत भंग होता है, तो अग्रसर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के बाद से जिसके दौरान अपराधी द्वारा निरन्तर अपराध किया जाना सिद्ध होता है, प्रत्येक दिन के लिए रु0 25.00 तक हो सकता है।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 634/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का

पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य "मांस की दुकानों पर नियन्त्रण" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## मांस की दुकानों पर नियन्त्रण नियमावली

**1–संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रचार और प्रारम्भ–**(1) यह उपविधि नगरपालिका मांस की दुकानों पर नियन्त्रण उपविधि 2017 कहलायेगी।

(2) नगरपालिका की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगरपालिका द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2–परिभाषायें–**(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है;

(ख) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मांस की दुकान का स्वामी अथवा संचालक हो और जिसने इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत की सीमा में मांस की दुकान चलाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो;

(ग) ''अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है;

(घ) अनुज्ञा का तात्पर्य इस उपविधि के अतर्गत प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(ङ) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा;

(ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ के अध्यक्ष से होगा;

(झ) "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ के बोर्ड/समिति से होगा;

(य) ''वर्ष'' से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

**3–प्रतिषेध–**कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद् की सीमा में किसी भी स्थान पर मांस की दुकान का संचालन नहीं करेगा या करायेगा जब तक ऐसी दुकान के यथास्थिति स्वामी अथवा संचालक द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो,

**4–आवेदन-पत्र का परीक्षण एवं जांच–**अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेंगे और यदि कोई भी प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

**5–अनुज्ञा और उसकी अवधि**–प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा मांस की दुकान का कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की किसी शर्त के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

**6–अनुज्ञा का नवीनीकरण**–(क) अनुज्ञा 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के लिये होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा,।

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिसम्बर मास में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगरपालिका परिषद कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(घ) यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रथम जनवरी के उपरान्त किन्तु 28 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची में दी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

(ङ) यदि 28 फरवरी के उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में नवीनीकरण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

**7–अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण**–यदि कोई अनुज्ञापित व्याक्ति किसी भी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य से यातायात में अवरोध प्रदूषण अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उस अनुज्ञाधारक की अनुज्ञा, उसे बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिये निरस्त कर दी जायेगी।

**8–निषेध**–अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन नगरपालिका की सीमा में मांस की दुकान का कार्य जारी नहीं रखा जा सकेगा।

**9–अपील**–अधिशासी अधिकारी के आदेशों के समक्ष, अध्यक्ष को, आदेश की दिनांक के 30 दिन के भीतर, अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

**शुल्क**

मांस की दुकान के संचालन हेतु अनुज्ञा के लिये प्रतिवर्ष

| | अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क | विलम्ब शुल्क | दण्ड |
|---|---|---|---|
| 1–बकरे का मांस | रु0 500 | रु0 25 प्रतिदिन | रु0 100.00 |
| 2–भैंसे का मांस | रु0 1,000 | रु0 25 प्रतिदिन | रु0 100.00 |

**शास्ति**

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से, जो प्रथम से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाय कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लवॉ, हरदोई।

# कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 635/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य "बार/बियर देशी, विदेशी शराब की दुकानों पर नियंत्रण उपविधि, 2017" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## बार/बियर देशी, विदेशी शराब की दुकानों पर नियंत्रण उपविधि, 2017

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रचार और प्रारम्भ –**(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई ''बार/बियर देशी, विदेशी शराब की दुकानों पर नियन्त्रण उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(2) नगरपालिका की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगरपालिका द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2–परिभाषायें–**विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है;

(ख) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी ''बार/बियर देशी, विदेशी शराब की दुकान का स्वामी अथवा संचालक हो और जिसने इस उपविधि के अधीन नगरपालिका की सीमा में उक्त दुकान चलाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो;

(ग) ''अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है;

(घ) ''अनुज्ञा'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(ङ) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा।

(ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ हरदोई के अध्यक्ष से होगा;

(झ) "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ हरदोई के बोर्ड/समिति से होगा;

(य) ''वर्ष'' से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

**3–प्रतिषेध–**कोई भी व्यक्ति नगरपालिका मल्लावॉ, हरदोई की सीमा में किसी भी स्थान पर किसी ''बार/बियर देशी, विदेशी शराब की दुकान का संचालन नही करेगा या करायेगा जब तक ऐसे बार/दुकान के यथास्थिति स्वामी, अथवा संचालक द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो।

**4–आवेदन-पत्र का परीक्षण एवं जांच–**अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व उक्त बार/दुकान के लिये यथोचित स्थान, यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेंगे और यदि कोई भी प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

**5–अनुज्ञा और उसकी अवधि–**प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, हरदोई की सीमा में उक्त बार/दुकान का कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

**6–अनुज्ञा का नवीनीकरण–**(क) अनुज्ञा 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के लिये होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिसम्बर मास में प्रयुक्त किया जायेगा और उसके साथ नगरपालिका कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी,

(घ) यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रथम जनवरी के उपरान्त किन्तु 28 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची में दी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क दिया जायेगा।

(ङ) यदि 28 फरवरी के उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में नवीनीकरण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

**7–अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण–**यदि कोई भी अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य से यातायात में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण अथवा अन्य किसी प्रकार प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उक्त अनुज्ञा, बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिये निरस्त कर दी जायेगी।

**8–निषेध–**अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन उक्त कार्य नगरपालिका परिषद की सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

9–**अपील–**अधिशासी अधिकारी के आदेशों के समक्ष, अध्यक्ष को, आदेश की दिनांक के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

**शुल्क**

बार/बियर, देशी या विदेशी शराब की दुकान के संचालन हेतु अनुज्ञा के लिये प्रतिवर्ष अनुज्ञा/नवीनीकरण

| | शुल्क | विलम्ब शुल्क | दण्ड |
|---|---|---|---|
| 1–बार | रु0 3,500.00 | रु0 25 प्रतिदिन | रु0 100.00 |
| 2–बियर की दुकान | रु0 3,500.00 | रु0 25 प्रतिदिन | रु0 100.00 |
| 3–देशी शराब की दुकान | रु0 3,000.00 | रु0 25 प्रतिदिन | रु0 100.00 |
| 4–विदेशी शराब की दुकान | रु0 5,000.00 | रु0 25 प्रतिदिन | रु0 100.00 |

**शास्ति**

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से ,जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लवॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 636/न0पा0परि0मल्लावॉ/संकल्प/नि0य0म0म0–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई ने संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य "फाइनेन्स कम्पनी, चिट फन्ड, इन्श्योरेन्स कम्पनी पर नियंत्रण उपविधि, 2017" बनायी है। जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

### फाइनेन्स कम्पनी, चिट फन्ड, इन्श्योरेन्स कम्पनी पर नियंत्रण नियमावली

**1–संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रचार और प्रारम्भ–**(1) यह उपविधि नगरपालिका ''फाइनेन्स कम्पनी, चिट फन्ड या इन्श्योरेन्स कम्पनी पर नियन्त्रण उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(2) नगरपालिका की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगरपालिका द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2–परिभाषायें–**विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है;

(ख) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी ''फाइनेन्स कम्पनी, चिट फन्ड या इन्श्योरेन्स कम्पनी का स्वामी अथवा संचालक हो और जिसने इस उपविधि के अधीन नगरपालिका की सीमा में उक्त दुकान चलाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो;

(ग) ''अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है;

(घ) ''अनुज्ञा'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(ङ) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से होगा;

(ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष से होगा;

(झ) "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड/समिति से होगा;

(य) ''वर्ष'' से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

**3–प्रतिषेध**–कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सीमा में किसी भी स्थान पर किसी ''फाइनेन्स कम्पनी, चिट फन्ड या इन्श्योरेन्स कम्पनी का संचालन नही करेगा या करायेगा जब तक ऐसे बार/दुकान के यथास्थिति स्वामी, अथवा संचालक द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो।

**4–आवेदन-पत्र का परीक्षण एवं जांच**–अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व उक्त कार्य से कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेंगे और यदि कोई भी प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

**5–अनुज्ञा और उसकी अवधि**–प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा नगरपालिका की सीमा में कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

**6–अनुज्ञा का नवीनीकरण**–(क) अनुज्ञा 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के लिये होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा,

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिसम्बर मास में प्रयुक्त किया जायेगा और उसके साथ नगरपालिका/नगर पंचायत कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी,

(घ) यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रथम जनवरी के उपरान्त किन्तु 28 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची में दी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क दिया जायेगा।

(ङ) यदि 28 फरवरी के उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में नवीनीकरण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

**7–अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण**–यदि कोई भी अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य से यातायात में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण अथवा अन्य किसी प्रकार प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उक्त अनुज्ञा, बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिये निरस्त कर दी जायेगी।

**8–निषेध**–अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरानत उक्त अनुज्ञा के अधीन उक्त कार्य नगरपालिका परिषद् की सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

**9–अपील**–अधिशासी अधिकारी के आदेशों के समक्ष, अध्यक्ष को, आदेश की दिनांक के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

**शुल्क**

फाइनेन्स कम्पनी, चिट फन्ड, इन्श्योरेन्स कम्पनी के संचालन हेतु अनुज्ञा के लिये प्रतिवर्ष

| | अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क | विलम्ब शुल्क | दण्ड |
|---|---|---|---|
| 1. फाइनेन्स कम्पनी | रु0 2,000.00 | रु0 25.00 प्रतिदिन | रु0 100.00 |
| 2. चिट फन्ड | रु0 2,000.00 | रु0 25.00 प्रतिदिन | रु0 100.00 |
| 3. इन्श्योरेन्स कम्पनी | रु0 2,000.00 | रु0 25.00 प्रतिदिन | रु0 100.00 |

**शास्ति**

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, मल्लावॉ, हरदोई एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाय कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई

08 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 637/न0पा0परि0मल्लावॉ/2020-21–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 से 149 तक में एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2011, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया, जिसके उपरान्त नगर विकास अनुभाग 9 से निर्गत शासनादेश संख्या 135/9-9-11–190रा0वि0आ0/04, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, जनपद हरदोई अपनी सीमा/निकट भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा के अन्तर्गत स्थित भवनों/भू-खण्डों अथवा दोनों का भवन एवं सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण नियमावली एवं उनकी वसूली हेतु नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लवॉ, जनपद हरदोई में पारित संकल्प संख्या 08, दिनांक 14 जुलाई, 2017 को अधिनियम की धारा 133(1) एवं 301(2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। जिसके अन्तर्गत समय-समय पर इस क्रम में निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमावली इस सीमा तक समाप्त समझी जायेगी।

अतः एतद्द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या 06 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अन्तर्गत पुष्टि की है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

## भवन एवं सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ ''भवन एवं सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण नियमावली'' नियमावली, वर्ष 2017 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2011) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मल्लावॉ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, हरदोई के बोर्ड/समिति से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) ''नगर पालिका परिषद्'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, हरदोई से है।

(च) ''नगरपालिका परिषद् की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''भवन/भूखण्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भूखण्डों आदि से होगा अर्थात् वह सभी अहाते उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित है, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा।

(ज) ''कर अधीक्षक/कर निरीक्षक'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, हरदोई के कर अधीक्षक/कर निरीक्षक करसमाहर्ता से है:

1–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2011 उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

2–(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 128 का प्रतिस्थापन) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 128 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

(आरोपित किये जाने वाले कर) ''128 (1) इस अधिनियम तथा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 285 के उपबंधों के अधीन रहते हुये नगर पालिका निम्नलिखित कर आरोपित करेगी, अर्थात्–

(एक) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर

(दो) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर,

(तीन) भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगर पालिका के लिये इस निमित्त नियमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूरी के भीतर स्थित हो,

(चार) शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से मलजनित और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण करने, हटाने और निस्तारण करने के लिये सफाई कर।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त नगर पालिका, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित में से कोई कर अधिरोपित कर सकती है, अर्थात्–

(एक) ऐसे व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किये जाते हों, और जिन्हें नगर पालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिनसे उक्त सेवाओं पर विशेष भार पड़ रहा हो।

(दो) ऐसे व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर, जिनमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित हैं, जो वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।

(तीन) नाट्यशाला कर, जिसका तात्पर्य विनोद या आमोद का कर है।

(चार) नगर पालिका के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर।

(पाँच) सफाई कर

(छः) नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर।

(सात) विज्ञापनों पर कर, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों।

(आठ) नगर पालिका की सीमा के भीतर चलाये जाने वाले यानों और अन्य वाहनों या उसकी सीमा में बाँधी जाने वाली नावों पर कर।

(नौ) सुधार कर।

(3) नगर पालिका करों का निर्धारण और उद्ग्रहण इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों व उपविधियों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी, जिसके लिये राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति न होगी, प्रतिबन्ध यह है कि कोई नगर पालिका जो संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्गृहीत कर रही थी, उस कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है, जब तक कि संसद द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न बनाया जाय।

3–(धारा 129 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 129 में, शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (दस)' के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (दो)' रख दिये जायेंगे।

4–(धारा 129-क का बढ़ाया जाना) मूल अधिनियम की धारा 129 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर उद्ग्रहण) 129-क भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उद्ग्रहण नगर पालिका सीमा में, स्थित निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों और भूमि के सम्बन्ध में किया जायेगा–

(क) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि,

(ख) शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालय, धार्मिक या धर्मार्थ प्रांगण कर मुक्त रहेंगे, परन्तु यदि इनका उपयोग शैक्षणिक धर्मार्थ कार्य से विरत रहकर अन्य व्यवसायिक कार्य तथा शादी-बारात समारोह आदि के प्रयोग में लाने हेतु इसकी स्वीकृति सम्बन्धित संस्थाओं के संस्थापकों द्वारा नगर पालिका परिषद से लेनी होगी, इस आशय का एक रजिस्टर सम्बन्धित संस्थान को रखना होगा। जिसका अवलोकन संस्थाओं द्वारा नगर पंचायत को प्रत्येक दशा में कराना होगा। इससे होने वाली आय का 12.5 प्रतिशत धनराशि शिक्षेत्तर कार्य हेतु प्रयुक्त होने के लिए कर/शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

(ग) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हों,

(घ) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहाँ के जहाँ भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते हों,

(ङ) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन, जो तीस वर्ग मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो और,

(च) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन, जो तीस वर्ग मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो और,

(छ) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे पांच वर्ष के भीतर सम्मिलित कर लिया गया हो या जहाँ उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी हो, इसमें से जो भी पहले हो।

5—(धारा 130 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 130 में शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (ग्यारह) या (बारह) के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (चार) या उपधारा (2) के खण्ड (छः)' रख दिये जायेंगे।

6—(धारा 130—ख का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 130 (ख) में शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (दस) (दस-क) (ग्यारह) और (बारह) के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (2), (तीन), (चार) और उपधारा (क) के खण्ड (छः) में रख दिये जायेंगे।

7— (धारा-131 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 131 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द और अंक 'उपधारा (1)' के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (2)' में रख दिये जायेंगे।

8—(धारा 133 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 133 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक 'यदि प्रस्तावित कर धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह) के अन्तर्गत हों' के स्थान पर शब्द पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन प्रस्तावों और आपत्तियों की प्राप्ति पर' रख दिये जायेंगे।

9—(धारा 138 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दस) और (ग्यारह)' के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) और उपधारा (2) के खण्ड (छः) रख दिये जायेंगे।

10—(धारा 140 का प्रतिस्थापन) मूल अधिनियम की धारा 140 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

'140—(1) **'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य**—(वार्षिक मूल्य की परिभाषा)—(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर से नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले, गुणक से गुणा करने पर प्राप्त व 12 गुना मूल्य से है।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रति

वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी जैसी कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किट दर के आधार पर नियत किया जाय और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल के चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे विहित किये जायें–

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पालिका की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहां नगर पालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

**स्पष्टीकरण–**एक–वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न में से की जायेगी–

(एक) कक्ष-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(दो) आच्छादित बरामदा-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(तीन) बालकनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह–आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(चार) गैराज–आन्तरिक आयामम की एक चौथाई माप,

(पाँच) स्नानागार, शौचालयों, द्वार मण्डल और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण–**दो–उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजनों के लिये किसी भवन का मानक किराया, अनुबन्धित किराया या युक्ति युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(2) जहाँ नगर पालिका इस प्रकार संकल्प करें वहाँ सम्पत्ति करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वार्षिक मूल्य–

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो दस वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा अैर यदि वह दस वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो 30 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा, और

(ख) किराये पर दिये गये आवासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

(ग) यदि आवासीय भवन का कोई भाग व्यवसायिक प्रयोग में है, तो उसका कर निर्धारण व्यवसायिक उपयोग में स्थित भाग का वास्तविक किराया अथवा उक्त क्षेत्र में लागू आवासीय दर की पाँच गुना दरें लागू होंगी।

(घ) औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्रीज) के कर निर्धारण हेतु उक्त क्षेत्र में लागू वास्तविक मासिक किराये का तीन गुना कवर्ड एरिया पर तथा खाली जमीन पर सामान्य आवासीय दरें लागू होंगी, परन्तु

30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित इण्डस्ट्रीज की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर रु0 5.00 (कवर्ड एरिया) से कम न होगी तथा 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क तथा स्थित इण्डस्ट्रीज की भूमि की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर रु0 2.00 से कम न होगी।

(ङ) यदि आवासीय भवन का कोई भाग किराये पर दिया गया है, तो उसका कर निर्धारण स्पष्टीकरण 2(ख) के अनुसार किया जायेगा, परन्तु यदि किराये की दर इस बिन्दु में वर्णित मूल्य से अधिक है, तो उस भाग का कर निर्धारण किराये के आधार पर किया जायेगा।

(च) आकस्मिक कर निर्धारण वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू माना जायेगा, चाहे आकस्मिक कर निर्धारण की नोटिस वर्तमान वित्तीय वर्ष से किसी भी माह में जारी की जाय।

11—(धारा 141 का प्रतिस्थापन) मूल अधिनियम की धारा 141 के स्थान पर निम्न धाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्— (कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना)

141—नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।' (स्वनिर्धारण द्वारा भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर जमा करने का विकल्प)।

141—क—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, जमा कर सकता है।

(कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमि के विवरणों का प्रस्तुत किया जाना)

141—ख—1—वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन व भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2)बिना समुचित कारण के उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल कोई व्यक्ति यथा विहित शास्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3)उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। (धारा 142 का प्रतिस्थापन)

12—मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—(सूची का प्रकाशन)।

'142—नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार धारा 141 के अधीन तैयार की गयी सूची को प्रकाशित करेगा।' (धारा 143 का प्रतिस्थापन)।

13—मूल अधिनियम की धारा 143 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—(प्रस्तावित दरों और सूची पर आपत्तियाँ)

'143—नगर पालिका का इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निस्तारण करेगा।' (धारा 144 का प्रतिस्थापन)

14–मूल अधिनियम की धारा 144 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–(सूची का अभिप्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा)

'144–अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर के अभिप्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार अभिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(3) जैसे ही सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा इसकी घोषणा की जायेगी। (धारा 147 का संशोधन)।

15–मूल अधिनियम की धारा 147 में शब्द 'नगर पालिका' जहाँ कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द 'नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी रख दिये जायेंगे। (धारा 149 का संशोधन)।

16– मूल अधिनियम की धारा 149 में उपधारा (3) में शब्द 'नगर पालिका' के स्थान पर शब्द 'नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी' रख दिये जायेंगे।

**17–जलकर की दरें–**(क) नगर पालिका द्वारा स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारण वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत जलकर देय होगा।

(ख) निर्धारित वार्षिक मूल्य जलकर अधिरोपण अधिनियम की धारा 129 के निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा तथा समय-समय पर शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 129 (3) के अनुसार जलकर अधिरोपण हेतु नगर पालिका परिषद्, मल्लावॉ, हरदोई के लिये विहित अर्द्धव्यास 200 मीटर निर्धारित होगा।

18–**अन्य प्राविधान–**(1-क) अधिनियम की धारा 140(1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में इस नियमावली की धारा 3 में विभिन्न समूहों के मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जायेगी।

(ख) अधिनियम की धारा 141 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र व उसके भाग में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 141-ख (1) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि नियत की जायेगी उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवन के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु विहित प्रक्रियानुसार विवरण-पत्र क तथा ख प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अधिनियम की धारा 141-ख (2) के अन्तर्गत प्रपत्र में दर्शाई गयी कोई सूचना/विवरण मिथ्या पाये जाने पर या किसी तथ्य को छिपाने पर आवेदक रु0 1,000.00 के न्यूनतम अर्थदण्ड का भागीदार होगा। भवन में छत पड़ जाने, भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा अध्यासन करने या भवन को किराये पर उठाने के दिनांकः से 60 दिन के भीतर कर निर्धारण हेतु प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा 50 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में रु0 100.00, 200.00 वर्ग मीटर तक के लिये रु0 1,000.00 तथा 400 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु रु0 5,000.00 से रु0 15,000.00 तक अर्थदण्ड देय होगा साथ ही 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में उक्तानुसार देय अर्थदण्ड का 05 प्रतिशत विलम्ब शुल्क भी देय होगा। किसी भी आपत्ति की स्थिति में अधिशासी अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 141-ख (13) के प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिनियम की धारा 141-ख (2) के अन्तर्गत लगाये गये शास्ति (दण्ड) पर अधिशासी अधिकारी सर्वोतम विवेकानुसार प्रशमन की कार्यवाही कर सकते है।

(च) सेवारत/सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मचारियों/विकलांगों/अन्धे व्यक्तियों द्वारा स्वंय के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन एवं भवन का सामान्य कर शासनादेश के अधीन होगा।

(छ) पेट्रोल पम्पों पर, गृहकर शासनादेशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, वर्तमान में उस परिसर में बनी सभी गैर आवासीय/व्यवसायिक भवनों का मूल्यांकन गृहकर का आरोपण सामान्य व्यवसायिक भवनों के अनुरूप किया जायेगा।

(ज) भवन के नवनिर्माण/परिवर्द्धन/परिवर्तन की दशा में 15 दिनों के अन्दर नगर पंचायत को लिखित रूप से सूचित करना होगा, अन्यथा की दशा में उस वर्ष का पूर्ण गृहकर लागू होगा। (न0प0अधि0, 1916 धारा 148)

(झ) अधिरोपित करों की वसूली विशेष परिस्थितियों में अध्यासी से भी की जा सकेगी। जिसका समायोजन अध्यासी भवन स्वामी से कर सकेगा।

(ञ) उपरोक्त नियमावली/उपविधियों परिपेक्ष्य में शासनादेश जो समय-समय पर निर्गत होंगे, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नगर पालिका अधि0 की धारा 299 प्रभावी होगी।

**प्रपत्र कब भरना होगा–**(2-क) जब किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो, इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन किया जाता है जो उसके तीन सप्ताह के भीतर यथास्थिति भवन/भू-स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

**19–वसूली प्रक्रिया तथा बिल/नोटिस तामील–**(1-क) अधिनियम की धारा 166, 168, 169, 173 (क) में निहित प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ख) इस धारा के खण्ड (क) तथा इस उपविधि में वर्णित किसी भी प्रकार के बिल/सूचना नोटिस का तामील अधिनियम की धारा 303 तथा 304 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) इस धारा के खण्ड (क) तथा (ख) के अतिरिक्त करों की वसूली तथा सूचना नोटिसों के तामीला में अन्य कार्यवाही नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव के अधिनियम, 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(घ) कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किस्त में 01 अप्रैल से देय होगा। इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते हैं।

(ङ) अग्रिम रूप में जमा की गयी धनराशि अथवा करों से संबंधी किसी विवाद के निस्तारण के पश्चात् अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी दशा में नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(2-क) मांग बिल का पूर्ण भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर करना होगा जिसमें समय सीमा के अन्तर्गत भुगतान करने पर वित्तीय वर्ष की राशि पर 30 जून तक भवन कर एवं जलकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, 30 जून के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च तक) करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर/जलकर की चालू मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगी।

(ग) किसी भवन/भूमि के निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन पर लगाये गये करों का भुगतान यदि भवन स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 149 के अनुसार भुगतान का दायित्व वास्तविक अध्यासी/किरायेदार का होगा जिसका समायोजन भुगतानकर्ता वास्तविक भवन स्वामी को दिये जाने वाले किराये में कर सकेगा। धारा 149 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा।

(घ) वार्षिक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कोई प्रकरण निस्तारण हेतु नगर पालिका कार्यालय में लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सर्वोत्तम विवेकानुसार सरचार्ज में छूट प्रदान कर सकते हैं।

20–(क) अधिनियम की धारा 145(1) के अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में धारा 140 से 144 तक में विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 148(1) के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक भवन स्वामी सूचना देते हुये बाध्य होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 158 (1) के प्राविधानों के अनुसार नगर पालिका परिषद के अनुसार किसी भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण अथवा धारा 147(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगी जा सकती है।

(घ) इस धारा के खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद का कोई भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है तो अधिनियम की धारा 158 (2) के अनुसार कर अधीक्षक या जैसी स्थिति हो की अख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

21–**कर मुक्त तथा छूट**–(क) अधिनियम की धारा 129 (क) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा खण्ड (छ) के अन्तर्गत आने वाले भूमि/भवनों अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्ग्रहण में नियमानुसार छूट देय होगी।

(ख) नगर पालिका परिषद, गंगाघाट,उन्नाव के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगर पालिका के स्वयं के प्रयोग में होंगे कर मुक्त रहेंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत अनध्यासन के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट तभी प्रदान की जायेगी जब अनध्यासन की सूचना लिखित रूप में नियमानुसार नगर पालिका परिषद कार्यालय को प्राप्त करायी गयी हो।

(घ) इस धारा के खण्ड (ग) के अधीन छूट प्राप्त भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा यदि अधिनियम की धारा 152(1) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन की सूचना नहीं दी जाती है, तो दोष सिद्ध ठहराये जाने पर अधिनियम की धारा 152(2) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन के दिनांक से निर्धारण देय कर की दस गुनी धनराशि या पचास रुपये दोनों में जो अधिक हो के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो अधिशासी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 157 के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान किया जाना बोर्ड के अधीन होगा।

**22–विशेष छूट/प्रोत्साहन**–मोबिलाइज द अर्थ विचारधारा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के साथ न्यूनतम दोहन व अधिकतम उपभोग तथा सम्पोष्षणीय विकास की अवधारणा से परिचयात्मक स्तर पर जन सरोकारों से जोड़ने के लिए नगर पंचायत मोहान भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वायत्व निकायों के अध्याय-9(क) अनुच्छेद 12 अन्तर्गत अधिसूचित 18 विषयों में से शहरी वानिकी एवं पर्यावरण तथा प्राकृतिक जल संसाधनों के

अधिकतम संचयन एवं न्यूनतम दोहन को स्वीकार करते हुए शहरी वानिकी एवं पर्यावरण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को संरक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए करों में निम्नलिखित छूट का प्रावधान करती है–

(1) भवन स्वामी के अनाच्छादित क्षेत्रफल पर न्यूनतम 10 पेड़ लगे होने पर जिसकी ऊँचाई कम से कम 10 फिट हो तथा पेड़/पौधा स्वस्थ हो तो 03 प्रतिशत छूट स्वकर निर्धारण पर देय होगी। यह छूट इन पेड़/पौधों के रख-रखाव पर भवन स्वामी द्वारा खर्च किया जायेगा।

(2) ऐसे भू-खण्ड जो इस नियमावली द्वारा कर अधिरोपण की श्रेणी में हैं उस भू-खण्ड पर कम से कम 50 पेड़ जो कम से कम 10 फिट ऊँचाई में हो उस पर अधिरोपित कर का 10 प्रतिशत छूट देगी।

(3) ऐसे भवन स्वामियों को जो वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर अधिकतम जल का प्राकृतिक संचयन करेंगे, उनके भवन पर अधिरोपित कर पर 02 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह समस्त छूटें जो क्रम संख्या 01, 02 व 03 में उल्लिखित है, वार्षिक छूट की श्रेणी में आयेंगी।

23–**नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया धारा 147 के अन्तर्गत–**(क) अधिनियम की धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण सूची में किया जाने वाला संशोधन जो किसी करारोपित भवन/भूमि पर निर्धारण करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उसकी लिखित सचूना (साक्ष्य सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगर पालिका परिषद कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन स्वामी को धारा 148(1) के अन्तर्गत अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करारोपित भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक का वास्तविक स्वामी हो। तीन मास (90 दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(ग) इस धारा के पूर्ववर्ती खण्ड (ख) के अतिरिक्त वसीयतनामा, बैनामा, न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(घ) दाखिल खारिज अथवा धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक आवेदक के द्वारा सम्बन्धित भवन का बकाया सम्पूर्ण करों का भुगतान न कर दिया जाय। प्रत्येक दशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा।

(ङ) किसी भवन/भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 147(1) के प्राविधानों के अनुसार संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 147(2) की 30 दिन की नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा।

24–किसी भवन/भूमि के स्वामित्व/अध्सासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन संबंधी विवाद होने की दशा विवाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 143 तथा 147 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर पालिका या अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत आदेश होंगे तक प्रभावित रहेगा।

25–**नामान्तरण शुल्क/विलम्ब शुल्क–**नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147(1) के अन्तर्गत किये गये कोई भी नामान्तरण (दाखिल-खारिज) प्रार्थना-पत्र नगर पालिका परिषद मल्लावॉ, हरदोई द्वारा निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार किये जायेंगे। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व के संशोधन हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र को हिबानामा/वसीयत/वरासतन एवं न्यायालय से जारी निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे। उन पर आवेदक के नामान्तरण (दाखिल-खारिज) शुल्क सरकारी मालियत एवं पंजीकृत बैनामा जो भी अधिक हो पर निम्न प्रकार देय होगा–

(क) **विलेख निष्पादन–**

[अ] रु0 1 से 1,00,000.00 तक रु0 1,000.00।

[ब] रु0 1,00,000 से या इससे ऊपर प्रति लाख रु0 1,000.00 अर्थात् सरकारी मालियत एवं पंजीकृत बैनामा जो भी अधिक हो का एक प्रतिशत।

(ख) **विलेख के अतिरिक्त सरकारी मलियत के अनुसार 2% शुल्क देय होगा।**

हिबानामा/वसीयत/वरासतन/न्यायालयी निर्णय–दाखिल खारिज रु0 500.00 विलम्ब शुल्क तीन मास (90 दिन) के अन्दर दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई भी विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क में छूट का अधिकार कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। शुल्क पैरा 25 के 'ख' के अनुसार देय होगी।

26–उपरोक्त नियम 5 के साथ यदि कोई भवन/भू-खण्ड को अथवा उसके अंश को विलेखों द्वारा या अन्य कारणों हेतु हस्तान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से 120 दिन के अन्दर ग्रहणकर्ताओं अपने नाम नगर पालिका परिषद्, गंगाघाट के अभिलेखों मे दर्ज/अंकित करायेगा, ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रु0 5,000.00 जमा करने पर ही हो सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अधिभार अधिशासी अधिकारी कम अथवा माफ कर सकेंगे।

27–**भूल सुधार**–अधिनियम की धारा 147(1) के खण्ड (छ) तथा धारा 165 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमाण्ड रजिस्टर, जारी की गयी नोटिस अथवा काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

28–**नोट**–उपरोक्त ''भवन एवं सम्पत्ति गृहकर तथा जलकर स्वकर निर्धारण उपविधि नियमावली, 2017'' उ0प्र0 राजपत्र में मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी तथा उक्त नियमावली के प्रभावी होते ही नगरपालिका परिषद् मल्लावॉ, हरदोई द्वारा निर्मित भवन व जलकर से सम्बन्धित पूर्व उपविधियों का प्रभाव उक्त सीमा तक स्वतः शून्य हो जायेगा।

## शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मल्लावॉ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

**सम्पत्ति का स्वतः निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् मल्लावॉ, जनपद हरदोई क्षेत्र में आने वाले वार्डों के आवासीय की प्रति वर्ग फुट दर (रुपये में)**

| क्र0 सं0 | मोहल्ले का नाम | 24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन | | | 12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन | | | 3 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन | | | आवासीय भूखण्ड जिसमें मकान न बना हो। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आर0सी0 सी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान | अन्य पक्का मकान | कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड) | आर0सी0सी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान | अन्य पक्का मकान | कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड) | आर0सी0सी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान | अन्य पक्का मकान | कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | भगवन्तनगर पश्चिमी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 2 | श्यामपुर | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मिर्जापुर उत्तरी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 4 | मोहिउददीनपुर मध्य | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 5 | मिर्जापुर पूर्वी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 6 | गंगारामपुर दक्षिणी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 7 | मोहिउददीनपुर पूर्वी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 8 | गोवर्धनपुर | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 9 | बाजीगंज मध्य | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 10 | गंगारामपुर पूर्वी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 11 | मिर्जापुर पश्चिमी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 12 | भगवन्तनगर दक्षिणी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 13 | मिर्जापुर दक्षिणी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 14 | भगवन्तनगर पूर्वी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 15 | भगवन्तनगर उत्तरी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 16 | गंगारामपुर पश्चिमी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 17 | मोहिउददीनपुर उत्तरी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 18 | बन्दीपुर मध्य | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 19 | गंगारामपुर मध्य | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 20 | नसरतनगर उत्तरी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 21 | गंगारामपुर उत्तरी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 22 | मोहिउददीनपुर दक्षिणी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 23 | मोहिउददीनपुर पश्चिमी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 24 | नसरतनगर दक्षिणी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 25 | बन्दीपुर उत्तरी | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |

## स्वतः कर (टैक्स) की गणना कैसे करें

1–स्वकर निर्धारण फार्म नगरपालिका परिषद् कार्यालय से प्राप्त करें।

2–फार्म भरने से पूर्व पूर्ण रूप से भरें।

3–भवन/भूखण्ड का नम्बर (नगर पालिका द्वारा प्रदत्त करें)।

4–भवन के कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार करें।

(क) कमरें, ड्राइगंरूम, अच्छादित बरामदे की पूरी माप करें, लम्बाई × चौड़ाई।

(ख) किचन, स्टोर, बालकानी, कारीडोर, लम्बाई × चौड़ाई का 50 प्रतिशत।

(ग) गैराज लम्बाई × चौड़ाई का 25 प्रतिशत।

(घ) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको, जीने से अच्छादित भवन की माप नही की जायेगी।

5–निर्धारित मासिक किराया दर से कारपेट एरिया के योग को गुणा करे, इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक किराया (ARV) प्राप्त होगा।

6–आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत होगी।

7–यदि आप भवन मे स्वयं रहते हैं तो वार्षिक किराया मूल्य (ARV) निम्न छूट को घटायें।

(क) दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में (ARV) का (–) 25% ।

(ख) दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु वाले भवनो में (ARV) का (–) 32.5%।

(ग) बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में (ARV) का (–) 40%।

**8**–यदि भवन किराये का उठाया गया है तो नियमानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य (ARV)में जोड़ें।

(क) दस वर्ष अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा। (ARV+25%)

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा। (ARV+25%)

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत् समझा जायेगा।

9–भवन में कई मंजिल होने की दशा में प्रत्येक मंजिल का वार्षिक किराया मूल्य उपरोक्त विधि से ही ज्ञात किया जायेगा।

## सामान्य कर

**10**–वार्षिक किराया मूल्यांकन (ARV) का गृहकर 10 प्रतिशत एंव जलकर 05 प्रतिशत होगा।

11–**निर्धारित तिथि प्रपत्र**–ख जमा करने पर रु0 5,000.00 तक अर्थदण्ड देना होगा।

12–**रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**–रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पालिका परिषद्, मल्लावॉ, प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अर्न्तगत नही होगा बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

13–**छूट**–स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई भवन जो 30 वर्गमीटर पर निर्मित किया हो उसका कारपेट ऐरिया 15 वर्ग मी0 तक तथा उसके स्वामित्व में नगर पालिका परिषद्, मल्लावॉ में कोई अन्य भवन न हो गृहकर से मुक्त होगा।

14–**प्रपत्र अब कब भरना होगा–**(क) जब कभी भी भवन स्वामी द्वारा भवन किरोय पर दिया जायेगा या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया जायेगा इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) जब किसी भी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन किया जायेगा तो उसके लिये तीन माह के भीतर यथास्थित भवन/भू-स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र-क में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(ग) गलत सूचना देने पर रुपया 5,000.00 तक आर्थिक दण्ड देय होगा।

(घ) जिन भवन/भूमि स्वामियों/अध्यासियों द्वारा कर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

**फार्म क का प्रारूप**

**नगरपालिका परिषद् मल्लावाँ, हरदोई**

**प्रपत्र-क**

**स्वामित्व कर-स्वतः कर निर्धारण प्रपत्र**

स्वामी या अध्यासी का फोटो

1–(एक) भवन/मकान/भू-खण्ड सं0.....वार्ड सं0.....निर्माण वर्ष.....जलसंयोजन सं0.

(दो) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(तीन) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

(चार) स्वामी/अध्यासी पत्नी का नाम.....

(पाँच) भवन/भू-खण्डों की अवस्थित का पता.....

(छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

(सात) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....

**नोट–**कृपया भवन/भूमि से जो भी सम्बन्धित हो उसके खाने में सही (✓) का निशान/संख्या लिखें।

2–**भवन का विवरण–**(क ) मंजिलों की संख्या –

(ख) कमरों की संख्या –

**3–भवन अवस्थित है–**

(i) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन – ☐

(ii) 15 फुट से 10 फुट तक अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन – ☐

(iii) 10 फुट तक अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन – ☐

**4–भवन निर्माण की प्रकृति–**

(i) पक्का भवन, आर0सी0सी0/आर0बी0 छत सहित भवन – ☐

(ii) अर्द्ध पक्का भवन – ☐

(iii) कच्चा फर्श – ☐

**5–भवन के फर्श की प्रकृति–**

(i) पत्थर/टायल्स/मूजाइक युक्त फर्श– ☐

(ii) पक्का फर्श– ☐

(iii) कच्चा फर्श– ☐

**6–भूमि (यदि कोई भूमि पर भवन निर्मित नही है।) अवस्थित है –**

(i) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन – ☐

(ii) 15 फुट से 10 फुट तक अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन – ☐

(iii) 10 फुट तक अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन – ☐

**7–भवन सम्बन्धित ब्यौरा–(लम्बाई × चौड़ाई)–.**

**(क)** समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)–

.....

**(ख)** बालकनी, कैरीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम(वर्ग फुट में)–

.....

**(ग)** समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम(वर्ग फुट में)–

.....

**(घ)** भवन का कुल कारपेट एरिया–

क + ख + ग = .....

2 4

**(घघ)** भवन का वार्षिक किराया मूल्य (ARV)=12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × कारपेट एरिया का 80%.....

**टिप्पणी–**स्नानगृह शौचालयों, पोर्टिकों और जीने द्वारा अच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नही होगा।

**8–**भूमि सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई ×चौड़ाई)–

.....

**(क)** वार्षिक किराया मूल्य यदि भूमि खली है।

12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × भूमि का क्षेत्रफल –.....

**(ख)** व्यवसायिक उपभोग की स्थिति में भूमि का वार्षिक किराया–(ARV).....

**(ग)** क+ख × 0.80 = .....

9–स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का वार्षिक किराया मूल्य धारा 140 (2) (क) में उल्लिखित छूट देने के पश्चात् (जो लागू न हो उसे काट दें)।

(i) 10 वर्ष से कम का मकान – वार्षिक किराया मूल्य × 0.75 =

(ii) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का मकान – वार्षिक किराया मूल्य × 0.675 =

(iii) 20 वर्ष से पुराना मकान – वार्षिक किराया मूल्य × 0.60 =

**10**–किराये/व्यवसायिक होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य धारा 140 (2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात् (जो लागू न हो उसे काट दें)।

(i) 10 वर्ष से कम का मकान – वार्षिक किराया मूल्य × 1.25 =

(ii) 10 वर्ष से 20वर्ष तक का मकान – वार्षिक किराया मूल्य × 1.125=

(iii) 20 वर्ष से पुराना मकान – वार्षिक किराया मूल्य यथावत्

**11–सामान्य कर**–गृहकर (ARV) का 10 प्रतिशत एंव जलकर का 5%

(i) भवन का वार्षिक किराया मूल्य+भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 10% गृहकर–

.....

(ii) भवन का वार्षिक किराया मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 5% गृहकर–

.....

| क्र0 सं0 | कर | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | रुपया | पैसे |
| 1 | गृहकर | | |
| 2 | जलकर | | |
| 3 | योग . . | | |

कुल योग –

कुल योग शब्दों में–

जाँच किया गया। अवलोकित/अनुमत

**जाँचकर्ता** **राजस्व निरीक्षक** **कर निरीक्षक** **अधिशासी अधिकारी**

**स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैने उल्लिखित शर्तें एंव सूचनाएं सावधानी पूर्वक पढ़ी है जो मुझे मान्य है। मैंने इस प्रपत्र में दिये गये विवरणों सूचनाओं में कोई तथ्य नही छिपाया है यदि विवरण/सूचना असत्य पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध जो भी निर्णय लिया जायेगा मुझे मान्य होगा।

दिनाँक..... हस्ताक्षर .....

नाम..... पूरा पता.....

**सत्यापन**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्योरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास मे ंहै। ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थायी पता.....

दिनाँक.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता–माता का नाम.....

पूरा पता.....

**अभिस्वीकृति**

जिस व्यक्ति से प्रपत्र "क" प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

1–स्वामी अध्यासी का नाम.....

2–स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

3–स्वामी/आयासी पत्नी का नाम .....

4–भवन/भू-खण्डों के अवस्थित का पता.....

5–स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

6–स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....

दिनाँक'..... हस्ताक्षर .....

नाम..... पूरा पता.....

अंकित जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मल्लावॉ, हरदोई।

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

## सूचना

12 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 827/प्रशा0-एक–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा 1 (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अपनी अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अधीन वास्तुविद सहायक ग्रेड-प्रथम सेवा विनियमावली, 1998 में आंशिक संशोधन हेतु परिषद् की 252 वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 के मद संख्या 252/21 में विनियम में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है।

2–अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् वास्तुविद सहायक ग्रेड-प्रथम सेवा विनियमावली, 1998 के भाग-V के विनियम-14 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

| वर्तमान नियम | संशोधित नियम |
|---|---|
| विनियम-14 | विनियम-14 |
| नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त हैं। | नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर मा0 परिषद् की अनुमति लेकर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने हेतु सक्षम होंगे। |

3–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् वास्तुविद सहायक ग्रेड-प्रथम सेवा विनियमावली, 1998 के उक्त विनियम में आंशिक संशोधन के अतिरिक्त विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

अजय चौहान,
आवास आयुक्त।

सं0 828/प्रशा0-एक–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा 1 (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अपनी अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अधीन सहायक वास्तुविद नियोजक सेवा विनियमावली, 1979 (यथा संशोधित 1989) में आंशिक संशोधन हेतु परिषद् की 252वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 के मद संख्या 252/22 में विभिन्न विनियमों में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है।

2–अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् सहायक वास्तुविद नियोजक सेवा विनियमावली, 1979 (यथा संशोधित 1989) के भाग-V के विनियम-14 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

| वर्तमान नियम | संशोधित नियम |
|---|---|
| विनियम-14 | विनियम-14 |
| नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त हैं। | नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर मा0 परिषद् की अनुमति लेकर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने हेतु सक्षम होंगे। |

3–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् सहायक वास्तुविद नियोजक सेवा विनियमावली, 1979 (यथा संशोधित 1989) के उक्त विनियम में आंशिक संशोधन के अतिरिक्त विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

अजय चौहान,
आवास आयुक्त।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 राम रघु बिल्ड वैल, सुरेश प्लाजा एम0जी0 रोड, आगरा के विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

फर्म के पूर्व तृतीय पक्ष श्री विवेक बंसल पुत्र श्री सुरेश नाथ बंसल, निवासी 601-602, हिल हाऊस अपार्टमेन्ट्स, सुरेश प्लाजा, एम0जी0 रोड, आगरा की दिनांक 19 मई, 2015 को मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती पूजा बंसल पत्नी स्व0 विवेक बंसल, निवासी 601-602, हिल हाऊस अपार्टमेन्ट्स, सुरेश प्लाजा, एम0जी0 रोड, आगरा भागीदार हो गयी हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से श्री वी0डी0 बंसल पुत्र स्व0 जे0पी0 बंसल, निवासी 63, डिफेन्स स्टेट फेस-1, ग्वालियर रोड, आगरा व श्री आर्यन चौधरी पुत्र श्री कमल चौधरी, निवासी 23-ए, आलोक नगर, जयपुर हाउस, आगरा सम्मिलित हो गये हैं। श्रीमती मंजूलिका बंसल, श्री मनीष बंसल, श्रीमती पूजा बंसल, श्री वी0 डी0 बंसल व श्री आर्यन चौधरी भागीदार हो गये हैं।

मनीष बंसल,
भागीदार,
मे0 राम रघु बिल्ड वैल,
सुरेश प्लाजा, एम0जी0 रोड, आगरा।

## सूचना

फर्म मे0 आर्यन भारत गैस शम्भू नगर शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एफआईआर/0009224 में दिनांक 01 जून, 2021 को अवनीन्द्र यादव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी 365-ए यादव कालोनी, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद को उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है, दिनांक 01 जून, 2021 को अविकल्प यादव पुत्र श्री अनिल कुमार यादव, निवासी 1920 पी मेला वाला बाग स्टेशन रोड शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हुये। वर्तमान में फर्म में साझेदार सुनील कुमार, अवनीन्द्र यादव हैं।

सुनील कुमार,
साझेदार,
मे0 आर्यन भारत गैस,
शम्भू नगर शिकोहाबाद,
जिला फिरोजाबाद।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 श्री केशवम डवलपर्स 76/26, C/o कुमार प्लास्टिक, गोविन्द गंज, सब्जी मण्डी, होली गेट, मथुरा में श्री श्याम सिंघल पुत्र श्री शिव शंकर अग्रवाल, निवासी 68, मयूर विहार, भरतपुर रोड, धौली प्याऊ, मथुरा नये भागीदार के रूप में दिनांक 20 मार्च, 2021 से सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री प्रवीन कुमार श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री विपुल अग्रवाल, नीता अग्रवाल, अन्जू अग्रवाल, राधा अग्रवाल व श्री श्याम सिंघल भागीदार हो गये हैं।

प्रवीन कुमार,
भागीदार,
मे0 श्री केशवम डवलपर्स,
76/26, C/o कुमार प्लास्टिक, गोविन्द गंज,
सब्जी मण्डी, होली गेट, मथुरा।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मेसर्स माई स्टोर, भावना स्टेट मॉल, अपोजिट कामायनी हॉस्पीटल, सिकंदरा, आगरा-282007 की पूर्व प्रथम पक्ष श्रीमती सिम्मी टण्डन पत्नी श्री संजीव टण्डन, निवासी म0नं0 912 गणपति किंग्स काउण्टी सिकंदरा, नियर होली पब्लिक स्कूल, आगरा की मृत्यु दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को होने के कारण उक्त फर्म में उनके स्थान पर श्री संजीव टण्डन पुत्र श्री आर0 के0 टण्डन द्वारा अतुल कुमार, 503, गणपति किंग्स काउण्टी, सिकंदरा, होली पब्लिक स्कूल के पास, आगरा नये भागीदार के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 से सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में हिमांशू सिंह व श्री संजीव टण्डन भागीदार हो गये हैं।

हिमांशू सिंह,
भागीदार,
मेसर्स माई स्टोर,
भावना स्टेट मॉल, अपोजिट,
कामायनी हॉस्पीटल, सिकंदरा,
आगरा-282007।

## सूचना

फर्म मे0 बृज टैक्टर्स देहली गेट मथुरा पत्रावली संख्या एजी 12359 में दिनांक 01 जून, 2021 को अजय अग्रवाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र नाथ अग्रवाल, निवासी बृज ट्रैक्टर अपोजिट बी0एस0ए0 कालेज, मथुरा व

श्रीमती मंजुला अग्रवाल पत्नी श्री अजय अग्रवाल, निवासी बृज टैक्टर अपोजिट बी0एस0ए0 कालेज, मथुरा तथा श्रीमती मेघा बंसल पत्नी श्री सौरभ बंसल, निवासी बृज टैक्टर अपोजिट बी0एस0ए0 कालेज, मथुरा उक्त फर्म की साझेदारी अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में साझेदार श्रीमती रिंकल अग्रवाल, श्री कुनाल अग्रवाल, श्री राजेश कुमार अग्रवाल एच0यू0एफ0 कर्ता रोहित अग्रवाल हैं।

श्रीमती रिंकल अग्रवाल,
साझेदार,
मे0 बृज टैक्टर्स देहली गेट, मथुरा।

## सूचना

फर्म मे0 पारस इण्डस्ट्रीज ई-27, कोसी कोटवन इण्डस्ट्रीयल एरिया कोसीकलॉ, तह0 छाता, जिला मथुरा पत्रावली संख्या एजी 15698 में दिनांक 31 मार्च, 2021 को श्री शरद अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी कैला देवी मन्दिर के सामने सर्राफा बाजार वृन्दावन, जिला मथुरा व वासु अग्रवाल पुत्र श्री शरद अग्रवाल, निवासी कैला देवी मन्दिर के सामने सर्राफा बाजार वृन्दावन, जिला मथुरा उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुये। दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को मुकेश कुमार पुत्र श्री बालकिशन वर्मा, निवासी डी-5212/2 गोयल कॉम्प्लेक्स ताजपुर रोड, बदरपुर बार्डर, दिल्ली-44 व टीकम सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट रैपुरा, तह0 व जिला फिरोजाबाद तथा महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी-1, नरसी विलेज शालीमार रोड, कोसी कलॉ, जिला मथुरा उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में साझेदार श्री शरद अग्रवाल, श्री वासु अग्रवाल हैं।

शरद अग्रवाल,
साझेदार,
मे0 पारस इण्डस्ट्रीज,
ई-27, कोसी कोटवन इण्डस्ट्रीयल,
एरिया कोसीकलॉ, तह0 छाता, जिला मथुरा।

## NOTICE

I, Mr. Satyanshu Mohan have changed my name from Satyanshu Mohan to Satyanshu Mishra by affidavit sworn before the Notary public, Prayagraj on 29-05-2021. Henceforth, I shall be known as Satyanshu Mishra for all purposes.

SATYANSHU MISHRA,
97/1/A, Opposite GPO, Sarojini,
Naidu Marg, Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh-211001.

पी0एस0यू0पी0—10 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।